दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

सत्र-9 दिल्ली विधान सभा के नौवें सत्र का दूसरा दिन

अंक-68

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

	^				
1.	श्री	₹.	दयानन्द	चदला	Ų.

- 2. श्री अनिल भारद्वाज
- 3. श्री अनिल झा
- 4. श्री अनिल कुमार
- 5. श्री अरविन्दर सिंह
- 6. श्री आसिफ मो. खान
- 7. श्री बलराम तंवर
- 8. श्रीमती बरखा सिंह
- 9. चौ. भरत सिंह
- 10. डॉ. बिजेन्द्र सिंह
- 11. श्री देवेन्द्र यादव
- 12. श्री धर्मदेव सोलंकी

- 13. श्री हरिशंकर गुप्ता
- 14. डॉ. हर्ष वर्धन
- 15. श्री हरशरण सिंह बल्ली
- 16. श्री हसन अहमद
- 17. प्रो. जगदीश मुखी
- 18. श्री जयभगवान अग्रवाल
- 19. श्री जय किशन
- 20. श्री जसवंत सिंह राणा
- 21. श्री करण सिंह तंवर
- 22. श्री कुलवंत राणा
- 23. श्री मालाराम गंगवाल
- 24. श्री मंगत राम

- 25. श्री मनोज कुमार
- 26. चौ. मतीन अहमद
- 27. श्री मोहन सिंह बिष्ट
- 28. श्री मुकेश शर्मा
- 29. श्री नंद किशोर
- 30. डॉ. नरेन्द्र नाथ
- 31. श्री नरेश गौड़
- 32. श्री नसीब सिंह
- 33. श्री नीरज बैसोया
- 34. श्री ओ.पी. बब्बर
- 35. श्री प्रद्युम्न राजपूत
- 36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
- 37. चौ. प्रेम सिंह
- 38. श्री राजेश जैन
- 39. श्री राजेश लिलोठिया
- 40. श्री राम सिंह नेताजी
- 41. श्री रमेश बिधूड़ी
- 42. श्री रविन्द्र नाथ बंसल

- 43. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
- 44. श्री साहब सिंह चौहान
- 45. श्री सतप्रकाश राणा
- 46. श्री शोएब इकबाल
- 47. श्री श्रीकृष्णा

2

- 48. श्री श्याम लाल गर्ग
- 49. श्री सुभाष चौपड़ा
- 50. श्री सुभाष सचदेवा
- 51. श्री सुमेश
- 52. श्री सुनील कुमार
- 53. श्री सुरेन्द्र कुमार
- 54. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
- 55. चौ. सुरेन्द्र कुमार
- 56. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
- 57. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
- 58. श्री वीर सिंह धिंगान
- 59. श्री विपिन शर्मा

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

सत्र-11 मंगलवार, 4 सितम्बर, 2012/भाद्रपद 13, 1934 (शक) संख्या-81

सदन 2.00 बजे अपराहन समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

(राष्ट्रगीत-वन्दे मारतम)

अध्यक्ष महोदय- माननीय सदस्यगण, दिल्ली विधान सभा के मानसून सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इस सत्र में अपने क्षेत्र की एवं राजधानी की विषम समस्याओं को सदन में पुरजोर ढंग से उठाएगें और दिल्ली वासियों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान कराने हेतु आवाज उठाएंगे। मेरी सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि नियमों के अधीन एवं शालीनता से सदन में अपनी बात कहें।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

माननीय सदस्यगण, आपको जानकर अत्यंत दुःख होगा कि चौथी महानगर परिषद (1988-1990) के सदस्य चौ. मुख्तयार सिंह जी का गत 02 जुलाई 2012 को निधन हो गया है, चौ. मुख्तयार सिंह 1971 में निगम पार्षद भी निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा वे कृषि विपणन सिमित के चेयरमैन एवं दिल्ली को-आपरेटिव बैंक के डायरेक्टर सिंहत कई महत्वपूर्ण संस्थानों से जुड़े हुए थे। उन्होंने हमेशा किसानों एवं कमजोर वर्ग के लोगों के

उत्थान के लिए कार्य किया। अपने अंतिम समय तक वे लगातार इस दिशा में काम करते रहे। मैं अपनी ओर से एवं पूरे सदन की ओर से चौ. मुख्तयार सिंह जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दें व उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओउ्म शांति।

माननीय सदस्यगण, आपको जानकार अत्यंत दुःख होगा कि दिल्ली से 1992-1996 तक सांसद रहे श्री राजेश खन्ना का 18 जुलाई, 2012 को निधन हो गया है। श्री राजेश खन्ना ने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक सांसद के रुप में दिल्ली के विकास के लिये उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं अपनी ओर से एवं पूरे सदन की ओर से श्री राजेश खन्ना के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दे व उनके परिवार वालों को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओउ्म शांति।

अब सदन की नेता अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगी।

Chief Minister: Sir, Choudhary Mukhtyar Singh who expired on July, 2012 at Delhi, he was a Member of the Fourth Metropolitan Council and the M.C.D. and in that Capacity, he contributed very substantially in safeguarding the interests of the farmers and the rural belt of Delhi. He was very deeply associated with the Cooperative Movement also. I join this August House in paying my deep and respectful homage to Ch. Mukhtyar Singh. May his soul rest in peace and may his family have the courage to bear this irretrievable loss.

Sir, this House heard with deep shock and terrible nostaigia about the demise of Sh. Rajesh Khanna who had represented the New Delhi Constituency as a Member of Parliament. He was, then, deeply adored by those who came in contact with him and his contribution towards the Parliamentary life of our Parliament was unforgettable. Apart form that, he was a great asset to the Indian Film Industry. I join the House in praying that his soul may rest in pease and may his family members have the courage to bear this irretrievable loss.

अध्यक्ष महोदय: अब नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, श्री मुख्यार सिंह जी, जो दिल्ली महानगर परिषद के 7 वर्षों तक सदस्य रहे, जिन्होंने अपने क्षेत्र की बहुत सेवा की, खासकर को-आपरेटिव मूवमेंट्स में, ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े हुए लोगों के लिए उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया था। उन्होंने 7 वर्षों तक दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य रहते हुए उसकी शोभा को भी बढ़ाया था। उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनको श्रद्धांजलि अपित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे व उनके परिवार को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति दे।

श्री राजेश खन्ना दिल्ली से लोकसभा के सदस्य रहे और इसके अलावा वे एक सुपरस्टार सिनेमा क्षेत्र में रहे जो उनके साथ ही प्रारम्भ हुआ था। उन्होंने अद्वितीय लोकप्रियता हासिल की, करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। उस समय के उनके चलचित्रों को देखकर बहुत लोगों को प्रेरणा प्राप्त हुई थी। वे बहुत दिनों तक बीमार रहे। अन्तिम दिनों में जब उन्होंने कहा कि मेरे फेन्स मुझसे कोई छीन नहीं सकता तब भी वे

बहुत बीमार थे। परन्तु सचमुच में उनके फैन्स कोई उनसे छीन नहीं सकता। उनके निधन से न केवल सिनेमा जगत की बिल्क राजनीतिक क्षेत्र की भी जो क्षित हुई है उस क्षित को भरना असम्भव है। मैं उनको श्रद्धांजिल अर्पित करता हूँ, ईश्वर उनके परिवार को इस दुःख को सहने की शिक्त दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओउ्म शांति।

श्री अनिल भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की नेता और नेता प्रतिपक्ष की भावनाओं के साथ, चौ. मुख्तयार सिंह जी जो कि महानगर परिषद के सदस्य रहे, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें और अपने श्रीचरणों में स्थान दें।

साथ ही साथ महोदय, श्री राजेश खन्ना जी जो हिन्दी फिल्मों में अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल करने वाले महान कलाकार थे, जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुपर स्टार का नाम उनके साथ शुरु हुआ और इस सदी के सबसे महानतम कलाकार श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी उनके बारे में कहा कि सुपर स्टार शब्द अगर किसी कलाकार के साथ फिल्मों में लग सकता है, तो वो सिर्फ राजेश खन्ना हैं। उनके कला के क्षेत्र के अलावा जो नई दिल्ली के सांसद के रुप में उनका कार्यकाल रहा, मेरा उनसे निजी रुप से 15–16 साल एक नजदीकी रिश्ता, एक साथी के रुप में, एक कार्यकर्ता के रुप में रहा। उनके व्यक्तित्व को, मैं इस सदन में कह सकता हूँ कि वे हमेशा कहते थे कि एक कलाकार की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भाषा और प्रान्त की सीमाओं से बंधा नहीं होता। इन संकीर्णताओं से हटकर हमेशा उन्होंने मानवता को आगे रखकर इन्सान के रुप में सेवा की एक सांसद के रुप में। एक बात और वे हमेशा कहते थे कि I am not a God fearing man, I am God loving man. वे एक जाबांज इन्सान थे और एक बेहतरीन दोस्त थे। जो छोटे से छोटे से व्यक्ति को, जो स्वीकार करते थे तो मानते थे। ऐसे महान

कलाकार और उनकी लाकेप्रियता, मैं समझता हूँ कि कभी मरती नहीं है और काका जो उनका एक लोकप्रियता का नाम था हिन्दुस्तान में, वह आने वाले सैकड़ों वर्ष तक लोगों के दिलों पर राज करेंगे। मैं उनको और उनके व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ और उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजिल अर्पित करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदयः श्री तरविन्दर सिंह मारवाह।

श्री तरिवन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष महोदय, चौ. मुख्यार सिंह जी जो दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य रहे, उनकी सेवा दिल्ली वाले भूल नहीं सकते। उन्होंने जीवन में समाज सेवा की। मैं उनको श्रद्धांजिल देता हूँ। श्री राजेश खन्ना जी क्योंकि नई दिल्ली से चुनाव लड़े थे। बहुत ही नजदीकी, अभी जैसा अनिल भारद्वाज जी ने कहा कि वे सबको प्यार करते थे। पिक्चर में भी उनको सुपरस्टार दिया। कई दिन तक रोज टीवी में उनके बारे में देते रहे। वे एक महान इन्सान थे। मैं उनको श्रद्धांजिल देता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः श्री अनिल झा।

श्री अनिल झा: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से फिल्म जगत के महान कलाकार राजेश खन्ना जी को श्रद्धांजिल अर्पित करता हूँ और कामना करता हूँ कि वे जहाँ भी हैं, ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दें। मैं राजेश खन्ना जी के बारे में एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि राजेश खन्ना जी का समय ऐसा था कि वे बहुत ही संघर्ष करते हुए फिल्म जगत में बहुत ऊँचे स्थान पर पहुँचे। लेकिन उनका बहुत बेहतर जीवन रहते हुए भी अंतिम समय एकाकी जीवन रहा। ऐसे हमने कई बार देखा कि दिल्ली के ऐसे बहुत सारे लोग जो फिल्म जगत में अपना स्थान बनाये हुए हैं और कुछ लोग होते हैं जो गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। उसके लिए भी सरकार को विचार करना चाहिए कि लोगों का जीवन

सुरिक्षत कैसे रहे। ऐसे बहुत से जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अंतिम समय उनका बहुत खराब हो जाता है। अभी राजेश खन्ना जी के बाद ए.के. हंगल साहब का भी देहांत हुआ और आखिरी दिनों का जीवन उनका बेहत्तर नहीं रहा। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। बाकी मैं अपनी तरफ से उन्हें बहुत बहुत मन की गहराइयों से श्रद्धांजिल देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको शांति दे।

अध्यक्ष महोदय: डॉ. जगदीश मुखी जी।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, 1983 से 1990 तक जो महानगर परिषद का 7 साल का कार्यकाल था, इन पूरे 7 साल चौ. मुख्तयार सिंह जी के साथ इसी सदन में बैठने का मौका मिला और साथ कार्य करने का मौका मिला। साथ कार्य करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी कांस्टिटयूएन्सी और उनकी कांस्टिटयूएन्सी बिल्कुल साथ में थी। बहुत मुद्दो पर कॉमन स्टैण्ड लेकर हमने साथ काम किया। मैंने उनके जीवन में देखा, सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने आब्जर्व की, वो थी उनकी सिम्पलिसिटी। बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। किसी तरह का कोई अभियान या छलकपट मैंने उनमें नहीं देखा। पब्लिक के बीच में रहकर उनकी बात को ही रखना है, ऐसे मैंने उनका कैरेक्टर देखा। ऐसे चौ. मुख्तयार सिंह जी सरल स्वभाव के होने के बावजूद पब्लिक की समस्याओं को अच्छे ढंग से विशेष रुप से गरीबों की, किसानों की और देहात की समस्या उठाने में बहुत अग्रणी रहे, और दिल्ली के सांसद रहे श्री राजेश खन्ना जी उनके बारे में बहुत कुछ टीवी पर देखने को लोगों को मिला, यहाँ भी बोला गया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने ख्याति प्राप्त की सिनेमा जगत में, वह सर्वविदित है, प्रशंसनीय है। जितनी तारीफ करें उनकी कला की, वह कम है, किन्तु इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद दिल्ली की पब्लिक के बीच में आकर वोट मांगने की कला भी उनसे सीखने लायक थी। क्योंकि जब उन्होंने चुनाव जीता, दो कलाकारों के बीच में चुनाव था। एक तरफ श्री शत्रुध्न सिन्हा थे और दूसरी

तरफ श्री राजेश खन्ना जी। मैंने दोनों के चुनाव अभियान को देखा, निकट से देखा। मैं समझता हूँ कि उस शख्स के अंदर कुछ ऐसी अलग से विशेषताएँ थी जो कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया, उसको नये ढंग से अच्छे ढंग से, इम्प्रेसिव ढंग से, करके हमेशा लोगों के दिल जीते हैं, ऐसे श्री राजेश खन्ना जी और चौ. मुख्तयार सिंह जी, जिनके प्रति आपने अपना शोक प्रस्ताव पेश किया है, मैं अपने आपको आपके द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव के साथ जोड़ता हूँ और परमिपता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें, ओउम शांति।

अध्यक्ष महोदय: अब हम दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान के लिए दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सदन द्वारा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन धारण)

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्नकाल होगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि कि प्रश्नकाल को सस्पेंड करके मुझे एक इश्यू यहाँ पर कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि शीला दीक्षित complaint againstच्यवधान......

The Delhi Court has said that complaint against the Chief Minister Mrs. Shiela Dikshit is maintainable.

 7	व्यवधा	न	•
---------------	--------	---	---

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय इनका ये आचरण सही नहीं है। इन्होंने लोक सभा नहीं चलने दी। ये विधान सभा भी नहीं चलने देना चाहते हैं। ये तय करके आये हैं। ये

अध्यक्ष	महोदय	किसी	मुद्दे	पर चन	र्जा नहीं	ं चाहते	हैं।	ये	मुद्दा	विहीन	पार्टी	है	और	इसको
रिजेक्ट	किया उ	जाये. इर	स पर	र रुलिंग	ा दी उ	जाये।								

ಕ	यवधान	****							
अध्यक्ष	महोदय:	हर्षवर्द्धन	जी, इसे	हटा दी	जिए। ये	नहीं	लाना	चाहिए	आपको।
		•••••	अं	तरबाधाएं	Ť	••••••	·•		
अध्यक्ष	महोदयः	आपको र	प्रदन में :	इस तरह	का पो	स्टर न	हीं ला	ना चाहि	हेए।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का आचरण ठीक नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है। यह Sub-judice matter है। हमारी सरकार के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। इनको नीचे बैठाइए।

.....अंतरबाधाएँ.....

	૭
अंतरबाधार	J
******************************	~~~~~~~~~~~

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। इनको बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकालिए।

•	ಲ			
 277770	TTTT			
उभाराकार	JII.			
 -1/1/11	-11 ->*****	******	*******	*****

अध्यक्ष महोदयः डॉक्टर हर्षवर्धन जी इसको रहने दीजिए। आप खड़े रहिए, नारे लगाइए। मगर यह मत करिए। आप खुद जानते हैं कि सदन में इस तरह का पोस्टर नहीं लाया जाता। आप इसको रख दीजिए। आप अपनी बात कहिए। लेकिन यह मत दिखाइए।अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थागित की जाती है।

सदन पुनः 2.50 बजे अपराहन समवेत हुआ अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानंद शास्त्री) पीठासीन हुए

अध्यक्ष महोदयः बैठिए।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, आप इस पर अपनी रुलिंग दीजिए। हम इस पर रुलिंग चाहते हैं। आप अपनी रुलिंग दें। यह जो मल्होत्रा जी ने किया है......अन्तर्बाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठिए। प्रो. साहब आपके पत्र पर व्यवस्था दे रहा हूँ। आपका जो पत्र आया है उस पर व्यवस्था दे रहा हूँ।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपसे परिमशन मांगी है मैंने कोई मोशन नहीं दिया है। I have not given any Motion. अध्यक्ष जी, मैंने कोई मोशन नहीं दिया.....व्यवधान......

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, ये किसकी इजाजत से बोल रहे हैं हम इस पर आपकी रुलिंग चाहते हैं, आप इनको बैठाइए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, मैंने कोई मोशन नहीं दिया है......

श्री मुकेश शर्मा- अध्यक्ष जी, हम आपकी रुलिंग सुनना चाहते हैं, आप इस पर अपनी रुलिंग दीजिए।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार कोई सदस्य बैठे हुए इशारे ना करे। राणा जी आप बैठिए। मानीय सदस्यगण, हमारे पास जो भी प्रस्ताव, रिक्वैस्ट, आदेश आप कुछ भी कहें, वह यदि आता है, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से तो कम से कम मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस पर थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूँ। उसके बाद आप जिस तरह चाहें.........

.
अन्तरबाधाएं

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, कोर्ट ने श्रीमती शीला दीक्षित जी के खिलाफ मामले को maintainable बताया है इसिलए उनको इस्तीफा देने की बात है और मुझे परिमशन दें कि मैं मामला यहाँ उठा सकूं, इसकी परिमशन आपसे मांगी है, क्वेश्चन आवर सस्पैंड करके मुझे यह सवाल उठाने दें। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इस पर व्यवस्था का सवाल ही नहीं है, आप परिमशन दें ना दें आपकी मर्जी है।

अध्यक्ष महोदय: देखिए, प्रो. साहब आपने लैटर लिखा है तो उस पर मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ आपको विशेषकर।

श्री साहब सिंह चौहान: अध्यक्ष जी, आपके पास किताब हैअर्न्तरबाधाएँ......

अध्यक्ष महोदयः हाँ, मैंने देखी है।

श्री अरिवन्दर सिंह लवली-अध्यक्ष जी, अपनी व्यवस्था तो देंगे, क्या आप उनको व्यवस्था देने से रोकेंगे।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं। आप अपनी व्यवस्था दीजिए। प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, मैंने केवल आपको इतनी बात लिखी कि क्वेश्चन आवर सस्पैंड करके मुझे श्रीमती शीला दीक्षित जी के बारे में जो कोर्ट ने कहा है कि maintainable है उनके इस्तीफे की बात उठाने की परिमशन दे दें, इसमें कौन सा सवाल है।

श्री	मुकेश	शर्माः	अध्यक्ष	जी,	ये	कौन	से	नियम	के	अंतर्गत	बोल	रहे	है
	2	ਪੁਜ਼ਰਗਿਆ	mř										

अध्यक्ष महोदय-आप बैठिए। अनिल जी बैठिए। आप छोटी सी बात को तूल मत दीजिए। प्रो. साहब ने जो कहा है वह कहा है, मैं दो लाइनें पढ़ रहा हूँ और उन्हीं की बात को पढ़ रहा हूँ। विधान सभा सिचवालय को माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज प्रश्नकाल को निलम्बित कर कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित व अन्य के खिलाफ कॉमन वैल्थ गेम्स 2010 के आयोजन में भ्रष्टाचार की शिकायत Maintainable पाये जाने के मामले को सदन में उठाना चाहते हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूँ कि उनका नोटिस किसी नियम के अन्तर्गत नहीं है। यह मामला ऐसा नहीं है जिस पर चर्चा करने के लिए प्रश्नकाल को निलम्बित किया जाये। प्रस्तुत मामला पहले ही न्यायालय के विचाराधीन है तथा विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 62 में यह स्पष्ट है कि कोई भी मामला जो कि statutory authority performing judicial functions के विचाराधीन हो उसे सदन में चर्चा हेतु स्वीकार नहीं किया जा सकता। अत: मैं उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

.....अन्तरबाधाएँ.....

व्यवधान

(सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी सदस्य अपने आसनों पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे)

व्यवधान

			•••••								
अध्यक्ष	महोदय:	सदन	की कार्य	वाही 1	.5 मि	नट के	लिए	स्थगित	की	जाती	है।
•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थागित की गयी।

सदन अपराहन 03-18 बजे पुनः समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

अंतरबाधाएँ

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, ये मल्होत्रा जी के साइन नहीं हैं और यह भ्रष्ट पार्टी है। गडकरी जी कोयला स्कैन्डल में शामिल हैं, आर.एस.एस. और बी.जे.पी शामिल है। ये भ्रष्ट लोग हैं। ये घटिया लोग हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। हम ने ऐसी भ्रष्ट पार्टी नहीं देखी। इनके ये साइन जाली हैं। इनके हाथ भ्रष्टाचार से रंगे हुए हैं। इनके ये साइन जाली हैं। गडकरी जी कोयला स्कैम में पूरे तरीके से शामिल हैं।

......अंतरबाधाएँ......

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष जी, यह तो सदन की अवमानना है।
अंतरबाधाएँ
श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके ये
बोर्ड हटवाइए। अध्यक्ष जी, यह आचरण ठीक नहीं है। ये लोकसभा की तरह आचरण कर
रहे हैं। आप इनको बाहर निकालिए। अध्यक्ष महोदय, इनका आचरण ठीक नहीं है। अध्यक्ष
महोदय, ये साइन जाली हैं।
अंतरबाधाएँ
श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, इनको अंदर भेजो। यह भ्रष्ट पार्टी है।
अंतरबाधाएँ
अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठ जायें। मारवाह साहब बैठ जाइए। राणा जी बैठ जाइए।
आप बैठ जाइए।
अंतरबाधाएँ
अध्यक्ष महोदयः धिंगान जी, बैठ जाओ। मुक्रेश जी, बैठ जाइए। डॉक्टर साहब
बैठिए। मैं खड़ा हूँ, आप बैठिए। गर्ग साहब बैठ जाइए।
अंतरबाधाएँ
श्री कंवर करण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें आपकी रुलिंग चाहिए।
अंतरबाधाएँ

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान पहले भी कई बार विधान सभा प्रक्रिया नियम 261 की और दिला चुका हूँ जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी स्पष्ट लिखा गया है कि सदन में नारे नहीं लगायेंगे, सदन में झण्डे, प्रतीक या कोई नमूना प्रदर्शित नहीं करेंगे। मेरा पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में उपरोक्त नियमों का पालन करें और अपनी बात को शालीनता से सदन में रखे और सदन की कार्यवाही को सुचारु रुप से चलाने में सहयोग देने की कृपा करें।

अंतरबाधाएँ
श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, वे फिर दिखा रहे हैं।
अंतरबाधाएँ
शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, ये इस तरीके से बोर्ड लेकर आ रहे हैं। य किसी भी तरह से उचित कार्रवाई नहीं है। यह सदन की अवमानना है।
अंतरबाधाएँ
श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष जी, इनका आचरण ठीक नहीं है।
शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, ये इतने सीनियर मेम्बर हैं।
अंतरबाधाएँ
श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, ये लोकसभा की तरह बहस नहीं चाहते हैं।
<u>अंतरताशामें</u>

अध्यक्ष महोदयः सुरेन्द्र जी बैठिए।

श्री तरिवन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, आपने अभी आदेश किया है, वे फिर भी नहीं मान रहे हैं।

.....अंतरबाधा.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल को स्थगित करो...... अंतरबाधा।

श्री मुकेश शर्मा: ये साइन किसके हैं..............अंतरबाधा।

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्राः प्राइम मिनिस्टर और सीएम दोनों को रिजाइन करना चाहिए, कोलगेट केस में, सारे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। प्राइम मिनिस्टर मिले हुए हैं, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए और सीएम को भी इस्तीफा देना चाहिए, यह हमारी मांग है।.......अंतरबाधा।

श्री मुकेश शर्माः साइन किसके है......अंतरबाधा।

(पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारे बाजी।)

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, यह मल्होत्रा जी के साइन नहीं है और यह भ्रष्ट पार्टी है, गडकरी जी कोयला स्कैम में शामिल हैं, बीजेपी शामिल हैं, यह भ्रष्ट लोग हैं, यह साइन इनके जाली हैं, गडकरी कोयला स्कैम में शामिल हैं यह आचरण सही नहीं है, यह साइन जाली हैं इनको अंदर भेजो अध्यक्ष जी, इनके जाली साइन हैं, यह देखिये यह गलत है, इनका आचरण सही नहीं है, इनका आचरण लोकसभा की तरह है, यह लोकसभा की तरह बहस नहीं चाहते हैं...........अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय: बैठ जाइये, राणा जी, धींगान जी, गर्ग साहब बैठिये मैं खड़ा हूँ, बैठ जाइये....अंतरबाधा। माननीय सदस्य, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान पहले भी नियम 261 की ओर दिला चुका हूं, उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी स्पष्ट लिखा गया है कि सदन में नारे नहीं लगाएंगे, सदन में झंडे, प्रतीक, पदर्शन नहीं करेंगे। मेरा पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में उपरौकत नियमों का पालन कर अपनी बात को शालीनता से सदन में रखे और सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग देने की कृपा करें.....अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः देखिये, प्रोफसर साहब, मैं आपसे विशेष रुप से प्रार्थना करना चाहूँगा कि व्यक्तिगत रुप से आप जितनी सदन की कार्यवाही के बारे में जानते हैं, कोई नहीं जानता, इसलिए मैंने विनम्र प्रार्थना की थी सदन को ठीक चलाने के लिए। मुझे दुःख इस बात का है, वो भी खड़े हुए, आप भी खड़े और सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात यह है, डॉ. हर्षवर्धन जैसा सीनियर साथी.............अंतरबाधा।

श्री रमाकांत गोस्वामी: अध्यक्ष जी. आपकी व्यवस्था देने के बाद भी।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, इनके जाली साइन हैं, यह देखिये यह गलत है, इनका आचारण सही नहीं है, इनका आचरण लोकसभा की तरह है, यह लोकसभा की तरह बहस नहीं चाहते हैं.............अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय: डॉ. साहब मैं आपकी बात को मानता हूँ, आपकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन आप कम से कम यह पट्ट मत लहराइएगा, आप तो सदन को मुझ से ज्यादा जानते हैं, सदन की कार्यवाही में ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, इनके जाली साइन है, यह देखिये यह गलत है, इनका

आचरण सही नहीं हैं, इनका आचरण लोकसभा की तरह है, यह लोकसभा की तरह बहस नहीं चाहते है.....अंतरबाधा।

श्री मुकेश शर्मा: यह भ्रष्ट पार्टी है, यह साइन किसके हैं, यह भ्रष्ट पार्टी, यह भ्रष्टाचार में इनके हाथ लगे हैं। अध्यक्ष जी, इनके जाली साइन हैं, यह देखिये यह गलत हैं, इनका आचारण सही नहीं है, इनका आचरण लोकसभा की तरह है, यह लोकसभा की तरह बहस नहीं चाहते हैं, इनकी पार्टी के नेता कोयला स्कैम में फंसे हैं, यह भ्रष्ट पार्टी है, नितिन गडकरी शामिल हैं, उनको कोयला खदाने दी गयी है, इनका आचरण ठीक नहीं है और यह लोकसभा की तरह तय करके आये हैं कि हाऊस नहीं चलने देंगे......अंतरबाधा।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे बाजी)

(पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी।)

विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हर्षवर्धन जी को नेम करो, अध्यक्ष महोदय, यह सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहते और आपकी रुलिंग के बाद भी किस तरह से प्लेकार्ड दिखा रहे हैं.................अंतरबाधा।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, जैसे लोकसभा नहीं चली, ये चाहते हैं कि विधान सभा नहीं चले, इनका आचरण वैसा ही यह नहीं चाहते कि लोक सभा चले, यह आपकी रुलिंग को नहीं मान रहे हैं, इनके नितिन गडकरी शामिल हैं, इनके आरएसएस के नेता शामिल हैं.............अंतरबाधा।

(विपक्ष के सदस्यो द्वारा नारेबाजी।)

अध्यक्ष महोदयः	कुलवंत	राणा	जी	को	नेम	कर	रहा	हूँ,	उनको	बाहर	ले	जाया	जाये।
अंतरबाधा।													

डॉ. हर्षवर्धनः अध्यक्ष जी, आपने वहाँ से किसी को नेम नहीं किया, वो भी तो खड़े हुए हैं......अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय: नारे नहीं लगा रहे हैं। आप में से भी अगर कोई नारे लगाएगा तो मैं उसको भी नेम कर दूंगा, यह ठीक बात नहीं है। सदन की कार्यवाही को ठीक से चलने दीजिए, एक सीमा होती है, हर बात की। कोई भी नारा नहीं लगना चाहिए।.........अंतरबाधा।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी यह इनका सुनियोजित षंडयंत्र है................अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः देखियें, प्रतिपक्ष के तीन वरिष्ठ सदस्यों का मैं विशेष रुप से सम्मान करता रहा हूँ, प्रोफेसर मल्होत्रा जी..........अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, वो लोग बोलते रहे, आपने किसी को नेम नहीं किया, वो सारे भी खड़े हो रहे थे, कागज लहरा रहे हैं, किसी को भी आपने चैक नहीं किया............अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः मैंने कभी भी प्रो. मल्होत्रा साहब, प्रोफसर मुखी, और डॉ. हर्षवर्धन जी को, सबको नेम कर दिया लेकिन इनको कभी नहीं किया.....अंतरबाधा।

डॉ. हर्षवर्धनः अध्यक्ष जी, बहुत बार आपने हमें नेम किया है और सदन से बाहर निकाला है, आप अपना रिकार्ड देखिये।.....अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः देखिये, जिस मामले को डॉ. हर्षवर्धन जी उठा रहे हैं, वो अदालत के विचाराधीन है, हमें यहाँ पर उस पर विचार नहीं करना चाहिए, ख्वामखाह, हमें इस पर वितंडा नहीं करना चाहिए। कोर्ट क्या निर्णय लेता है, यह आने वाला समय बतलाएगाअंतरबाधा। बंसल साहब बैठिए। देखिये यह बाद विवाद तो चलता रहेगा, दो दो पक्ष अड़े हुए हैं इसके लिए, मैं एक अलग बात कहना चाहूँगा और विशेषकर के प्रोफेसर मल्होत्रा साहब और हमारे जितने भी वरिष्ठ सदस्य इस बात को सही मानेगे, राष्ट्रमंडल खेलों में आपके नेतृत्व में जो टीमें गई उनमें बहुत से खिलाड़ी मेडल जीतकर के लाये, हमें उनका सम्मान करना चाहिए।

•
शनानाभा
अतरबाधा

डॉ. हर्षवर्द्धनः हमारा गुनाह क्या है, चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया हैं मैंने तो नहीं किया है। हमारी बीजेपी पार्टी ने तो नहीं किया है। हमारे विधायक दल ने तो नहीं किया है। चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भ्रष्ट है उनके खिलाफ चार्जेज maintainable है। हमारा क्या कसूर है बताइये हमको।

•				
अतरबाधा				

अध्यक्ष महोदय: देखिये, जिस मामले को डॉ. हर्षवर्द्धन जी उठा रहे हैं, वो अदालत के विचारधीन हैं, हमें यहाँ पर विचार नहीं करना चाहिए। ख्वामखाह इस पर हमें वितण्डा नहीं करना चाहिए। कोर्ट क्या निर्णय लेता हैं, यह आने वाला समय बतलाएगा।

•			
अतरबाधा.			
ઝલારબાબા.	 	 	

डॉ. हर्षवर्द्धनः सर, दिल्ली वालों का करोड़ों रुपया

•	
अतरबाधा	
ઝારબાબા	

अध्यक्ष महोदय: बंसल साहब, बैठिये। देखिये, यह वाद-विवाद तो चलता रहेगा, दोनों पक्ष अड़े हुये हैं इस बात के लिए। मैं एक अलग बात कहना चाहूँगा और विशेषकर के प्रो. मल्होत्रा साहब और हमारे जितने भी विरष्ठ सदस्य हैं वो उस बात को ठीक मानेंगे, राष्ट्रमंडल खेलों में आपने नेतृत्व में जो टीमें गई, उनमें बहुत सारे खिलाड़ी ओलंपिक मैडल जीतकर के लाये हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक प्रस्ताव हम कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। दिल्ली सरकार भी उनको पैसा दे रही है, आपकी ओलंपिक कमेटी ने भी दिया हैं और पूरा देश उनका सम्मान कर रहा है तो मैं चाहूँगा कि एक प्रस्ताव यहाँ पर आ जाए, चिलये मुकेश जी आप पढ़ दीजिये।

नियम-114 के अन्तर्गत बधाई प्रस्ताव

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 114 में बधाई प्रस्ताव पढ़ रहा हूँ कि यह सदन श्री सुशील कुमार व अन्य खिलाड़ियों द्वारा लंदन में ओलंपिक पदक जीतने एवं श्री उन्मुक्त चन्द के नेतृत्व में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को यह सदन हार्दिक बधाई देता है और साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करुंगा कि जैसे पहलवान सुशील कुमार जी को मुख्यमंत्री जी ने अवार्ड दिया है, क्रिकेट के हमारे अंडर-19 के जो विश्व कप के विजेता हैं, हमारे दिल्ली के प्लेयर है उन्मुक्त चन्द, आज विधान सभा भी आए थे मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने। हमारा आपसे अनुरोध है सारे सदन की तरफ से कि वो वर्ल्ड कप जीता है, दिल्ली का प्लेयर उसका कैप्टन था उन्मुक्त चन्द, मैं सुशील जी की तरह आपसे अनुरोध करुंगा कि उनके लिए यहाँ

पर एक अवार्ड घोषित करे कि उन्मुक्त चन्द को भी दिल्ली सरकार सम्मानित करे और यह बधाई प्रस्ताव है मेरा। मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री: Sir, with your permission, हम सब join करते है.......(व्यवधान)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव किसमें है, 280 में है किसमें है?
अध्यक्ष महोदय: प्रो. साहब मुख्यमंत्री जी एक मिनट बोल दें फिर आप बोलिये।
श्री श्याम लाल गर्ग: इस पर राजनीति कर रहे हैं आप।

मुख्यमंत्री: सर हमारे जो ये होनहार क्रिकेटर अंडर-19 कैप्टन जो दिल्ली के है उन्होंने जो वर्ल्ड कप जीता है उसको हम सब, यह सारा सदन बधाई देता है और एक apprectiation के तौर पर दिल्ली सरकार 25 लाख रुपया घोषित करती है। यह मैं कोई अवार्ड नहीं दे रही हूँ लेकिन appreciation कह रही हूँ।

•	
अतरब	TSTT
ઝા તરબ	I બા

अध्यक्ष महोदयः गर्ग साहब, एक मिनट।

Chief Minister: Please, you keep out of this. I am announcing something, Sir you do it, what you want to. I have said अवार्ड नहीं है........ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: गर्ग साहब, बोलने दीजिए, फिर आप बतला दीजिएगा।

मुख्यमंत्री: मैंने कहा कि यह appreciation है of twenty five lakh rupees. We are very proud of that boy.

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा साहब।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, यह जो इस समय प्रस्ताव की बात हुई है, क्योंकि यह विषय ऐसा है, जो सब के साथ जुड़ा हुआ है। ओलंपिक खेलों में पहली बार छह पदक जीते और उनका सब ने सम्मान किया, सारे देश ने। दो रजत पदक और चार कांस्य पदक पहली बार प्राप्त हुए हैं और 83 लोगों ने उसमें भाग लिया और वो क्वालिफाई करते हैं। अपने आप नहीं होते, आज कल बहुत किठन काम है क्वालिफाई करना भी, और कवालिफाई करके विश्व भर में पहली बार 83 लोगों ने क्वालिफाई करके उसमें हिस्सा लिया। 10 लोगों ने पैरालंपिक में भी हिस्सा लिया और उन सब को सारे देश ने बधाई दी है, सदन भी बधाई दे रहा है यह बहुत अच्छी बात है और इसके साथ हम सब उसका समर्थन भी करते हैं। मुझे उनके साथ जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने अभी एक बात कहीं है और वो वर्ल्ड कप जीतने के बारे में उसमें सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर उसको कॉलेज में दाखिला लेने में काफी किठनाई आई और किठनाई.......(व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः एग्जाम पास नहीं करा, उसमें आई। प्लीज विजय कुमार जी आप अपने फैक्ट्स ठीक रखा करिये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः मैं वही बात कह रहा हूँ उसमें वहाँ पर कहना पड़ा सब को बाद में उसको दाखिला मिल गया। परन्तु एकेडमिक......(व्यवधान)

मुख्यमंत्री: दाखिला नहीं, उसको एग्जाम देने की इजाजत मिल गई।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः एग्जाम देने की परिमशन मिल गई वही कह रहा हूँ सेकेंड ईयर में। आप क्यों इस बात पर नाराज हो रही हैं बिना बात के। मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि academic excellence और sports excellence इनको बराबर रखना चाहिए। यह मामला केवल उनका नहीं है उसमें लिख दिया rarest of rare case की वजह से इनको हम सेकैंड ईयर में जाने देना चाहते हैं। कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, कुश्ती का हो, किसी का भी हो अगर कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है तो उसके हो ही नहीं सकते वहाँ पर दाखिले के पूरे नियम नहीं हो सकते। इसलिए एक नियम बना देना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी आदमी इंटरनेशनल कम्पीटिशन, नेशनल कम्पीटिशन, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ किसी भी खेल में या किसी कोचिंग कैम्प में जाएगा he should be treated on duty. और उसको कोई कॉलेज कहीं पर दाखिला न रोके, कई लड़कों के दाखिले पहले रोके गए हैं। वहाँ पर उनको इम्तिहान देने की परिमशन नहीं दी गई इम्तिहान देने की परंतु ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है आगे न हो यह नियम बना देना चाहिए इसमें किसी को क्या आपित हो सकती है कि वहाँ पर चाहे वो कोचिंग कैम्प जाये या कहीं भी जाये......(व्यवधान)।

मुख्यमंत्री: Sir, I have a point of order.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः यह केन्द्र को बनाना पड़ेगा केवल आपके करने से नहीं होगा। केन्द्र को सारे हिंदुस्तान के लिये बना देना चाहिये अगर एम्प्लाई है एयर इंडिया में काम करता है एक महीने की छुट्टी देते हैं उसको छह महीने खेलना पड़ता है, कोचिंग कैम्प में जाना पड़ता है तो इन सब बातों पर केन्द्र नियम बना लें इसके लिए रिक्वेस्ट करने की बात हैं उसमें कोई पोलिटिक्स नहीं कर रहे, हमारी सरकार के टाइम पर भी यह पूरा नियम नहीं बन पाया था, एक नियम हो जाना चाहिये कि कोई भी आदमी जो स्पोर्ट्स में कोचिंग कैम्प में जाये, किसी कम्पीटिशन में जाये he should be treated on duty. और यह उसमें से कर देना चाहिये। आप न माने, मैंने अपना सुझाव रखा है और इसमें हम बहस नहीं कर रहे, आप चाहे तो किसी समय इस पर बहस कर लीजिए।

मुख्यमंत्री: सर, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूँ कि फैक्ट्स को Twist करना ठीक नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी नंबर 1, सेंट स्टिफन कॉलेज जिसका यह हादसा हुआ है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, उसके नियम हैं, उसने अपने नियम के अनुसार किया। अगर जो इस लड़के को मौका दिया गया कि यह एग्जाम दे सके तो वो माननीय किपल सिब्बल हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर ने यह ऑर्डर दिया और वहाँ के वाइस चांसलर दीपक जी ने उसको स्वीकार किया और यह बात हुई। आप यहाँ बैठ कर कह रहे हैं कि हम सारी यूनिवर्सिटीज को यह कह दे, हमारा अधिकार हमारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर है, केरल, आंध्र और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर हमारा अधिकार नहीं है।

हमारा अधिकार हमारी यूनिवर्सिटीज के उपर है, केरल ओर आन्ध्रा की और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज पर हमारा अधिकार नहीं है। अगर आप यह कहना चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट को चलने दीजिए, आप वहाँ पर यह सुझाव दीजिए। क्यों नहीं देते हैं आप। वह बात नहीं करेंगे। मैंने आपको टोका नहीं, प्लीज प्लीज so, don't twist facts, Sir, and, as I have said that this is somethig we are very proud of. The young boy has done Delhi proud, he has done India proud and only as a token of our appreciation, not an award, of twenty five lakh rupees and, Sir, please get your facts clear और जो आपको इतनी चिंता है इन स्टूड़ेंट्स की, खिलाड़ियों की तो आप पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। आप पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते हैं और यहाँ भी आप यही कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली असैम्बली भी चलने न दें। क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है सिवाय placards उठा कर, यह साबित हो गया कि यह है। आप यहाँ पर प्रमाण लेकर आइए, हम डिस्कश करने के लिए तैयार हैं........व्यवधान Sir, I beg your pardon............ व्यवधान, आप प्रमाण लेकर आइए, माननीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि matter subjudiced है इसके बावजूद आप प्रमाण लेकर आइए

और हम डिस्कश करेंगे, पर आप डिस्कशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ डिस्कश करने को है ही नहीं...........व्यवधान।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, यहाँ पर मैंने एक बात कही थी, यहाँ पर xxx को कहना पड़ा, जबरदस्ती उनको जाना पड़ा, गलत तरीके से हुआ है।........मैं आपसे कह रहा था, एक उन्होंने कहा कि rarest of rare cases है। मैं आपसे यही अपील करना चाहता था, आप कहती हैं कि सारे हिन्दुस्तान में लागू नहीं हो सकता। वे सारे हिन्दुस्तान के मिनिस्टर हैं, यहाँ कह सकते हैं तो वहाँ भी कह सकते हैं, उसको छोड़िए, परन्तु शीला दीक्षित जी ने यह जो कह दिया पार्लियामेंट जाइए, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, हम सारे हिन्दुस्तान को लूटने की इजाजत दे दें और वहाँ पार्लियामेंट में बैठे तमाशा देखते रहें। scam के बाद scam के बाद scam होते चले जा रहे हैं। एक scam नहीं है, कॉलगेट से लेकर सारा हिन्दुस्तान इस समय परेशान हो रहा है। सारे हिन्दुस्तान में कठिनाई पैदा हो रही है। इस मामले को उसके साथ जोड़ कर बच्चों ने जो इनाम जीते है उन पर भी पानी फरे दिया है, कालगेट का नाम ले करके और पार्लियामेंट का नाम ले करके। अध्यक्ष जी............ अन्तर्बाधाएँ................

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, यह मामला बीच में आ गया, हमने स्वीकार कर लिया, आपकी बात आ गई उसको भी स्वीकार कर लिया और उसके कारण से , परन्तु श्रीमती शीला दीक्षित जी ने इस्तीफा नहीं दिया, हम इसके प्रोटेस्ट में वाक-आउट करते हैं, हम इस बात को सड़कों पर ले जाएंगे और सारी दिल्ली में भी उठाते रहेंगे और भी तरीकों से उठाते रहेंगे।

⁽XXX (चिन्हित अंश) अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही निकाले गये)।

(विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाक-आउट किया)

अध्यक्ष महोदय: श्री श्यामलाल गर्ग जी आप बोलिए।

श्री अरविन्दर सिंह लवली: अध्यक्ष जी, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं.............ये किस नियम में बोल रहे हैं...........

श्री श्यामलाल गर्ग: मैं अध्यक्ष जी की अनुमित से बोल रहा हूँ। आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं..........व्यवधान

श्री अरिवन्दर सिंह लवली: मैं अध्यक्ष जी को कह रहा हूँ आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ।

श्री श्यामलाल गर्ग: आपको मैं अच्छी बात बता रहा हूँ आप इसको सीखो। इनको

सीखने की कोशिश करो। मैं आपकी सरकार के लिए सुझाव दे रहा हूँ इससे आपका ही सम्मान बढ़ेगा। आप मुझे सुनना क्यों नहीं चाह रहे।...........व्यवधान

श्री अरिवन्दर सिंह लवली: अध्यक्ष जी, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं उसे रिकार्ड से निकालना चाहिए, इनकी बात का कोई रेलेवैंश नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, जो मर्जी बोले जा रहे हैं।..........च्यवधान

श्री श्यामलाल गर्गः Will you teach me? आप मुझे सिखाओंगे?

श्री अरिवन्दर सिंह लवली: आप की अभी फर्स्ट टर्म हैं, हम सिखा भी सकते हैं। आपको सीखने की जरुरत भी है। आप कभी आइएगा........व्यवधान

श्री श्यामलाल गर्गः अध्यक्ष जी, मैं आपकी परिमशन से बोल रहा हूँ, कम से कम मंत्रियों को इतनी गरिमा रखनी चाहिए कि जब कोई सदस्य बोलते हैं तो वे बीच में इंटरिफयर ना करें। अध्यक्ष जी, आपको सदस्यों को संरक्षण देना चाहिए, विशेष रुप से जो विरोधी दल के सदस्य हैं उनको आपका संरक्षण चाहिए। मंत्री तो कम से कम इस प्रकार से आपकी मर्यादा को खराब ना करें........व्यवधान

अध्यक्ष महोदय: गर्ग साहब, थोड़ा शार्ट कर दीजिए।

श्री श्यामलाल गर्ग: अध्यक्ष जी, अभी खत्म कर रहा हूँ। अपने देश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, हमारे देश के बच्चे/खिलाड़ी दुनिया में किसी से कम नहीं हैं, उनमें सब तरह की योग्यता है। अगर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, उनको हर प्रकार की सुविधाएँ मिलें तो मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि हमारे खिलाड़ी गोल्ड मैडल भी जीत कर आ सकते हैं। जब चीन जैसे देश इतने गोल्ड मैंडल जीतेंगे तो हमारे खिलाड़ी क्यों नहीं

जीत कर आ सकते। मैं यह कहना चाह रहा हूँ आपको विजय कुमार मल्होत्रा जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी वजह से यह जीत कर आए हैं। आप संकुचित राजनीति की वजह से नहीं करना चाहते। खेल में मन, वचन, कर्म से शुद्धता रहनी चाहिए। अगर खिलाड़ियों के मामले में हम शुद्ध होंगे तो खिलाड़ी भी देश का नाम रोशन करेंगे। हमे अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा एक करोड़ रुपया इनाम के रुप में दे सकता हैं तो दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके लिए 25 लाख देने का यहाँ कोई लॉजिक नहीं है। हम सबके लिए यह बहुत शर्म की बात है, इसको कम से कम एक करोड़ करेंगे तो मैं मुख्यमंत्री साहिबा का धन्यवाद करुंगा।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है गर्ग साहब, धन्यवाद।

श्री श्यामलाल गर्ग: अध्यक्ष जी, मैं भी इसके विरोध में वाक-आउट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः श्री तरविन्दर सिंह मारवाह।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरा एक प्वाइंट है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: मुकेश जी अब किसी और को भी बोलने दो। कमाल है।

अध्यक्ष महोदयः बोलिए।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जिस अदालत के निर्णय की बात कर रहे थे, वह इनका जो एक आरटीआई एक्सपर्ट है, वह भाजपा के आरटीआई सैल का चेयरमैन है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से आज लोकसभा के अन्दर भारतीय जनता पार्टी action कर रही है, उसी तरीके से भाजपा एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत अदालतों का सहारा लेकर देश में और दिल्ली में अस्थिरता का वातावरण पैदा करना

चाह रही है इसकी कड़े शब्दों में निन्दा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ये साइन प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा साहब के नहीं हैं। हम भी पिछले 4 साल से उनके साइन देख रहे हैं, इस एप्लीकेशन/मोशन पर उनके दस्तखत नहीं हैं। इनके दस्तखत पर इसकी जाँच करवाई जाये और विधान सभा इसकी जाँच करवाये और इसकी जाँच करने के बाद, इसकी रिपोर्ट सदन पटल पर आये। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सुबह से पूरे तरीके से ये तय करके आई हुई है कि लोक सभा की तरह दिल्ली विधान सभा में भी किसी विषय पर चर्चा न हो। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन नारेबाजी इन्होंने शुरु की और जो बधाई प्रस्ताव था, उस तक पर इन्होंने राजनीति की है। अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-114 में एक और प्रस्ताव रखने की आपसे अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: अभी उहरिये। आपने जो इन्क्वारी कराने की बात की है। उसको हम करायेंगे और यदि कोई दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पहले दो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मैं कह रहा हूँ। फिर इस पर आगे बात चलेगी। कंवर करण सिंह।

समितियों के प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

कंवर करण सिह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमित से कार्यमंत्रणा समिति का 11 वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः अब श्री कंवर करण सिंह सूची में दिया गया दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

कंवर करण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै आपको अनुमित से गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी सिमिति का 11 वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा-619(ए) के अनुपालन में दिल्ली परिवहन एवं विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की हिंदी, अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखेंगी।

Chief Minister: Sir, with your permission, I beg to lay the copy of the Annual Report of DTTDC for the year 2010&11 in compliance with the Section 619(A) of the Compnies Act, 1956, both English and Hindi versions.

अध्यक्ष महोदयः अब श्री रमाकान्त गोस्वामी, परिवहन मंत्री अपने विभाग से संबंधित कागजातों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमित से 1) वर्ष 2010-11 के लिए दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट का लेखा प्रतिवेदन (हिंदी अंग्रेजी प्रति)

वर्ष 2010-11 के लिए दिल्ली परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी अंग्रेजी प्रति) व 3) वर्ष 2010-11 के लिए दिल्ली परिवहन निगम कार्यप्रणाली की समीक्षा की हिंदी/अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: अब जो भी वक्ता बोलें, वे दो-तीन मिनट में अपनी बात रखें। जो प्रस्ताव मुकेश शर्मा जी ने रखा है, उस पर बोलेंगे। श्री तरविन्दर सिंह मारवाह।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आज सुबह से आप देख रहे हैं। मैं उस पर तो बाद में जाऊँगा। पहले मैं 4-5 मिनट मैं ये जरुर कहुँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल, आपने कितनी बार आदेश दिया और आपने कहा कि ये तिख्तयां बाहर ले जाओ। आपने कहा नारेबाजी नहीं, जो यहाँ पर सदस्य नहीं है, उनके खिलाफ नारेबाजी, फिर भी आपने बड़ी सहनशीलता से बड़े सोच समझ कर उनको समय दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं दावे से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछले तीन साल से लगातार वैसे तो आज विजय कुमार मल्होत्रा जी की स्टेटमैन्ट पढ़ों, नव भारत टाइम्स में, पंजाब केसरी में, उसमें इन्होंने लिखा है कि चार दिन की विधान सभा होने जा रही है और चार दिन की विधान सभा से काम काज पूरा नहीं होता और इसको बढ़ाया जाये। या तो आप पेपरों में बात करते हैं, यहाँ पर विधान सभा चलने नहीं देते और सुबह पेपरों में कुछ कहते हैं। यहाँ कुछ कहते हैं। जो अपना नकली सर्टिफिट/साइन देते हैं। इनके पास इतना समय नहीं है कि किसी प्रस्ताव पर कोई सिग्नेचर करने हैं, किसी को फोन करके ये कह देते हैं, सिग्नेचर कर देना। अध्यक्ष महोदय, ये कहाँ लिखा हुआ है? अध्यक्ष महोदय, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सुबह ये पूरी प्लानिंग करके आते हैं और मुकेश जी ने जो बात कहीं हैं कि ये मजिस्ट्रेटों से मिलकर, कोर्टस से मिलकर, हमारी सीएजी जो पार्लियामैन्ट मे भी सबसे गैंग बना हुआ है कि किसी तरह कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाये, किसी तरह सदन की नेता को बदनाम किया जाये और उससे इनको कुछ हासिल नहीं होना। मैं अध्यक्ष महोदय, आपको सिर्फ यही कहूँगा कि इन पर नरमी न बरतें। आपको जो अध्यक्ष पद मिला हुआ है और जो आप इस पर ऑर्डर करें। उस पर इनको सख्ती से मनाया जाये क्योंकि ये बार बार तीन साल का कोरम निकाल लो आप। यहाँ पर कोरम के समय छिपे रहते हैं। जैसे इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, विधान सभा चलाने की। बाहर छिपे रहते हैं, जब हम पूरे हो जाते हैं, तब भागते अंदर आ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये शोभा नहीं देता।

अब आ गई ओलम्पिंक खिलाड़ियों की बात। उसमें दो रजत, 6 कांस्य लेकिन अध्यक्ष महोदय,.........में स्पोर्ट्स की कह रहा हूँ। कालोनियों पर अभी पता है न जी कि अभी वो दुबारा आयेगा। वह तो मुकेश शर्मा जी ने लेकर पहले ही पढ़ दिया, अब आना क्या है?

अध्यक्ष महोदय, मैं तो मुख्यमंत्री जी को ये कहूँगा कि खिलाड़ियों के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। उनको जितना भी प्रोत्साहन दे सकें, कम है। उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें, अभी अण्डर-19 जो हमारे वर्ल्ड चैम्पियन बनकर आये हैं, मुकेश शर्मा जी आज उनको साथ लेकर आये हैं और जो कप्तान हैं, उनको हौसला देना चाहिए और किपल सिब्बल जी का भी धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री का भी कि इसको पेपरों में बैठने की इजाजत दी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरुर कहूँगा कि हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा इनाम देने चाहिए और उनको शाबाशी देनी चाहिए जिससे कि वे आगे और तरक्की करें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अनिल चौधरी: अध्यक्ष जी, आज इस सदन के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से दिल्ली के युवा, प्रतिभाशाली क्रिकेटर अण्डर 19 के वर्ल्ड चैम्पियन के कप्तान उन्मुक्त चन्द जी को जिस तरह से हौसला अफजाही के लिए 25 लाख रुपए की राशि के लिए एलान किया है। मैं उन्मुक्त चन्द जी को भारत की तरफ से कैप्टेन के बतौर

विजय दिलाने पर बधाई देता हूँ। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को खास तौर से जिन्होंने आज इस प्रतिभा को हौसला अफजाही के लिए 25 लाख रुपए दिया है, इससे उन तमाम नौजवानों के अंदर हौसला अफजाही होगी। जो उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए आगे अग्रसारित हैं। मैं साथ ही साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री और हमारे अभी बेशक से डिपार्टमेंट चेन्ज हो गया है, लवली जी को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि ये उन्मुक्त चंद उस ग्राउन्ड की देन है जो ग्राउन्ड दिल्ली सरकार का है और उसके कोच भारद्वाज जी हैं जिनकी अट्ट मेहनत के बाद ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे को आज ओरबिस के अंदर एक नाम और एक पहचान दी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस सदन के माध्यम से एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि इस टीम में और भी कोई दिल्ली का प्लेयर है तो आप उसको भी हौसला अफजाही के लिए कुछ राशि जरुर तय करें क्योंकि दिल्ली का इतिहस रहा है कि क्रिकेट ही नहीं. किसी भी फिल्ड में हमेशा दिल्ली के खिलाडियों ने दिल्ली का नाम रोशन किया है। यदि और भी कोई इस तरह का खिलाड़ी इस टीम में है तो उसके लिए भी आप इस तरह की हौसला अफजाही के लिए कुछ राशि की घोषणा अवश्य करें। साथ ही साथ कोच साहब के लिए भी मैं मैंडम से विनती करुंगा कि जिन हालातों में भारत नगर स्पोर्टस कंप्लैक्स के अंदर आपके स्कूल के अंदर एक क्रिकेट अकादमी का आयोजन चल रहा है और उसमें एक बहुत अच्छे कैम्प का आयोजन होता है। उस कोच का भी सम्मान दिल्ली सरकार के द्वारा एक हौसला अफजाही के रुप में होना चाहिए। यही मेरी विनती है और खास तौर से मैं उन्मुक्त चन्द को मैं विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमारे यमुना पार का नाम रोशन किया है। मेरे मयूर विहार क्षेत्र का वो बच्चा है और आज उस बच्चे ने मेरे मयूर विहार का नाम रोशन किया है। मैं इस सदन के द्वारा उस उन्मुक्त चन्द को बधाई देता हूँ और उसके माता पिता को बधाई देता हूँ। आपका धन्यवाद, जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदयः श्री बिट्टू जी।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह बिट्टू: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे लंदन में ओलम्पिक्स में दिल्ली के लोग जीतकर आए प्लेयर्स और जो क्रिकेट में जीते हैं। उनका उन्होंने जो सम्मान किया है। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अनिल जी से अपनी बात को जोड़ना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी यह हमारा जो बच्चा, जिसको आपने appreciation किया है। इसको तैयार करने में हमारे कोच संजय भारद्वाज जी ने, जो पहले भी गौतम गंभीर और अमित मिश्रा जैसे बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स जो पहले वर्ल्ड कप जीतकर आये थे। उन्होंने तैयारी कराई थी। उस कोच के लिए कुछ न कुछ appreciation जिनकी बदौलत आज ये हमारे बच्चे उस academy के through बहुत अगे बढ़ रहे है और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे है। मैं उम्मीद करुंगा कि आप उस पर विचार करते हुए चाहे आप कुछ भी उन्हों देंगे। शायद हमारे कोच का सीना तो जहाँ इन बच्चों के कप जीतने से बहुत बड़ा होता ही है। वो appreciation उनके मैडम बहुत काम आयेगा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

36

अध्यक्ष महोदयः भारद्वाज जी।

श्री अनिल भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, जो प्रस्ताव हमारे ओलम्पिक के पदक विजेता हों या participants के लिए और साथ ही साथ 19 वर्ष से कम आयु के जो क्रिकेटर विश्व कप जीतकर आए। उनकी बधाई के लिए प्रस्ताव श्री मुकेश शर्मा जी लाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उसका समर्थन करता हूँ और मुझ से पहले जो भावनाएँ खिलाड़ियों के लिए व्यक्त की हैं उनसे अपने आपको जोड़ता हूँ। लन्दन ओलम्पिक में जो भारत का 6 मेडल का जो रिकॉर्ड रहा। अध्यक्ष महोदय, उसमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो दो खिलाड़ी सुशील कुमार जी और खेल रत्न श्री योगेश्वर दत्त इन दोनों खिलाड़ियों की परवरिश जो हमारे रैसलर हैं। इनकी परवरिश और इनकी ट्रेनिंग दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में हुई। ये दोनों खिलाड़ी

दिल्ली से जुड़े हुए हैं और जो सुविधा दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री के माध्यम से दिल्ली के स्पोर्ट्स विभाग ने इनको उपलब्ध कराई। इसीलिए यह संभव हो पाया कि दिल्ली के दो खिलाड़ी सुशील कुमार जी और श्री योगेश्वर दत्त मैडल जीत पाए। साथ ही साथ जिस तरह का infrastructure sports के लिए जिन कॉमन वैल्थ गेम्स के लिए ये ऊँगली उठाते हैं। उन कॉमन वैल्थ में दिल्ली की सरकार ने मेहनत करके आने वाले वर्षो तक के लिए खिलाड़ियों को उपलब्ध करायी। उससे निश्चित तौर पर आगे भी खिलाड़ी तैयार होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। लेकिन हमारे जो 19 वर्षीय क्रिकेटर्स को जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने appreciation किया। मैं कोच साहब के लिए तो बिल्कुल अपने आपको जोड़ता हूँ कि संजय जी ने जिस तरह उस sports complex में वो भी हमारी सरकार की देन है, हमारी मुख्यमंत्री जी ने उस sports complex का उद्घाटन किया था और उसमें सबसे पहली जरुरत मुख्यमंत्री जी यह है कि संजय जी अभी भी टेम्परेरी कोच है जिनको सात साल से रेगूलर नहीं किया गया। सब से पहले तो आप एक आदेश से मुख्यमंत्री जी उनको रेगूलर कम से कम कर दें। उनको एक appreciation भी मिलना चाहिए और श्री योगेश्वर दत्त जिनको भारत सरकार की और से खेल रत्न मिला है। वो दिल्ली से जुड़े रहे। उनका राशन कार्ड भी दिल्ली का है। वो दिल्ली के किराड़ी में पले, बढे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि खिलाड़ी सुशील कुमार जी के साथ, हमारे खेल रत्न श्री योगेश्वर दत्त छत्रसाल स्टेलियम से हैं। उनका भी सम्मान किया जाए और मुख्यमंत्री जी जो सुविधाएँ आपने sports के लिए खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई हैं। निश्चित तौर पर भारत का और दिल्ली का नाम आगे आने वाले समय में रोशन होगा और यह हमारी सरकार की मेहनत का एक प्रतिफल है जो आगे आने वाले समय में खिलाड़ियों को उस infrastructure को उन खेल स्टेडियमों को, उन सुविधाओं को उपयोग कर पायेंगे। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

अध्यख महोदयः श्री हरिशंकर गुप्ता जी।

श्री हरिशंकर गुप्ता: अध्यक्ष जी, मैं श्री मुकेश शर्मा जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री के माध्यम से जो आज दिल्ली के वर्ल्ड कप 19 से नीचे के जो लोग जीतकर आये हैं। आज उनके कैप्टेन को और पूरी क्रिकेट बिरादरी को इस बात की बधाई दी है, अभिनन्दन किया है और सदैव से ही हमारी मुख्यमंत्री की एक खेल के प्रति जो भावना रही है। उसके अनुरुप उन्होंने जाकर cash incentive देकर हौसला अफजाही की है। मैं इसमें अपने पूर्व वक्ताओं के साथ अपनी बात को जोड़ते हुए यह निवेदन करना चाहुँगा कि क्रिकेट एक टीम एफर्ट है। उसमें जितने भी क्रिकेट के प्लेयर्स टीम में होते हैं। उन सब का समान रूप से योगदान रहता है। संजय भारद्वाज जी वास्तव में एक होनहार कोच हैं और भारत नगर स्कूल जो मेरी constituency में आता है। उसमें क्रिकेट एकेडेमी चलाते हैं। हमारे पहले एजूकेशन मिनिस्टर लवली जी उनका भी उसमें बड़ा योगदान रहा है। हमारे MLAs के और पत्रकारों के जो क्रिकेट मैच होते थे। वो भी हमेशा से उसी स्कूल में होते रहे हैं। उनका सम्मान भी इसी तरीके से होना चाहिए। दूसरा एक प्लेयर जो उसी टीम में था। मैंने मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रुप से भी निवेदन किया है। विकास मिश्रा जो दिल्ली के दो बच्चे उन्मुक्त चन्द और विकास मिश्रा ये दोनों ही उस क्रिकेट टीम के सदस्य थे, जिन्होंने मैच खेले हैं। वो भी मेरी constituency केशव पुरम में रहता है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा है। इस मौके पर उसको कोई भी आर्थिक सहायता उसको बहुत आगे तक ले जायेगी। उसकी बहुत भारी मदद होगी। मेरा निवेदन है कि आप इस पर भी विचार करें और उस बच्चे को भी cash incentive देकर हौसला अफजाही करें। आपने मुझे समय दिया। उसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: अभी कई सदस्य बोलने वाले हैं। सुरेन्द्र जी हैं, चौहान साहब हैं, धिंगान साहब हैं, निलोठिया जी और कई सदस्य हैं। हम नहीं दे पा रहे, माफी चाहेंगे। अब आधा घंटा के लिए टी ब्रेक किया जाता है।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही टी ब्रेक के लिए आधे घंटे के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराहन 4:40 पर पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय डॉ. योगानंद शास्त्री पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, सदन बिजली व्यवस्था पर चर्चा करे, उससे पहले नियम 114 अंतर्गत एक प्रस्ताव आया है, उसको खाली पढ़ना है। कोई उस पर बोलेगा नहीं क्योंकि बिजली का मामला ज्यादा महत्वपूर्ण है।

डॉ. जगदीश मुखी: सर, एजेंडे में नहीं है, It is your prerogative, Sir we do agree, You can always accept the proposal but that will come after this agenda not before that. Already your agenda is fixed. If you want to deviate from the agenda on some major issue, you can do it. But, in the normal course आपके पास प्रस्ताव आया है उसको आप भेजों It is a normal practice also.

अध्यक्ष महोदयः नहीं डॉ. साहब यह पहले से आया है। आपके आज के एजेंडे में तो नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः हो सकता है छूट गया हो।

डॉ. जगदीश मुखी: सर, अगर पहले से आया है तो उसको बाद में रखना चाहिए और अगर बाद में आया है तो नार्मल एजेंडे के बाद उसको लाना चाहिए। We do not know what is the resolution? किन्तु जो भी आप प्रस्ताव ला रहे हैं, उसे आप नार्मल एजेंडा के बाद लाइये।

अध्यक्ष महोदय: नहीं छोड़िए......अंतरबाधा।

श्री रमाकांत गोस्वामी: सर, 114 में दे सकते हैं

डॉ. जगदीश मुखी: आपका prerogative है we do agree with this, Sir, but, if it has been brought earlier than that, it should have been brought in the part of the agenda or else, thereafter, you can include it.

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात ठीक है लेकिन ऐसी व्यवस्था बन गयी है, यह एजेंडा आगे पीछे हो गया होगा। मैं श्री मुकेश शर्मा जी से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहूँगा।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, यूपीए की अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, केंद्रीय विकास मंत्री श्री कमलनाथ एवं दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा दिल्ली की 917 अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के ऐतिहासिक फैसले का यह सदन स्वागत करता है और उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए दिल्ली वासियों को यह सदन हार्दिक बधाई देता है, यह मेरा बधाई प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, बहुत ही अजीब बात हो रही है जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम लेना और उनके नाम से मैंने कहा था उनके नाम से फर्जीवाडा किया गया है उनको गल्त बिठाया गया है, आपने मना किया था कि उनका नाम मत लीजिए, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर फर्जीवाडा कैसे किया, कैसे सर्टिफिकेट बांट दिए, जब हम उनका मामला उठाते है तो कहते है कि नाम मत लो। उन पर तो मुकदमा चलाना चाहिए।

श्री साहब सिंह चौहान: यह सदन जानना चाहता है। अभी जोनल नक्शे पास नहीं हुए......अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः लवली जी, क्या आप सदन को बतापा चाहेंगे कि कालोनियाँ पास हुई या नहीं।

डॉ. जगदीश मुखी: सर, आपने कहा कि डिस्कशन नहीं करेंगे, आपने सदन के अंदर वक्तव्य दिया है, हम इन ऑड परिस्थियों में आया है, इसे रख देंगे, चर्चा नहीं करेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, आप चर्चा प्रारंभ करा रहे हैं। आप मंत्री जी को बोल रहे हैं, मैं भी बोलना चाहूँगा, इसका मतलब यह है यह सदन बिजली पर चर्चा नहीं करना चाहता।

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय: नहीं आप मतलब मत निकालिए। दोनों तरफ के सदस्य कह रहे हैं इसलिए पूछा। आपको आपित है तो मैं नहीं पूछता हूँ। अब प्रो. जगदीश मुखी, मनोज कुमार, श्री रमेश बिधुड़ी की तरफ से अल्पकालिक चर्चा प्रारंभ की जाएगी। चर्चा का विषय है-निजी बिजली वितरण कंपनियों के निरंतर बढते मुनाफ के बावजूद बिजली की दरें

बढाने, कंपनियों की मनमानी व सरकार की लाचारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। मैं प्रो. मुखी साहब से कहूँगा कि वे चर्चा शुरु करें।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय I feel honoured that you have allowed me to initiate discussion on the most burning issue in the city today i.e. the bills of power which have gone up by six times means six hundred percent increase after the privatization of distribution of electricity. अध्यक्ष महोदय मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि आम आदमी बिल की मात्रा को देखकर के इतना बुरी तरह से परेशान है, हैरान है, त्रस्त है, बुरी तरह से, आज वो सोच नहीं पा रहा कि मैं करु तो करु क्या, दिल्ली छोड़ जाऊ, दिल्ली में रहूँ तो खाऊँ क्या, मेरी जो तनख्वाह है उसका आधा केवल मात्र बिजली के बिल का पेमेंट कर दूँ तो मैं बच्चों को कहाँ से दो टाइम की रोटी खिलाऊँ। ऐसी स्थिति किसी भी विषय पर दिल्ली में नहीं देखी। आज महंगाई पहले से ही मुँह फाडे खडी हुई है, साधारण व्यक्ति को जो आपकी मिनिमम वेज है सात सौ से कुछ ऊपर है।

वो उन्हें मिलता नहीं, मिनिमम वेज से 300 रुपये कम पर जितनी लेबर चाहिए, आज सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट हो रही है। अब यदि 5000 रुपये, 4000 रुपये मंथली इनकम होगी और बिजली का बिल झुग्गी के अंदर रहने वाले का वो 1 हजार रुपये से बढ़कर के अब 1600 रुपये हो गया। वो क्या बिजली का बिल पे करेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है यह ऐसी असंवेदनशील सरकार है जिन पर पब्लिक की बात का कोई असर नहीं, अपोजिशन के सुझाव का कोई असर नहीं, केवल मात्र दंभ के अंदर जी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, श्रीमती शीला दीक्षित ने एक अभियान चलाया है कि हम दिल्ली को कैरोसीन मुक्त सिटी बनायेंगे। बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि वो पोलिटिकल स्टंट है, केवल मात्र मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ आज कैरोसीन इस्तेमाल करने वालों

की संख्या पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है कि साधारण व्यक्तियों ने आज, मैं पूरे उदाहरण देकर बात कर सकता हूँ, आप सरकार में है, पावर मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आप आंकड़े ले लीजिएगा, हजारों की संख्या के अंदर लोगों ने बिजली के कनैक्शन कटवा दिये हैं, हम बिजली का बिल पेमैंट नहीं कर सकते और वो लालटेन ले आये हैं 100 साल पीछे फैक दिया उनको, लालटेन के अंदर कैरोसीन डालकर के आज इस पर गुजारा करने लगे हैं। यह है देश की राजधानी की कहानी after the privatization of distribution of electricity. अध्यक्ष महोदय.......(व्यवधान)

सर, मैं पूरी लिस्ट देने के लिए तैयार हूँ, मेरे इलाक में भी है जी, मेरे इलाक के अंदर मैं लिख देने के लिए तैयार हूँ, सुन लीजिये ना, मीटर का कनैक्शन दूँगा जो कटाये हैं, लिखकर के दिया है इसलिए कटाये हैं जी, मैं आपको रिकार्ड दूँगा। सुनने का माद्दा रखो थोड़ा सा, रुलिंग पार्टी में है आप। अध्यक्ष महोदय, मैं जो आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ, वो यह है कि बिजली के बिल बढ़े क्यों है, साधारणतया जो आपके सामने पिक्चर आती है कि टैरिफ बढ़ा दिया, उससे बिजली के बिल बढ़ गये, दूसरा आता है कि हमने तेज दौड़ते मीटर देखे, उसके कारण बिल बढ़ गया, तीसरा आता है कि हमने फिक्स चार्जेज बढ़ा दिये पहले था नहीं, पहले लगाया उसके बाद फिक्स चार्ज को बढ़ाया। अब हमारी समझ से बाहर है अध्यक्ष महोदय, फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है, जो अब तक मैं समझ पाया हूँ लाइफ के अंदर फिक्स चार्ज जहाँ भी इस्तेमाल किया गया है इकोनॉमी के अंदर र्तारख्ते देना पड़ेगा, एक हजार देना पड़ेगा चाहे आप 500 का इस्तेमाल करे तो भी एक हजार देना पड़ेगा। इसे फिक्स चार्ज कहते हैं। जब आप एक सैंक्शन करके उसके ऊपर अलग से फिक्स चार्ज करते हैं वो फिक्स चार्ज कहाँ रहा, वो तो आपका मंथली चार्ज है, बाकी सब के अंदर भी उस तरह से चार्ज कर लीजिएगा आप। उसे अलग-अलग शो करके

फिक्स चार्ज दिखाया है और फिक्स चार्ज के ऊपर फिर आपका सरचार्ज लगता है। 8 परसेंट सारे के सारे बिल इकट्टे करके, 8 परसेंट उसके ऊपर सरचार्ज लगा दिया और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आ जाता है तीन परसेंट का। कुल मिलाकर के आप एक यदि मेरे घर की मैं बात करूँ 15650 रुपये का बिल मैंने पेमेंट किया है। कल उसमें 3000 से ज़्यादा यह एडिशनल चार्ज है जो उसके अंदर सम्मिलित किए हुए हैं। इन 3000 का मैं हिसाब दे रहा हूँ किन्तु बाकी जो तेज दौड़ते मीटर है, जिसके कारण बिल बढ़ गए हैं आप कह सकते हैं कि हमने तो टैरिफ बढ़ाया है केवल मात्र इतना, उसमें साढ़े पाँच गुना बिल कैसे हो गये, यह उसके रीजन्स हैं जिसके कारण बिल बढ़ गये हैं। अध्यक्ष महोदय, असली बात जो है जिस कारण से बिजली के बिल बढ़े हैं वो है डिस्कॉम की अपनी मनमानी जिस प्रकार से कर रहे हैं। डिस्कॉम अपने fictitious accounts बनाकर के घाटे शो कर रहे हैं। वो डबल set of accounts रखकर के सरकार को गुमराह कर रहे हैं। जब सरकार से सब्सिडी लेनी है एक set of accounts books शो किया जाता है जब अदरवाइज घाटे नहीं शो करने तो दूसरा set of accounts दिया जाता है। यह मेरे शब्द नहीं है, यह डी.ई.आर. सी. उनका नाम भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ मरजिंदर सिंह जी जिन्होंने यह कहा I have seen the set of accounts. यह कंपनियाँ भारी मुनाफ के अंदर चल रही हैं अलग-अलग set of accounts हैं इनके वो घाटे इस प्रकार से शो करते हैं उन्होंने अपनी पॉकेट कम्पनीज बना रखी हैं सारी परचेजेज वो उन पॉकेट कम्पनीज से करते हैं उनकी अपनी कम्पनी है 10 रुपये की चीज को वो 100-150 रुपये में खरीदते हैं क्योंकि वहाँ भी फायदा उन्हीं को हो रहा है और यह केवल मात्र मैं कह नहीं रहा हूँ I recollect you memories कि पूरे के पूरे हमारे विधायकों की बैठक के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेजेंस में हमारे पूर्व unfortunately पूर्व शब्द कहना पड़ रहा है आज, पूर्व ऑनरेबल मैम्बर श्री पूरन योगी जी उन्होंने डॉक्युमेंट दिये थे मैंने पेश किये थे, उनके इलाके के अंदर दोनों कम्पनियां काम करती हैं, बी.एस.ई.एस. भी है और टाटा वाली कम्पनी भी है और उन्होंने एम.एल.ए. फंड

में से सोडियम लाइट के points create करने के लिए पेमेंट किया। अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे टाटा ने जितना चार्ज किया उससे लगभग सवा दो गुना बी.एस.ई.एस. भी है और टाटा वाली कम्पनी भी है और उन्होंने एम.एल.ए फंड में से सोडियम लाइट के points create करने के लिए पेमेंट किया। अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे टाटा ने जितना चार्ज किया उससे लगभग सवा दो गुना बी.एस.ई.एस. ने चार्ज किया। सेम लैम्प, सेम डायमेन्शन, सेम कम्पनी everything same उसके बाद वहाँ पर सी.ई.ओ. ने मुख्यमंत्री जी के सामने apologizes कर दिया, बात खत्म हो गई। वो बात वहाँ खत्म हो गई किन्तु वो एक इंडिकेटर है, यह तो बहुत छोटी सी बात थी, हजारों-करोड रुपये का जो काम करते हैं उन सब के अंदर ये कम्पनियाँ इस प्रकार से जो पॉकेट कम्पनियाँ बना रखी हैं उनसे परचेजिंग करके घाटे शो करते हैं अन्यथा ये कम्पनियाँ भारी मुनाफा कमा रही हैं, भारी मुनाफा कमा रही है। इनको चैक कौन करेगा अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इनको चैक करने के लिए व्यवस्था की गई है और वो व्यवस्था है हमारी डी.ई.आर.सी.। डी.ई.आर.सी. का रोल रखा गया है कि वो जनता के हितों को, सरकार के हितों को, कम्पनी के हितों को सब को ध्यान में रखकर के वो काम करें और डी.ई.आर.सी. का ओहदा जो है वो एक हाई कोर्ट जज वाला है, उससे नीचे का व्यक्ति भी नहीं होता है। मुझे खेद है कि आज एक नया टॉपिक डिस्कसन का शुरु हो गया है दिल्ली के अंदर i.e. D.E.R.C. Vis-a-vis Chief Minister of Delhi. अजीबोगरीब हालत है, डी.ई.आर.सी. एक statutory body है उसमें मुख्यमंत्री जी इंटरफेयर करती है, डायरेक्ट इंटरफेयर करती है और उस interference से सीधा सिद्ध होता है that she is favouring the dist coms only. एक हमारे डी.ई.आर.सी. यह कहते हैं कि मैंने सब को स्टडी कर लिया है, यह झूठे एकाउंट्स सब्मिट करके किया गया है अन्यथा इन कम्पनियों का इतना प्रोफिट्स है उसको ध्यान में रखते हुए मैं रिकमंड करता हूँ कि बिजली के टैरिफ 20 परसेंट कम किये जाने चाहिए। यह सिफारिश है उनकी। किन्तु मुख्यमंत्री जी आदेश देती है कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। इसको लागू नहीं करने दिया जाएगा और पब्लिक के इंट्रेस्ट में न होकर के कम्पनियों के इंट्रेस्ट के अंदर उन्होंने इसे अपना एक prestige issue बनाया और इस विषय को उस हद तक लेकर गये जब तक कि वो डी.ई.आर.सी रिटायर नहीं हो गया, जब तक डी.ई.आर.सी. इनके पसंद का व्यक्ति नहीं आ गया वहाँ पर तब तक उसे postpone करते रहे और उसके पश्चात् कम नहीं किया आगे बढ़ाया।

कोर्ट ने यह कहा है, उसमें कोर्ट के शब्द हैं, कोर्ट ने कहा है कि डीईआरसी ने जो कहा है वह इम्पलीमेंट क्यों नहीं किया गया। उसके पश्चात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदया ने एक statutorty position जो डीईआरसी की थी उसको denigrate किया है I am intensely using the word. His position has been denigrated. किन्तु उसके पश्चात् जब भी डीईआरसी ने सिफारिशें की हैं इनक्रीज करने के लिए, आपने happily उसे एग्री कर दिया। इस बात को क्या मानें, जो हम पहले से एलीगेशन लगाते चले आ रहे हैं, इस सदन के अन्दर जब आप प्रस्ताव लाए थे जिन ट्रम्स एंड कंडीशन पर आपने बिजली का निजीकरण करने की घोषणा की थी। उस समय मैंने यही से खडे होकर यह बात कही थी यदि इन ट्रम्स एंड कंडीशन पर आपने बिजली का निजीकरण किया तो यह एक बहुत बड़ा हिन्दुस्तान का स्कैम साबित होगा। उस समय हमने कैलकुलेट करके सदन के अन्दर यह बात कहीं थी, इन terms के आधार पर साढ़े 12 हजार करोड़ रुपये का नाजायज फायदा इन distribution companies को पहुँचाया जा रहा है। मैंने तो गलतफहमी में उस समय कह दिया था। मैंने कहा था उत्तरी भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा घोटाला है। मुझे क्या पता था कि आने वाले समय के अन्दर इतने बड़े घोटाले हो जाएँगे। एक लाख 76 करोड़ का हो जाएगा, एक लाख 86 करोड़ रुपये का हो जाएगा। मैं तो उस समय उसे ही सबसे बड़ा मान रहा था। वह मेरा एलीगेशन उस समय था, सदन के अन्दर जब आपने निजीकरण नहीं किया था। किन्तु ठीक दो साल बाद जो हमारे

एलीगेशन थे उन पर सीएजी ने अपनी स्टैम्प लगाई। सीएजी ने कहा कि घोटाला किया गया, केवलमात्र सीएजी ने नहीं कहा, पार्लियामेंट की जो स्टेंडिंग कमेटी पावर के अन्दर होती है उन्होंने इस बात को एग्री किया। इसी प्रकार से इस सदन के कांग्रेस के ऑनरेबल मैम्बर जो पीएसी के अध्यक्ष थे पीएसी कमेटी ने कहा कि घोटाला किया गया। पीएसी कमेटी ने रिकमैंड किया this House adopted it unanimously कि इसका investigation C.B.I. से कराया जाये। किन्तु श्रीमती शीला दीक्षित ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आज तक उस मामले को सीबीआई में नहीं जाने दिया, जब कि सदन का सर्वसम्मत फैसला है यह। अध्यक्ष महोदय, एक श्री नन्दिकशोर गर्ग जी हमारे आनरेबल मैम्बर थे वे इस मामले को कोर्ट में कोर्ट में ले गये थे जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कोर्ट ने कहा there is no justification for tariff increase. जब टैरिफ increases 20 परसेंट घटाने की थी, बाद में बढ़ाने की बात की तो उनके इस Writ Petition पर कोर्ट के ये कमैंट्स है 'there is no justification for tariff increase'. किन्तु श्रीमती शीला दीक्षित उस पर स्टैम्प लगाती हैं ठीक है। ये क्या शो करता है। अध्यक्ष महोदय, क्या यह इस बात को सिद्ध नहीं करता है कि इस सरकार की सीधी-सीधी मिलीभगत है इन distribution कम्पनियों के साथ। आज उन distribution कम्पनियों को बचाने के लिए, सीधा लाभ पहुचाने के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। यह इस बात को सिद्ध करता है। अध्यक्ष महोदय, टैरिफ आर्डर 2011-12 डीईआरसी का टैरिफ आर्डर है जिसमें 22 परसेंट टैरिफ इनक्रीज करने के आदेश किए गए हैं। किन्तु अध्यक्ष महोदय, इस टैरिफ आर्डर के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा है 20% increase in the tariff साथ में यह कहा गया है कि ये कम्पनियाँ इनके जो आफिसिज चलते हैं, सब-स्टेशंस चलते हैं या कंज्यूमर केयर सेंटर चलते हैं वहाँ पर बिजली मुफ्त जाती है। वहाँ पर कोई किसी तरह का मीटर नहीं है। परिणाम क्या होते हैं, जब वहाँ मीटर नहीं है तो इसे चोरी माना जाएगा और जितनी चोरी होती है उस चोरी का अल्टीमेट नुकसान आप और मेरे जैसे ईमानदार कंज्यूमर को होता है। चोरी वे कम्पनियाँ कर रही हैं, भुगतान पावर मंत्री जी आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप ईमानदारी से पेमैंट करते है। इसलिए उस आर्डर का यह हिस्सा है 22 परसेंट आप टैरिफ बढाइएगा, किन्तु दो महीने के अन्दर every such installation of these compainies जहाँ बिजली का कंज्पंशन है that should be metered, में जानना चाहता हूँ पावर मंत्री बैठे हुए हैं क्या आपने इस आदेश की पालना की। क्या आपने हर जगह दो महीने के अन्दर 11 के आर्डर थे क्या हर जगह आपके मीटर लग गये हैं, नहीं लगे हैं तो कौन जिम्मेवार है और यदि आपके मीटर लगे हैं I would like to have the accounts जिस दिन से मीटर लगे हैं तो उनकी क्या रीडिंग है कितना कंज्प्शन है so that पिछले 10 साल से ये जो मुफ्तखोरी से बिजली खा रहे हैं जिसका मुआवजा मैं और आप भुगत रहे हैं वह कितना पैसा था, इन कम्पनियों से वसूला जाए यह मैं आपसे जानना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, 2002 से 2011 तक 9 साल का यह एकाउंट हम आपसे मांगना चाहेंगे। Loss of figures जो कम्पनियाँ दिखाती है इसका मतलब एक प्वाईट से सिद्ध हो जाता है कि fictitious है, आपने इस loss को काउंट नहीं किया आपके total figures in the Court of Law stand fictitious. क्योंकि यह तो स्वयं सिद्ध है वे कहते हैं कि हमने कोई मीटर नहीं लगाया। अध्यक्ष महोदय, 2003 में जो इलैक्ट्रीसिटी एक्ट है उसमें इसका कोई हवाला नहीं है। किन्तु हमारी कम्पनियां कहती हैं it is our own consumption at zero rate. यह डीईआरसी को जवाब दिया उन्होंने। It is our own consumption at zero rate. यह उनके बाप की जागीर नहीं है। हर एक यूनिट जो खर्च होता है उसको हम और आप पे करते है। उसके जवाब में 2003 के इलैक्ट्रीसिटी एक्ट में not a single word as 'zero rate' कहीं मेनशन नहीं है। कोई जीरो रेट नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, 2012-13 का टैरिफ आर्डर, जिसमें 26 परसेंट इनक्रीज करने के आदेश किए गए। आप एग्री करेंगे ये 26 परसेंट इनक्रीज अपने आप में एक छलावा है। यह 26 परसेंट नहीं है it is around 50% जो इन्होंने टैरिफ में 26 परसेंट इनक्रीज की बात की है और जो फिक्स चार्जिज हैं वे बढ़ाए हैं, इन सबको मिला लेते हैं फिर उनके ऊपर आपका 8 परसेंट सर्विस चार्ज लगाए और सर्विस चार्ज लगने के बाद बाकी जो बिल आता है उस पर 3 परसेंट लगाएँ, कुल मिलाकर आप देखेंगे..........व्यवधान।

अध्यक्ष महोदय: मुखी जी थोड़ा जल्दी समअप करिए।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, मैं कनक्लूड करुं इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, निजीकरण जब किया गया था उसका आधार जो यहाँ पर रखा था, मंत्री जी बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर पेश किया था कि 50 परसेंट टी एंड डी लॉसिज हैं। जब तक ये लॉसिज कम नहीं होते तब तक बिजली के हालात सुधर नहीं सकते और सरकार इसको करने के अन्दर असमर्थ है, निजीकरण कर रहे हैं और हमारा मुख्य आधार यही है कि जैसे जैसे बिजली की चोरी कम होगी, वैसे वैसे ईमानदार आदमी को राहत मिलती जायेगी और हमारा टैरिफ कम होता चला जायेगा। ये कहा गया कि 1 परसैंट बिजली की चोरी कम करने से 100 करोड़ रु. एनुअल्ली कम्पनी को फायदा होता है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी डिस्काम क्लेम करती है, जिसको एन्डोर्स दिल्ली सरकार करती हैं, वे कहते हैं कि हमारी बिजली की चोरी 50 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह गयी है। इसका मतलब ये कि 35 परसैंट बिजली की चोरी कम हुई तो आपका 3500 करोड़ रु. एडीशनल रेवेन्यू इन कम्पनियों के पास आया, चोरी कम करने के कारण। उस पर इन कम्पनियों का कोई अधिकार नहीं है। कम्पनियों को तो आपने 16 परसैंट की गारन्टी दे रखी है, उनके इन्वेस्टमैन्ट पर रिटर्न की। Which is highest in the world?

आज 8 परसैंट, 7 परसैंट पर इण्डस्ट्रीज काम करने के लिए तैयार हैं। आपने उनको 16 परसैंट investment पर रिटर्न की गारन्टी दे रखी है। उसके बाद ये जो 3500 करोड़ रु. एडीशनल इयरली आता है।

अध्यक्ष महोदय: इस पर बोलने वाले बहुत हैं। प्लीज थोड़ा सा....क्योंकि बोलने वाले इतने सारे हैं।

डॉ.जगदीश मुखी: Let me lay down the foundation, Sir, It is so important, Sir. ये 3500 करोड़ रु. should have been passed on to you, to me. जो ईमानदार टैक्सपेयर थे। ये उनको फायदा पहुँचाने के लिए खत्म हुआ है। तो उनके पास जाना चाहिए था। ये कम्पनियों ने उनको ट्रांसफर नहीं किया। इसका कॉग्निजेन्स मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। इसका कॉग्निजेन्स डीईआरसी को लेना चाहिए। ये 35 सौ करोड़ रु. एडीशनल रेवेन्यू जो आता है, that belongs to the honest bill-payer of the company.

अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बात छोड़कर लास्ट में अपने सुझाव पर आ रहा हूँ। कुछ सुझाव के ऊपर कन्क्लूजन के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरी यह मांग होगी कि जो अभी बात आई थी, दो महीने के अंदर जहाँ भी बिजली की कंजम्पशन free of cost चल रही है इन बिजली कम्पनियों की, ये तुरन्त रोकी जाये और अब तक जो इन्होंने फ्री बिजली की है उसको कैलकुलेट करके सदन के अंदर रिपोर्ट रखी जाये और इनसे वसूल करके वह ईमानदार टैक्सपेयर को ट्रांसफर किया जाये। दूसरी मेरी मांग यह होगी, अध्यक्ष महोदय, कि एक जुलाई से नया टैरिफ शुरु कर दिया है इन कम्पनियों ने, 11 जुलाई को हम कोर्ट में गये। हमने कहा कि पहली जुलाई से नया टैरिफ शुरु हो गया है। अभी तो नोटिफिकेशन हुआ नहीं है। How can they start it without notification? कोर्ट ने कहा कि इसे तुरन्त नोटिफाई किया जाये अन्यथा लागू नहीं हो सकेगा। फिर 13 जुलाई को आपने नोटिफाई करा दिया। किन्तु बिल 1 जुलाई से आ रहे हैं। ये जो 1 जुलाई से 13 जुलाई तक का समय है पॉवर मंत्री महोदय, जो आपने अननेसेसरी चार्ज किया है, that must be refunded to all the honest consumers of electricity.

तीसरी बात जो कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, वो ये कि दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत से डिपार्टमैन्ट हैं सरकार के जहाँ पर पब्लिक डीलिंग आलमोस्ट निल है, एक प्रतिशत व्यक्ति भी एन्वाल्व नहीं होते। वहाँ पर भी मुझे अधिकार है आरटीआई लगाने का। किन्तु खेद की बात ये है कि यहाँ हर व्यक्ति का, दिल्ली के अंदर रहने वाले का सीधा नाता इस विभाग से पड़ता है, बीएसईएस या टाटाज के साथ पड़ता है और वहाँ पर.....व्यवधान हमने कहा है कि it is a good weapon to check the corruption. तो बराय मेहरबानी इसको तुरन्त लागू किया जाये। यहाँ आरटीआई एलाउ की जाये।

अध्यक्ष महोदय, जो चौथी बात मैं कहना चाहूँगा वह यह है कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के हर विभाग के अंदर दिल्ली सरकार उनके एकाउन्टस को ऑडिट करती है, इन डिस्कॉम के अंदर भीं जहाँ 49 प्रतिशत शेयर दिल्ली सरकार के हैं, उनका ऑडिट दिल्ली सरकार करे। और साथ ही जिस प्रकार से बाकी सब डिपार्टमैन्टस they are covered by C&AG, C&AG का भी शिकंजा यहाँ पर उन पर लगे, यह बहुत जरुरी है।

अध्यक्ष महोदय, लास्ट प्वाइंट मैं बता रहा हूँ। केन्द्र सरकार ने ये निर्णय किया कि हिन्दुस्तान के अंदर जिन जिन राज्य सरकारों ने बिजली का निजीकरण किया है, हम उनको जरा देंखे। उनके निजीकरण का क्या इम्पेक्ट आया है। पिब्लक खुश है, या गवर्नमैन्ट खुश है, या कम्पनियाँ पनप रही हैं। किसको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसका लेखा-जोखा कर लिया जाये, उनकी फंक्शनिंग को रिव्यू कर लिया जाये और इसके लिए सब जगह रिव्यू कराया गया। इण्डियन इंस्टीटयूंट ऑफ पिब्लक एडिमिनिस्ट्रेशन आईआईपीए को ऑथराइज किया सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट ने किन्तु अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिन्दुस्तान के हर उस राज्य के अंदर जहाँ बिजली का निजीकरण किया गया है, उनका रिव्यू कराया गया। किन्तु श्रीमती शीला दीक्षित ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जिस प्रकार से यहाँ पर स्कैम किया गया था बिजली के निजीकरण में, उसका पर्दाफाश न हो

जाये। इसलिए इन्होंने यह मैनेज किया कि आज तक दिल्ली में बिजली के निजीकरण का रिव्यू नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करता हूँ कि दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से निजीकरण हुआ है, उस दस साल के अंदर क्या खोया हमने क्या पाया, पिब्लिक क्या सोचती है, ये सारी बातें रिब्यू करनी चाहिए, यह मेरी मांग रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री मनोज कुमार। कृपा संक्षेप में बोलियेगा। बोलने वाले बहुत हैं और समय कम है।

श्री मनोज कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम बोलूँगा। उतना ही बोलूंगा जितना महसूस कर रहा हूँ। उससे बहुत घटाकर कम शब्दों में। आदरणीय, अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था जब मेरे सीनियर साथी यहाँ पर बोल रहे थे। विषय कोई और शुरुआत कहीं से करके अपने मन की बातें निकाल रहे थे। बिजली के ऊपर आपने मुझे बोलने के लिए कहा है, मौका दिया है। परन्तु अनौथराइज्ड कालोनियों पर जिस प्रकार की वाह-वाही लूटने की बात यहाँ पर चल रही थी, 1639 कालोनियों के सर्टिफिकेट बांट दिये, किस आधार पर बांट दिये? और उन कालोनियों में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तो प्रति गज एक रु. के हिसाब से बिजली देने की बात कही थी।

मुख्यमंत्री: I am sorry sir, आप बिजली पर बात कीजिएगा। कल जब इस पर चर्चा होगी. तो जरुर बोलियेगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, आपने कुलवन्त राणा जी को नेम करके बाहर निकाल दिया है, आप अनुमित दें तो कृपया उन्हें वापस बुला लीजिए। अध्यक्ष महोदयः बुला लीजिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय.....

मुख्यमंत्री: Sir I have a Point Of Order, सर ये बिजली पर चर्चा है तो बिजली पर आप बात कीजिए। अनौथराइज्ड कालोनी पर कल चर्चा है तो कल आप बोलियेगा। Please, time of this House is precious. और ये टाइम आप गंवाते हैं, प्लीज पॉवर पर आपको जो कहना है, कहिएगा, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अनाथराइज्ड पर आपने क्या किया, ये क्या किया, वह कल बताइयेगा। Sir, I have an objection to this. It should be completely not recorded at all.

अध्यक्ष महोदय: मनोज जी ऐसा है......व्यवधान......

अध्यक्ष महोदय: गर्ग साहब एक मिनट। देखिये सुनिये गर्ग साहब। आप बैठिए। मनोज जी ऐसा है कि कालोनियों वाला विषय तो पहले ही समाप्त हो गया है। और इनिशिएट करने वाले भी आप ही हैं, इस चर्चा को तो इसी के अंदर बोलियेगा।

श्री मनोज कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं वहीं कह रहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब अनाथराइज कालोनियों में जब बिजली दी गयी, तो एक रु. प्रति गज के हिसाब से दी गयी थी और उस एक रु. प्रति गज के हिसाब से 50 गज का कोई मकान था, तो 50 रु. उस व्यक्ति से बिजली के लिए जाते थे और इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ लेकिन जैसे ही सरकार बदली। बदलने के बाद जब निजी कम्पनियों के हाथों में बिजली का वितरण दिया गया, तब से लेकर अब तक उन गरीब लोगों के ऊपर इतना बिजली का बोझ डाला जा रहा है कि वे लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। लोग परेशान है। आम आदमी, गरीब आदमी आज अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर जो किराये के मकान

में व्यक्ति रहता है, उसका किराया जितना देना पड़ता है, उससे अधिक कहीं उसके बिजली के बिल आ रहे हैं, आज के दिन यह स्थिति पैदा हो गयी है।

यह स्थिति कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई। जब से दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार आई है। 1998 से लेकर, जब इन्होंने 2001 में प्राइवेट कंपनियों को बिजली दी, तब से लेकर अनेकों बार बिजली की दरें बढ़ाई गई और अध्यक्ष जी, जब डी.ई.आर.सी ने कहा कि आप इनकी दरों को 20 फीसदी कम करो तो दिल्ली सरकार ने उसको कम नहीं किया। तब तो उसको रोक दिया। जब उस समय के D.E.R.C. के अध्यक्ष जैसे ही बदल गए। वे 20 फीसदी बिजली की दरे घटाने की बात भूल गए और 22 फीसदी बढ़ाने की बात दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री ने स्वीकार की। इससे पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि गरीब आदिमयों के खिलाफ किस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है। ये गरीब आदिमयों के गले को किस तरह से दबा रही है। इस दिल्ली के अंदर गरीब आदमी किस तरह से मजबूर हो गया है। वो आदमी इस महँगाई से किस प्रकार से परेशान होकर दिल्ली में रह रहा है। इस सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली नगर निगम का भी एक विषय आपके ध्यान में दिलाना चाहूँगा। यह बिजली से संबंधित है। जब दिल्ली नगर निगम के अंदर इन बिजली कंपनियों ने मनमाने ढंग से पैसे लेते थे और गलियों में जितनी स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, एक बार में उसके चार्जिज इकट्ठे लेते थे। वो चाहे खराब पड़ी हो, चाहे वह जलती हो या न जलती हो। लेकिन दिल्ली नगर निगम ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम हर महीने अपनी रिपोर्ट लेंगे और ये लाइटें चैक करेंगे। ये जितनी जलेंगी, उतनी के पैसे देंगे और बाद में वो स्ट्रीट लाइटों की इन निजी कंपनियों को जितना बिल देते थे उसमें कमी आई और उनको पैसा कम देना पड़ा। ये कंपनियाँ हमेशा फर्जी कागज बनाकर के सरकार को घाटा दिखाती है और उसको मुनाफा होता है। अध्यक्ष जी, में यह कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से निजी कंपनियाँ, सरकार और D.E.R.C.

मिलकर के काम कर रही हैं। यह दिल्ली की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बिजली की दरों का, बिजली के बिलों का बढा है। आम आदमी इससे त्राहि-त्राहि कर रहा है। आम आदमी परेशान है और इसके विरुद्ध आज मेरे सीनियर साथी जगदीश मुखी जी ने जिस प्रकार से कहा। अनेकों बातें इसके अंदर बताई गई कि रेट कम करने के लिए D.E.R.C ने कहा और 22 प्रतिशत बढा दिया और उसके बाद 34 प्रतिशत बढा दिया और आज जिस प्रकार से एक और बात मैं मुख्य रुप से कहना चाहुँगा कि 200 यूनिट तक केवल दो रुपए 70 पैसे गरीब आदमी को देने होते थे। जब 200 यूनिट तक दो रुपए 70 पैसे एक यूनिट के गरीब आदमी को देने होते थे। यह वर्षो से चला आ रहा था और अलग अलग स्टेटों में इस तरह से है। परन्तु एकदम से दिल्ली सरकार और D.E.R.C. व निजी कंपनियों ने मिलकर के जो एक यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक के रेट थे। उसके ऊपर भी इन्होंने यदि 200 यूनिट से ऊपर 201 यूनिट हो गया तो तीन रुपए 70 पैसे न केवल 200 यूनिट तक छोड़कर के, बल्कि पहली बार ऐसा काम किया गया है कि एक यूनिट से लेकर के 201 या दो या चार यूनिट तक जाए। वहाँ तक का इन्होंने तीन रुपए 70 पैसे यूनिट का चार्ज लेने का जो डिसीजन लिया है। हम इसका विरोध करते हैं। मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ कि यह गरीब विरोधी नीति है और दिल्ली सरकार ने यह जो निर्णय लिया है। यह वापिस लेना चाहिए। इससे गरीबों को अपने बच्चों को दूध और स्कूल की फीस भी वे लोग नहीं दे पा रहे हैं। वे बच्चों को ठीक तरह से पढा नहीं पा रहे। बिजली का बिल इतना भयंकर आता है क्योंकि मेरे क्षेत्र में आने वाली जो कॉलोनियाँ हैं। अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में बहुत ही रिसैटिलमेंट कॉलोनीज हैं, इसी तरह से अनऑथोराइज्ड कॉलोनियाँ हैं और आज गरीब लोग पेरशान हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि ये जो बिजली की दरें बढ़ी हैं, इनको वापिस लेना चाहिए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जिस प्रकार का ये जो रवैय्या है। इससे गरीब लोगों को बहुत ही परेशानी है और अध्यक्ष जी, दूसरी बात में अन्त में कहना चाहूँगा कि अभी जिस प्रकार से मुखी जी ने कहा कि इनके जितने भी ऑफिसिस हैं, इनके जितने भी सूचना केन्द्र हैं इनका जितना भी सिस्टम है, जिससे ये अपना infrastructure चलाते हैं। वो सारा का सारा काम, वहाँ पर बिजली के मीटर नहीं लगे हैं। यह सरेआम चोरी हो रही है। उस चोरी का बोझ घाटे में दिखाकर के दिल्ली सरकार से सब्सिडी के तौर पर वसूल करके वो आम जनता के ऊपर उसका बोझ पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, इसकी जाँच होनी चाहिए और हर साल इनका ऑडिट होना चाहिए तािक उनका पता चले कि किस प्रकार से इन्होंने धाँधली कर करके और किस प्रकार से लोगों को गुमराह करके वे पैसा वसूल रहे हैं। अध्यक्ष जी, मुझे इतना ही कहना था।

अध्यक्ष महोदयः मनोज जी, धन्यवाद। आपने ठीक समय पर समापन कर दिया। अब श्री रमेश मिधूडी जी।

श्री रमेश मधूड़ी: अध्यक्ष जी, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मुखी जी ने बिजली के इश्यू को लेकर चर्चा शुरू की। उन्होंने कई पॉइट्स बताए। मैं उनमे कुछ पॉइन्ट्स जोड़्ंगा और जोड़ने के साथ-साथ यह कहीं न कहीं से ये गन्ध जरूर आती है कि बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है। उस प्राइवेटाजेशन मे जनता के हित को न ध्यान में रखते हुए सरकार ने, सरकार के प्रतिनिधियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमे घोटाला किया है। अध्यक्ष जी, घोटाले की बू शुरू हो गई थी, जैसे ही इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ। मुखी जी ने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन उस पी.ए.सी. कमेटी का मैं मेम्बर था। जिस पी.ए.सी. कमेटी ने यहाँ पर इस हाऊस के अन्दर सिफारिश की थी कि कहीं न कहीं 8800 करोड़ रूपया, साढे 12 हजार करोड़ रूपया सी.ए.जी ने और मुखी जी ने पहले दिन से ही चार्ज लगाए थे। लेकिन जब पी.ए.सी. कमेटी ने जाँच की तो जांच में काँग्रेस के ही जो सम्मानित सदस्य थे, वही उस कमेटी के चेयरमैन थे। उस कमेटी ने इस हाऊस मे

सर्वसम्मित से यह तय किया गया था कि इस बिजली घोटाले की सी.बी.आई से independent जाँच होनी चाहिए। अगर यह सरकार दूध की धुली थी तो वो जाँच से क्यों घबरा गई। इन्होंने सी.बी.आई के पास उसकी जाँच के लिए क्यों नहीं भेजा। दूसरा सर 24×7 जब 2002 के अंदर बिजली कम्पनियों को ये बिजली दी गई थी। टाटा को दी गई या चाहे reliance को दी गई। यह तय हुआ कि 24 घंटे, सातों दिन हम दिल्ली के अंदर बिजली देंगे। सरकारी एजेन्सी बिजली देने में कोताही बरत रही है, सक्षम नहीं है। वो चोरी नहीं रोक पा रही है यह पॉसलटिकल लोगों के दबाव के कारण से. जब 2002 मे कंपनियों के साथ एग्रीमेंट हुआ। आप भली प्रकार से यह जानते हैं कि क्या दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली में 8 से 12-12 घंटे का कट रहता है। आप कट को छोड़ दीजिए। उस कट के अलावा 25 साल का किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट, वे यह भूल जाते हैं कि 25 साल किसी के हाथ मे इस जनता की व्यवस्था को दे दिया जाए। बगैर सोचे समझे कि 25 साल में उसके रिजल्ट, उसके दुष्परिणाम पोजिटिव होगें, नेगेटिव होंगे। सर क्या सोचकर के 25 साल का एग्रीमेंट दिया था। सर, 53 परसेंट की चोरी AT & C जो डिपार्टमेंट है, जो उसके लॉसिस दिखाती है। उस एजेन्सी के अनुसार 53 परसेंट की चोरी थी। कम्पनियों ने कहा था कि हम इस चोरी को कवर करेंगे। इस चोरी से जो मुनाफा आयेगा, हम उस पर नो लॉस, नो प्रोफिट के आधार पर, हम दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ायेंगे। हम इन्हीं दामों पर बिजली सप्लाई करेंगे। सर मुखी जी ने बताया है कि 6 बार बिजली के दाम बढ़ गए हैं। 6 बार बिजली के दाम बढ़ने के बाद, सर इन बिजली कंपनियों ने बहुत बढ़िया काम किया। अभी मनोज ने भी कहा था कि इनके जितने भी ऑफिसिस, establishemnt, station जहां भी इनकी बिजली चल रही थी, वहां पर इन्होंने बिजली लगाई। यह उस बिजली की Consumption भी न करें। 49 परसेंट की बिजली कम्पनी के साथ सरकार की भागीदारी है। सरकार की भगादारी का मतलब है, इसमें दिल्ली की जनता की भागीदारी है। उनको यह अधिकार किसने दिया कि वो अपने ऑफिसिस में फ्री में बिजली यूज करेंगे। P.W.D. Department के मंत्री राजकुमार चौहान जी बैठे हैं। आपने अपने अधिकारियों को फ्लैट दे रखे हैं। क्या आप employee से किराया नहीं लेते। आप किराया लेते होंगे। एम.सीडी. कर्मचारियों को रहने के लिए फ्लैट बनाती है, उनसे हाऊस रैन्ट वसूला जाता है। इस बिजली कम्पनी को किसने यह अधिकार दे दिया कि नौ साल तक बगैर मीटर लगाए वो लोग उस बिजली का उपयोग करते रहे और उसका जो घाटा है उस घाटे को जनता में दिखाकर के, उस कंजम्पशन को सरकार से सब्सिडी माँगते रहे। सरकार आँख बन्द करके सब्सिडी देती रही। गरीब जनता के पैसे को उन कंपनियों को देते रहे। उस चीज को आप बाहर निकालकर किस आधार पर ये कंपनी अपने खाते दिखाती रही। सर इस बात की जाँच होनी चाहिए। दूसरा सर जितने भी मीटर दिल्ली में लगते हैं। उन मीटरों के ऊपर 5 परसेंट लग्जरी टैक्स लगता है। अगर \mathbf{BSES} के या एनडीपीएल के जितने भी ऑफिस चल रहे हैं वो लगभग कम से कम 500 से हजार जगह पर ऑफिसेस चल रहे होंगे। अगर उन हजार ऑफिसेस में मीटर लगे होते. 5 परसेंट उनका लग्जरी टैक्स होता है। सर्विस टैक्स लग्जरी होता है। मंत्री जी ने अभी बोला लग्जरी टैक्स होता है। अगर वो लग्जरी टैक्स के रूप में और मीटरों पर जो आमदनी होती, कंपनियों से पैसा लिया जाता वो दिल्ली के विकास के लिए पैसा लगता, वो दिल्ली की जनता के हितों के लिए पैसा लगता वो पैसे को लूटते रहे, खाते रहे, इसकी निश्चित रूप से जाँच होनी चाहिए। अगर इनका हक था तो इनकी टर्म एंड कंडीशन उस एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन था कि उस बिजली को मुफ्त में प्रयोग कर सकते हैं। अगर था तो, अभी जो 26 जुलाई को डीईआरसी ने ओदश दिया कि कंपनियां अपने परिमसस में, जहां पर इनके ऑफिस हैं, वहां पर मीटर लगाएं। इन्होंने दो महिने का टाइम मांगा है अगर दो महीने में मीटर लगा रहे हैं तो यह साबित हो गया है कि कही न कहीं नौ साल से बिजली की चोरी कर रहे थे, वो चोरी का पैसा, जितनी बिजली इन्होंने खर्च की है, उस पैसे को क्या सरकार कंपनी से प्राप्त करेंगी। उस घाटे को वसूल करने का, इसका जवाब क्या सरकार के पास कोई है। इससे आगे सर मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं- इनके बड़े बड़े घोटाले। दूसरा घोटाला है सर- विजेन्द्र जी वाला बता ही दिया, 3570 करोड़ का मुनाफा। उन्होंने जब वो कागज ऑडिट कराए थे और खातों से उन्होंने कहा था कि 3570 करोड़ रूपए कंपनियों को मुनाफा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन विजेन्द्र जी को रिटायर करने से पहले टैरिफ तो नहीं बढ़ने दी लेकिन उस टैरिफ से पहले इन्होंने जो 22 प्रतिशत के रेट बढ़ाए थे, 900 करोड़ रुपया जो जनता से इन्होंने बढ़े रेट के हिसाब से वसूल किया था, उस टाइम में मुख्यमंत्री जी से मिले थे, डेलीगेशन के रूप मे मिले थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जाँच कराऊंगी और जो कंज्यूमर हैं, जिनसे कंपनियों ने पैसे लिए हैं उनका पैसा वापस दिलाऊंगी। पैसा वापस दिलाने की बात तो अलग हो गई. सर उनसे पैसा वापस दिलाने के साथ-साथ विजेन्द्र जी को छुट्टी करने के बाद तुरन्त इन्होंने फिर दाम बढ़ा दिए। ये तो कहते है हमने 32 प्रतिशत, 28 प्रतिशत बढाए हैं लेकिन सर वो दाम 60 प्रतिशत बढ़े हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, सर 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक आपका टैरिफ है 3.70 रूपए, अगर कंज्यूमर का युनिट 201 हो जाता है तो 201 होने के बाद 201 में एक यूनिट का चार्ज करेंगे 4 रूपए 80 पैसे। इस देश के अंदर इंनकम टैक्स डिर्पाटमेंट है वो लोगों की आमदनी पर टैक्स लगाते है, पहले पाँच लाख के स्लैब के ऊपर इंनकम टैक्स डिर्पाटमेंट टैक्स लेता है तीन लाख रूपए, उसके बाद अगर आपकी आमदनी आठ लाख हो गई है तो आठ लाख होने के बाद उसके ऊपर टैक्स वसूला जाता है पाँच लाख रूपए लेकिन वो पाँच लाख रूपए एक लाख से लेकर आठ लाख तक की राशि पर नहीं लिया जाता है, वह पाँच लाख से आठ लाख के बीच की तीन लाख की जो आमदनी है, उस तीन लाख पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स वसूल करता है, आठ लाख के हिसाब से, सर और बाकी पांच लाख पर उसी प्रकार टैक्स वसूल करता है जो इस देश के अंन्दर केंद्र की बनाई हुई, भारत के अंन्दर रैवन्यू इकट्ठा करने के लिए इंकम टैक्स डिर्पाटमेंट है वो उस टैरिफ में पैसा इकट्ठा करता है। बिजली कंपनी या इन्होंने कोई ऐसी फैसीलिटी दे रखी है। कंपनी ने किसी कंज्यूमर को 175 यूनिट से पहले बंजर होगा मीटर के अंदर, या उसको बता दिया जाएगा कि तेरा 200 यूनिट होने जा रहा है। 201 यूनिट होने के बाद 4 रूपए 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अगर पैसे वसूल करते हैं तो किसी गरीब आदमी का बिल जो एक पंखा, एक टेलीफोन और एक प्रैस, प्रैस तो कभी-कभी आदमी चलाएगा ही, अगर घर में तीन चीज ये आदमी चलाता है और हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के पास आज ये फैसलिटी है, दिल्ली के अंदर, वो भी अगर इतनी बिजली कंज्यूम करता है तो उसका टैरिफ 222-223 के करीब पहुंच जाता है। बड़ी चतुराई के साथ इन कंपनी वालों ने माननीय मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को या तो कोई न कोई सैटिंग है। हम जो करते जाएंगे, हमारी हां में हां मिलाते जाना और सैटिंग नहीं है तो कहीं न कहीं सरकार सक्षम नहीं है इस चीज को देखने के लिए। सरकार को इस बात पर शर्मिन्दगी महसूस करनी चाहिए जिस प्रकार उसका टैरिफ बढ़ाया 200 से लेकर 400 टैरिफ तक, इन्होंने सर एमाउंट बढ़ाकर और फिर दो रूपए फालतू कर दिया। उस 400 यूनिट के अंदर भी इनकी स्थिति ये हो जाने वाली है तो इस प्रकार जो घाटा कंपनिया दिखा रही हैं, उस घाटे के अंदर इन्होंने जो आम आदमी के साथ टैरिफ बढ़ाया है वो 60 प्रतिशत टैरिफ बनता है, सर निकलने के बाद। जो ये कंपनियां 60 प्रतिशत के हिसाब से ले रही है। अभी मुझसे पहले मुखी जी ने बताया था कि नोटिफिकेशन अभी 13 तारीख को हुआ है, बगैर नोटिफिकेशन के कंपनियों ने एक जुलाई से बढ़े हुए पैसे वसूलने शुरू कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट में यहां पर डीजल के अंदर वैट कम करने की घोषणा की थी लेकिन क्या दिल्ली की जनता से घोषणा करने के बाद, नोटिफिकेशन से पहले क्या पैट्रोल पम्प वालों ने वैट के पैसे कम कर दिखाये। आम जनता इंतजार करती रही कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा तब तक डीजल के रेट कम नहीं होंगे। एक तरफ तो मुख्यमंत्री वैट के पैसे कम करने को मना करती है, अगले दिन स्पीकिंग आर्डर के आधार पर बिजली कंपनियों को बढ़े रेट के टैरिफ के बिल भेज दिए जाते है, ऐसी क्या रिश्तेदारी है कंपनियों से इनकी, जो दिल्ली की जनता

से नहीं है, कि स्पीकिंग आधार पर आप रेट बढ़ा देते हैं। विधान सभा के अंदर कानून पास होता नहीं है और तुम उनको आदेश देते हो और लोगों के बिल आ जाते है बढ़ने के बाद अगर उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। सर बच्चा पेपर देने अगर स्कूल के अंदर जाएगा, नोटिफिकेशन के बगैर कंपनियों को किसने अधिकार दे दिया, रेट बढ़ाने का। कंपनियो को कैसे पता लग गया कि इतना रेट बढा दिया डी.आर.ई.सी ने। इसका मतलब कहीं न कहीं ये चीजें लीक होती है और देश के लोकतंत्र में तो मुकेश जी को आजकल संसदीय सचिव बना दिया गया है, लंबे अरसे के बाद, इसलिए आजकल ये बडे जोश में हैं और सरकार को बचाने के पक्ष में बड़ी तेजी के साथ लगे रहते हैं। मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहुंगा सरकार अगर गरीबों की हितैषी बनती है तो उनका हितैषी बनने के साथ साथ जो यह लोकतंत्र के साथ साँठ-गाँठ हैं, जो लीकेज का मामला चलता है, चीजें लीक होती हैं। अध्यक्ष जी, क्या अगर पेपर देने से पहले ही नम्बर दे दिये जाएं? तो अगर सर, बिजली कंपनियों के साथ सरकार की इस तरह से साँठ-गाँठ होगी तो दिल्ली की आम जनता उसका लाभ कैसे उठा पायेगी, यह आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसके अंदर, वो आप पढ़ लेना। सर, मुझे मालूम है कि वो यहां से प्यार से बुलवाएंगे, बाकी किसी मामले मे कम तो हैं नहीं वो। क्योंकि सर, आजकल आप नम्बर वन पर हो तो इनके टर्म एंड कंडीशन में पाइंट हैं, उन पाइंटों पर मैं मंत्री जी के साथ बैठने को तैयार हूं, उनमें 22 तो ऐसे पाइंट हैं जिनको टोटल कंपनी वायलेट कर रही है और उस वायलेशन के आधार पर जिनका कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसमें तय था कि अगर इन पाइंट अगर वायलेट करेगी तो इनका यह कांट्रेक्ट समाप्त कर दिया जायेगा। बीस-बीस पाइंटों को कंपनी सरेआम वायलेट कर रही है और सरकार चुप साधे बैठी है। इस आधार पर सर नियम के मुताबिक इन कंपनियों का कांट्रैक्ट, इन वायलेशन के आधार पर सरकार को तुरंत रदद कर देना चाहिए। अगर वास्तव में जनता के हित की बात सरकार करना चाहती है, अगर गरीबों के बारे में बात करते हैं सर। मनोज जी ने कहा था अभी मुझसे दो मिनट पहले गरीब आम आदमी, गरीब आदमी झुग्गी में रहता था, अगर एक बल्ब जलाएगा तो 10 रूपए देगा, दो बल्ब जलाएगा तो 20 रूपए देगा। सब्सिडी जो सरकार दे रही है गरीब के नाम पर वो कंपनी को दे रही है, सर। गरीब आदमी को नहीं दे रही। अगर गरीब आदमी को सरकार सब्सिडी देती होती तो एक फिक्सड़ टैरिफ कर दिया जाता कि गरीब जै.जै.कलस्टर झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति, सर वो एसी चला नहीं सकता झुग्गी में रहकर, गरीब आदमी 200 रूपए से ज्यादा का बिल किसी भी कीमत पर कंपनी को नहीं चुकाएगा, बाकी जो बिल झुग्गी वाले का आएगा उसकी पेमेंट सरकार करेगी, फिर तो समझ लेता कि निश्चित रूप से आप गरीब के हित की बात कर रहे हो। कंपनियों ने सरकार को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया और बनाया। कंपनियां सरकार से तो सब्सिडी लिये जा रही है और आम आदमी को इसका लाभ मिल नहीं रहा है। इसलिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं लेकिन मैं फिर माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इन कंपनियां का कांट्रेक्ट निश्चित रूप से कैंसिल कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री मुकेश शर्मा।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा हो रहो है निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर विषय है और दिल्ली के आम आदमी से जुड़ा हुआ है, मुखी जी बाहर हैं, अच्छा होता कि वो अंदर होते। जब मुखी जी बोल रहे थे तो मैंने सुना। मुझे लग रहा था कि मुखी जी बिजली के मामले में कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं लेकिन मुखी जी का भाषण और उनके तर्क से लगता है कि उनमें कोई जान तो थी ही नहीं और वो तथ्यों से पूरी तरह से परे थे। इसके साथ-साथ मैंने कहा कि मुखी जी होते तो बहुत अच्छा लगता। उनकी बोलने की जो धार थी उस धार में कहीं न कहीं यह झलक रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इन कंपनियों की दलाली में शामिल है। अध्यक्ष जी, मैं इसलिए

यह बात कह रहा हूँ अब रमेश जी सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिये। जनकपुरी के अंदर अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुखीजी जी होते तो अच्छा रहता, जनकपुरी में एक डेसु कालोनी है, उस डेसु कालोनी के फ्लैट्स हमारे ऊर्जा मंत्री साहब को शायद याद होगा, उस डेसु कालोनी के फ्लैट भी जो प्राइवेटाइजेशन किया उसमें वो सम्पत्ति भी बी.एस.ई.एस. कम्पनी के पास चली गई। बी.एस.ई.एस. कम्पनी के मालिक के परिवार के कुछ लोग हेलीकॉप्टर से उसको देखने आये। मुखी जी ने एक दिन अखबार मे बयान दिया, अगले दिन मुखी जी ने बयान दिया और उसके बाद से मुखी ने उस मुद्दे को उठाना बंद कर दिया। यह जाँच का विषय है कारण क्या है और अध्यक्ष महोदय, जो यह कहा गया कि दिल्ली के अंदर मुखी जी कह रहे हैं कि लोगों ने बिजली के कनैक्कशन कटवा दिये हैं और लालटने लगा ली है और रमेश विधूड़ी जी कह रहे हैं कि झुग्गी वालों के भी टेलीविजन चल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, प्रेस चलाते हैं, अब मुखी जी की बात ठीक है या उनकी बात ठीक है, मेरे को पता नहीं है कि दिल्ली में किसकी बात ठीक मानी जाये। अगर लालटेन वाली बात सही है तो आपकी बात गलत है और आपकी बात सही है तो उनकी बात गलत है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात रिकार्ड पर कहना चाहता हूँ कि दिल्ली शहर के अंदर जहाँ हम 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, अगर 24 घंटे बिजली दिल्ली के लोगों को चाहिये. जो बाकायदा अच्छे ढंग से हम प्रयास कर रह हैं लोगों को बिजली देने का। आपका पंजाब प्रदेश जहाँ आपकी पार्टी की supported Government चल रही है, जहाँ किसान हैं दिल्ली के अंदर तो मैं अभी आऊंगा पर कैपिटा इंकम पर क्षमा करना, पंजाब प्रदेश के अंदर बिजली का रेट क्या है बता पायेगा आप में से कोई। अध्यक्ष महोदय, पंजाब प्रदेश के अंदर 400 यूनिट के बाद बिजली के दाम 6 रूपये 90 पैसे पर यूनिट है, जहाँ इनकी सरकार चल रही है, जहाँ किसान है सिर्फ माफ करियेगा, जहाँ दिल्ली की तरह शहर में लोग नहीं रहते और अध्यक्ष महोदय मुझे यह कहते हुये गर्व हो रहा है और मैं नहीं कह रहा हूँ आप नेट खोल कर चैक कर लेना 5 साल के बाद अध्यक्ष जी दिल्ली में दाम बढ़े हैं और पाँच साल पहले दिल्ली की 2006-07 में पर कैपिटा इंकम 78,741 रूपये थी जो अध्यक्ष जी, पर कैपिटा इंकम बढ़ के इन पाँच सालों मे 1,75,812 रूपये दिल्ली में पर कैपिटा इंकम हुई है । यह हमारी सरकार की सूझ-बूझ का नतीजा है। अगर दिल्ली शहर में पर कैपिटा इंकम माफ करना बढ़ रही हैं तो उसका कारण है दिल्ली के अंदर बिजनैस मैन बढ़े हैं, दिल्ली में रोजगार के साधन बढ़े हैं। आज दिल्ली के अंदर जो न्यूनतम मजदूरी है, जो मिनिमम वेजेज है वो भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है क्षमा करना। अध्यक्ष जी, मुखी जी आ गये अब मैं इनकी बात शुरू कर रहा हूँ इनके सामने ज्रा मजा आता है बात करने में। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि मुखी जी का यह कहना कि लालटेन लोगों ने घर में लगा लिए, कनैक्शन कट गये और इन्हीं के पार्टी के बिधुड़ी जी का यह कहना है कि झुग्गियों में टेलीविजन चल रहे हैं अब दोनों में से कौन गलत है यह फैसला कर लें ये लोग। मुझे फैसला नहीं करना ये फैसला करें। अब यह रिकार्ड पर बोले, अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं फिर यह आरोप लगा रहा हूँ कि मुखी जी के तथ्य सदन को और दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए थे और जैसे एक एक्स फाइनेंस मिनिस्टर को बोलना चाहिये वैसा वो दिल से नहीं बोल रहे, किसी न किसी कहीं कम्पनी वाले ने कान्टेक्ट किया होगा सवेरे निश्चित तौर पर इनके भाषण में कोई धार नहीं थी और अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और रिकार्ड पर और कहना चाहता हूँ। साहब सिंह जी फिर ध्यान रखना मैं बोलने नहीं दूंगा जब आपकी बारी आएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस बिजली को लेकर आज हमारी सरकार से दरख्वास्त की जा रही है कि दिल्ली मे चुनी हुई सरकार है, आप अपने भाषण में यह बात एडिमट करते हैं कि डी.ई.आर.सी. के चेयरमैन का दर्जा दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज को तरह है आप अच्छी तरह जानते हैं कि डी.ई.आर.सी. independent body है, सरकार का डी.ई.आर.सी. से कोई ताल्लुक नहीं है । जब पाँच साल बाद दिल्ली में बिजली के दाम बढ़े, इससे पहले कि हमारी सरकार कोई कवायत करती, इससे पहले कि इसका

कोई राजनीतिक रास्ता निकालने का प्रयास होता, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में आरोप लगा रहा हूँ कि इनकी मिली-भगत से इनके षडयंत्र से यह अदालत के अंदर गए और 8 मार्च, 2012, अध्यक्ष जी, इनको अदालत में जाने की बड़ी आदत है यह राजनीतिक हल नहीं चाहते हैं. अस्थिरता फैलाते हैं. अदालतों के माध्यम से. 8 मार्च. 2012 को नंद किशोर वर्सेस G.N.C.T मुकदमे का फैसला हुआ । कौन है साहब नंद किशोर गर्ग जी, आपकी पार्टी के एक्स. एम.एल.ए. आपने उनको अदालत भेजा डी.ई.आर.सी. के फैसले के खिलाफ, आपने हमसे राजनीतिक बात नहीं की और अदालत आपने इसलिए भेजा और अदालत ने क्या कहा वो आप जानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, मैं सिर्फ दो लाइन पढ़कर सुना रहा हूँ उसके बाद मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को अधिकार है इसमें inteference करने का। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने जजमेंट मे कहा कि High Court Judgement dated 8 March, 2012 Nand Kishore Vs Government of Delhi, "State Government cannot interefere in the Fixation of tariff by the Regulatory Commission." अध्यक्ष महोदय, यह आपकी पार्टी ने जो केस डलवाया है उसके जजमेंट की मैं लाइन पढ़कर सुना रहा हूँ। इसके बाद क्या हमें अधिकार है इसमें interference करने का। इसके साथ-साथ अध्यक्ष जी मैं एक बात और साफ करना चाहता हूँ आज जो बिजली के दाम पाँच साल के बाद बढ़े हैं जिसको लेकर आप एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं हालांकि वो मुद्दा आपसे बन नहीं पाएगा, न बना है क्योंकि हमारी सरकार दिल्ली के गरीब लोगों के लिए, दिल्ली के आवाम के लिए काम कर रही है। हमने 200 यूनिट तक लोगों को सब्सिडी दी है। महोदय, छह हजार करोड़ रूपये का घाटा था। सी.ई.आर.सी. जो Central Electricity Regulatory Commission है सी.ई.आर.सी. का यह कहना है कि जो घाटा आज है वो घाटा future generation से वसूल न किया जाए इसलिए आप, इसके साथ-साथ इस घाटे को पूरा करिये और ईयरली इस पर आप फिक्सेशन करिये, ईयरली आप इस पर टैरिफ तय करिये। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ

मैं बिजली के मामले में दो बात और कहना चाहता हूँ कि आपने जहाँ तक सवाल निजीकारण का है अध्यक्ष जी, कब 1998 में यह गए तो दिल्ली की जो माँग थी वो 1600 या 1700 मेगावाट दिल्ली की डिमांड थी और 2112 मेगावाट हम दिल्ली मे जनरेशन कर रहे थे। हम दिल्ली में बिजली बाहर से नहीं ला रहे थे। उस वक्त के जो डेसु के रेट थे उस वक्त जो डेसु की हालत थी आप जानते हो और अगर मैं सही कह रहा हूँ रिकार्ड पर तो 1996 में मुखी साहब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे दिल्ली के 1996 में आप प्राइवेटाइजेशन का पहला प्रस्ताव यमुनापार का आप इस हाउस में लेकर आए थे जब आप दिल्ली के डेसु के मजदूरों को मारने का प्रयास कर रहे थे, हमने यहाँ पर विरोध किया था खड़े होकर हमने कहा था हमने प्राइवेटाइजेशन किया है दिल्ली के लोगों को अच्छी बिजली देने के लिए। हमारा वायदा लोगों को 24 घंटे बिजली देने का है हम बवाना चालू कर रहे हैं, हम इस साल दिसम्बर तक 4500 मेगावाट दिल्ली में अपनी खुद बिजली जनरेट करने लगेंगे। यह आपने कभी नहीं किया है। यह हमारी दूरदर्शिता है, आपने एक युनिट पावर जनरेशन के लिए कदम नहीं उठाया। अध्यक्ष महोदय, आज फ्यूल कॉस्ट कितनी बढ़ी है 103 परसेंट फ्यूल कॉस्ट बढ़ी है। 36 परसेंट कोयले के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं इन सब तथ्यों को भी मुखी जी आपको और दिल्ली के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमने 200 यूनिट तक जिन लोगों को सब्सिडी दी है, 19 लाख के करीब लोग आज उस सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं। हमने गरीब आदमी पर ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों की पर कैपिटा इंकम 1 लाख 75 हजार से कोई तीन लाख बढ़ाने की हाँ भर लें और बिजली के दाम बेशक 10 परसेंट और बढ़ा दो तो हम तो उसके लिए भी तैयार है लेकिन दिल्ली के लोग खुशहाल रहे, रोजगारमंद रहे, बेरोजगार न हो आज अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर क्षमा करियेगा, माफ करियेगा मैं तो यह भी कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो बीपीएल की कंडीशन है दिल्ली में, जो सरकार की बीपीएल की कंडीशन

है, आज दिल्ली के अंदर माफ करियेगा अध्यक्ष जी, दिल्ली के लोग खुशहाल हैं आज, आज दिल्ली की अनिधकृत कॉलोनियों के लोगों को यह कॉलोनियाँ नियमित करके हमने रातोंरात अध्यक्ष जी करोड़पित इन लोगों को बनाया है। उस गरीब आदमी को जिस बेचारे ने 100 रूपये गज मकान लिया था आज उसका मकान एक लाख रूपये गज हुआ है वो हमारी सरकार की वजह है और अध्यक्ष जी, दिल्ली में रोजगार के साधन बढ़े हैं दिल्ली में कोई आज नौजवान बेराजगार आपको सड़क पर घूमता नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है उसकी वजह हमारी good governance है उसकी वजह सरकार ने ऐसे साधन पैदा किए हैं कि नौजवानों को रोजगार मिलें इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यह बिजली पर बवाल बंद करे। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा जादूमंत्र है कि बिजली कहीं से फ्री में मिल सकती है तो हमें बताएं। अगर बिजली पर 6 रु. युनिट खर्च होगा उससे तो हम 30 पैसे कम ही ले रहे हैं लास्ट के स्लैब में। यह कभी कैसे हो सकता है सरकार ऐसे नहीं चलेगी, इन्होंने जो तथ्य पेश किए हैं वे दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए हैं। मैं पूरे तरीके से यह कहना चाहता हूँ चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट में ये गये है इनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए और अगर किसी को संदेह है कि डीईआरसी का सरकार से कोई ताल्लुक है डीईआरसी एक ऑटोनोमश बॉडी है वह टैरिफ का फैसला करती है। जैसे भारत सरकार ने पैट्रोल और डीजल के दाम आज बढ़ाने के लिए प्राइवेट कम्पनीज को निर्धारित कर दिया है हर हफ्ते दस दिन में रेट घटते बढ़ते हैं इसलिए डीईआरसी का फैसला है हमारी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार का एक लेना देना जरूर है कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घण्टे बिजली दें, अच्छी बिजली दें, लोगों को समय पर बिजली मिले और बिजली की चोरी न हो, आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदाय: चौ. सुरेन्द्र कुमार जी।

चौ. सुरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, आज बिजली के बढ़ते दामों पर चर्चा है, में बताना चाहता हूँ कि जो लोग 25 गज के मकान में रहते हैं या झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं उनको मात्र 5000 या 6000 रूपये तनख्वाह मिलती है या एमसीडी में जो कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं उनको भी 5200 से 5500 रूपये तक तनख्वाह मिलती है। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले काफी आदमी आए उन्होंने कहा कि विधायक जी हमें तनख्वाह लगभग 5300 रूपये मिलती है और 1500 से 2500 रूपये बिजली का बिल आ जाता है जो हम देने में मजबूर हैं। हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे। क्योंकि हमने सरकार को वोट दिया है और यह विश्वास करके दिया है कि निश्चित तौर पर सरकार हमारा भला करेगी। सरकार हमारी रोजी रोटी पर ध्यान देगी, हमें बिजली देगी हमारे घर में उजाला देगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया है, गरीब लोगों ने आपको वोट दिया है, गरीब लोगों की वजह से दिल्ली मे काँग्रेस की सरकार बनी है। मैं माननीय बिजली मंत्री से कहना चाहता हूँ कि वे गरीब आदमी कैसे अपना और अपने बच्चों का पालन-पोषण करेंगे जिनको लगभग 5000 रूपये तनख्वाह मिलती है यदि उनमें से व 2000 रूपये बिजली के बिल के रूप में देंगे तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे कैसे उनका भविष्य सुधार पाएंगे। उनके लिए प्राइवेट स्कूल तो दूर, वे सरकारी स्कूलों में भी नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसे हालात हो जाएंगे कि वे दिल्ली से जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरे जो धनी लोग होंगे वे उनके मकान खरीदने का काम करेंगे। वे धनी लोग ही यहां पर रह पाएंगे। मैं यहां सदन से और सरकार को कहना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उन गरीबों का भी ध्यान रखें जिन्हें आप कांट्रेक्ट बेसिज पर रखते है या होस्टल में जो कर्मचारी लगाये जाते है उनको भी 5-6 हजार रु. ही तनख्वाह मिलती है । आप ही देखिए वे लोग दिल्ली मे कैसे रह पाएंगे। इसके साथ ही साथ दिल्ली जल बोर्ड से भी पानी के बिल 500-600 रु. के आते हैं। मेरा तो यह मानना है कि दिल्ली की जो गरीब जनता है वह दिल्ली से चली जाएगी। आपने जो मिट्टी

का तेल बंद करने की बात की है गरीब आदमी अपना 50-100 रूपये का मिट्टी का तेल लाकर अपने परिवार के लिए रोशनी लालटेन/दीये आदि से कर लेते थे और अपने परिवार के लिए स्टोव आदि जला लेते थे। मेरा कहना है कि यहां की सरकार गरीबों की तरफ भी देखे और निश्चित तौर पर उनके कल्याण के लिए जिनकी तनख्वाह लगभग 5 हजार रु. है उनको 100-200 रु. की बिजली का बिल देने का प्रावधान करे तभी वे गरीब आदमी यहां रह पाएंगे। आज की महंगाई आप देख रहे हैं करीब 100 रू. किलो तो दाल ही बिकती है, 60-70 रू. किलो सब्जी मिल रही है, यदि कोई खाली प्याज भी लेने जाए तो 20-30 रू. किलो प्याज मिलती है। वे लोग चटनी से रोटी खाने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए बिजली इसलिए जरूरी है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा सके, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिजली की आवश्यकता है, आदमी एक बार भूखा सो सकता है, लेकिन बिना बिजली के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। जो स्थिति देश में 50 साल पहले थी कि बच्चे दीये और लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे, बिजली की बढ़ती दरों को देखते हुए यही लगता है कि 50 साल पहले की स्थिति आने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: देखिए, बोलने वाले सदस्य बहुत अधिक हैं। 52 मिनट तक भाजपा की ओर बोला गया है। मुकेश शर्मा जी 12 मिनट बोले हैं, समय अधिक नहीं है, इसलिए जो नाम नहीं आ पाए हैं उनसे मैं माफी चाहता हूँ और पावर मंत्री साहब से आग्रह है कि वे जवाब दें।

डा. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, मेरी एक निवेदन है, आपका यह जो इंटरपटेशन है वह ठीक नहीं है सरव्यवधान

अध्यक्ष महोदय : क्या ?

डा. जगदीश मुखी: आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने इतने मिनट बोला। अभी बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं बोला, अभी तक जो बोले है उनके एजेंडे में नाम थे might be congress, might be BJP और आपने जिनको मौका देना है अभी दो लोगों को मौका दिया है आपने। वे जो हैं एजेंडे में है as per decision हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी आप निर्णय करें किसको कितना बोलने देना है यह prerogative आपका है। किन्तु अभी तक बीजेपी को आपने मौका नहीं दिया है। जो मौका देना है strength के हिसाब से मौका दीजिए, मेरा यह निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष जी, तू इधर उधर की न बात कर, यह बताए कि कारवां क्यों लुटा?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, एक मिनट, चौहान साहब चाहते हैं कि नाम बताए जाएं किस किस के आए हैं। व्हीप साहब की तरफ से जो नाम आए हैं- श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री रिवन्द्रनाथ बंसल, श्री नरेश गौड़। इधर से भी तीन नाम हैं, बराबर का मामला है इसलिए मैं और समय नहीं दे पाऊंगा। मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्री: तू इधर उधर की न बात कर, यह बता िक कारवां क्यो लुटा? मैं मुखी जी से यह कहूंगा िक तीन-तीन बार कारवां लुटने के बाद भी आप नहीं समझे िक खाली आरोपों से सरकारें नहीं आती हैं। सरकारें आती हैं जब लोगों की सेवा करते हैं लोगों के लिए नीतियां बनाते हैं और आज श्रीमती शीला दीक्षित जी तीन बार चुनकर यहां इसलिए आई हैं िक दिल्ली के गरीब लोगों का मध्य वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए उन्होंने वो नीतियां बनाई हैं जिनसे उनको फायदा पहुंचा है। मुझे दुख इस बात का है िक थोड़ा बहुत झूठ तो चल जाता है लेकिन शुरू से आखिर तक ही झूठ बोला जाए मैं समझता हूँ िक अब हम लोगों को समझ लेना चाहिए, चाहे आप हों चाहे हम हों। इस तरीके से आज जनता के बीच में हम लोगों को देखा जाने लगा है मैं समझता हूँ तमाम श्रेणियों से सबसे नीची श्रेणी में हम और आप आते हैं।

अध्यक्ष महोदय: हारून साहब, चौहान साहब कह रहे हैं कि आपका शेर कुछ जमा नहीं है। सुनिए, शेर को जमाने के लिए मैं आपकी तरफ से यह बोल देता हूँ- भूल गए आक बाक भूल गए जकड़ी, तीन चीज याद रही नून तेल लकड़ी।

ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर विषय के ऊपर चर्चा आज इस सदन में हुई है। यह चर्चा और ये आरोप इस तरीके से आते रहते हैं चाहे वे सदन में हों, चाहे हमारी विपक्ष की पार्टी जो है जब कुछ नहीं मिलता तो मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का निशाना साधने से कहीं नहीं चूकते। और पिछले 14 वर्षों से ये काम लगातार कर रहे हैं और आज जिस तरह से बिजली पर मुखी जी ने कहा, मैं मुखी जी को ये बताना चाहूंगा कि जो वे कह रहे थे कि 600 गुना बिजली के बिल बढ़ गये है, मैं मुखी जी से कहना चाहूंगा।

डा. जगदीश मुखी: 600 नहीं 6 गुना।

ऊर्जा मंत्री: आप उसको 600 परसेंट कह लीजिए उसको। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा फैक्ट्स आप, क्योंकि आप बड़े सम्मानित और सीनियर हमारे नेता है और वित्त मंत्री रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आंकड़े और तमाम डेटाज का आपको पूरा ज्ञान भी है और आप थोड़ा सा उसको बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात है तो पिछले 10 वर्षों में जो हालात बिजली की सुधरी है, वह सिर्फ न दिल्ली के लोग बिल्क पूरे हिन्दुस्तान के लोग उसको स्वीकार करते हैं, आज हमारे जो पड़ोस के शहर हैं, चाहे वह गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, वैशाली हो, कोशाम्बी हो, जिस तरीके से 16-16 घण्टे वहां बिजली जाती है, और दिल्ली के अंदर कहीं अगर जाती है तो एक डेढ़ घण्टे के लिए बिजली जाती है। प्राइवेटाइजेशन को जो यह एक लम्बा 10 साल का रास्ता था। मैं मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ कि यह उनकी दूरन्देशी थी कि आज जब पॉवर की माग 1600 मेगावट से बढ़कर 5700-5600 मेगावाट

पहुँच गयी है। ये उन्हीं की दूरदर्शिता थी कि उन्होंनें इसको सोचा। बार बार बहुत सारी ऐसी बातें आप कहते रहते हैं, अभी आपने कहा कि जो करेगेसीन फ्री स्कीम लाई गई है, जब कि मिट्टी के तेल का इस्तेमाल बढ़ गया है। मैं समझता हूँ कि आपको ये तमाम चीजें जब बोलते हैं, तो बाहर जनता भी सुनती है। मुख्यमंत्री की सोच थी कि एक गरीब महिला जो बिलो दि पॉवर्टी लाइन से बिलॉंग करती है, उसको भी गैस का चूल्हा मिलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने भारत सरकार जाकर लड़ाई लड़ी इसकी और जिसकी वजह से आज ये केरोसीन मुक्त हो रहा है। और दूसरा जो दुख आपने कहा कि लालटेन जलेगी, आज केरोसीन बंद होने से जो गरीब लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ी है, मैं फूड एण्ड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर जब से मैंने इस ओहदे को संभाला है, मैं मानता हूँ कि किस तरह से गरीब लोग धक्के खाते हैं राशन की दुकान पर, किस तरह केरोसीन के डिपो मालिक उनको जो सिर्फ बदतमीजी उनके साथ करता है, सिर्फ केरोसीन उनको मिला करता था। हैरतअंगेज बात यह है कि...

श्री साहब सिंह चौहान:व्यवधान....

अध्यक्ष महोदय: साहब सिंह जी, सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं और मुख्मंत्री जी ने इस बात को पहचाना, मिट्टी के तेल के डिब्बे लेकर गरीब बूढ़ी-बूढ़ी औरतें खड़ी रहती थीं, और वहां वह कह देता था कि तेल नहीं है कल मिलेगा। उसी वजह से लगातार ... आप बात सुन लीजिए। इसी वजह से डेढ़ साल से लगातार मुख्यमंत्री की कोशिश रही कि किस तरीके उनको इस बीमारी से निजात दिलाई जा सके। आज जब उनको गैस का चूल्हा मिलेगा तो प्रदूषण से भी उनको मुक्ति मिलेगी और जो मिट्टी के तेल की वजह से आग लगती थी, उससे उनको निजात मिलेगी। आज अगर मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी उन केरोसीन डीलरों के लिए बोल रही है कि मिट्टी के तेल की डिमाण्ड बढ़ रही है, तािक दुबारा उनको चालू किया जाये। भ्रष्टाचार की बात आप करते

है, लेकिन नीयत जो आप बोलते हैं, उससे तमाम बातें जाहिर हो जाती हैं। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, अभी मुखी जी ने कहा 6 गुना बढ़ा दिये है मैं मुखी जी को बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में मात्र 122 प्रसेंट बिजली के दाम बढ़े हैं और जो पॉवर परचेज कॉस्ट है, वह अब तक 248 फीसदी बढ़ चुकी है। बिजली जो हम देते है। जो गरीबों के बारे में बहुत सारे लोग अपने खयालात का इजहार कर रहे थे। गरीबों का ख्याल रखते हुए 19 लाख परिवारों को दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक रू. की सब्सिडी इसलिए दी कि वो बिजली का इस्तेमाल कर सकें। कुछ लोगों को जब सब्सिडी दे तो बोले कि 201 हो जाता हैं तो उसको 4.80 पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ये तो रिकॉर्ड की बात है कि आज भी तकरीबन 19 लाख परिवारों को 2.70 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है। इसके अलावा जिस तरीके से बिजली जाया करती थी। आज पड़ौस के जो हमारे राज्य हैं, वहां 16-16 घण्टे लोग 15 रू. प्रति यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं। एक बात को बार-बार बहुत ज्यादा जोर शोर से उठाया जाता है कि पिछले जो डीईआरसी के चेयरमैन थे,

...व्यवधान...

श्री रिवन्द्र बंसल: अध्यक्ष महोदय, आज हरियाण में, राजस्थान मैं, यूपी में उत्तराखण्ड में हर स्टेट के अंदर राजस्थान के अंदर बिजली के दिल्ली से कम रेट हैं।

....व्यवधान....

ऊर्जा मंत्री: आपको ऐसी बिजली चाहिए क्या?

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदयः आप उन्हें बोलने दीजिए।

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदय : सुन लीजिए।

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार जो है कर्नाटक में हे, जहाँ पर...

....व्यवधान....

ऊर्जा मंत्री: आप बैठिए। आप सुनिये। अगर आप बीच बीच में बोलेंगे या सुनना नहीं चाहते। वाक आउट करना चाहते हैं।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, हम इनकी बात से सहमत हैं। ये मान रहे हैं कि 148 परसैंट टेरिफ बढ़ाया है। किन्तु ये नहीं मान रहें हैं कि तेज दौड़ते मीटर लगवाकर आपने जनता का खून चूसा है, उसका हिसाब दीजिए न आप। जो आपने फिक्सड चार्ज बढ़ाये हैं, उसका हिसाब दीजिए न आप। गलत आप बोल रहे हैं हमने तो ठीक जानकारी दी है। हण्ट्रेड परसैंट। एक भी शब्द असत्य नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है बोलने दीजिए।

डॉ. जगदीश मुखी : जनता को गुमराह कर रहे हैं ये ।

अध्यक्ष महोदयः उनको बोलने दीजिए।

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के तीन बड़े शहर मुम्बई, कलकत्ता बैंगलोर। तीनों जगह पर जो दाम हैं तकरीबन दो से तीन रू. प्रति यूनिट ज्यादा चार्ज किया जाता है।. ...व्यवधान.....

ऊर्जा मंत्री: मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आप जो भी बात करते हैं। आप लोगों की बात नहीं करते। आप तो किस तरीके से निशाना बनाया जाये, किस तरीक से आलोचना की जाये, इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। आप नन्दिकशोर गर्ग जी की बात कर रहे थे शर्मा जी, वे स्वयं कोर्ट गये थे और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि जो डीईआरसी का निर्णय है, वो अंतिम निर्णय होगा। उसमे सरकार का किसी तरह का दखल नहीं होगा। लेकिन बार बार चाहे मुखी जी हों,

...व्यवधान....

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर ये बोलते रहेंगे

अध्यक्ष महोदयः बंसल साहब आप तो बैठे-बैठे बोलते नहीं थे कभी। पता नहीं क्या हो गया है? बैठिए सुन लीजिए। आप को गलत लगता है तो गलत सुन लीजिए। बैठिए।

....व्यवधान....

ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, एक और बात बार बार डीईआरसी के फार्मर चेयरमैन के बारे में कही जाती है, और एक कालपनिक फीगर जो वे लेकर आये थे।

डॉ. जगदीश मुखी: कौन?

ऊर्जा मंत्री : जिन चेयरमैन का आप जिक्र करते है बार,बार उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ...व्यवधान.....

डॉ. जगदीश मुखी: आप स्टेटयूटरीज बॉडीस को denigrate करते हैं आप इस तरह से।

ऊर्जा मंत्री : मैं ऑन रिकार्ड बोल रहा हूँ

डा. जगदीश मुखी: डिनिग्रेट करते हैं आप आज उनके बारे में बोल रहे हैं यहां पर कमेन्ट कर रहे हैं जो फीगर लेकर आते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम इन्टरफेयर नहीं करते है।इससे बड़ा इन्टरफेयर क्या हो सकता है? ये स्वयं सिद्ध है कि स्वयं इन्टरफेयर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: देखिये मुखी साहब। आपको भी शान्ति से सुना है सबने । आपका भी कर्त्तव्य है कि आप भी सुनें। प्लीज इस तरह से बीच में मत बोलिये।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महादेय, यह आपको देखना है। यहाँ पर इस सदन के अंदर किसी statutory body का जो delegation होता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

मुख्यमंत्री: सर, I have a point of order. आप लोग बोलें। यहाँ से कोई भी नहीं बोला। सर मंत्री महोदय, अपना रिप्लाई दे रहे हैं और ये जान बूझकर डाउन कर रहे हैं क्योंिक वो बातें नहीं सुनना चाहते हैं। जो असिलयत है, जो सच्चाई है। ये प्लीज छोड़ दीजियेगा। आपसे हम तो नहीं करते । मुखी साहब, 40 मिनट बोलते रहे। तब कोई नहीं बोला। आप प्लीज, अब मंत्री बोल रहे हैं। कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा। मंत्री महोदय बोल रहे हैं। यदि आपको इनसे कोई गिला शिकवा होगा, आप बाद में किहयेगा, बाद में जरूर बताइयेगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बोलिए।

उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री: जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी ये जो आरोप

लगाते हैं। सिवाय इसके कि हर चीज में भ्रष्टाचार का आरोप, सरकार ने जो तमाम निर्णय लिए हैं। ये केबिनेट के निर्णय थे। केवल मुख्यमंत्री जी का अकेला कोई निर्णय नहीं था। आप बार-बार जिस तरीके की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो दिल्ली के अंदर 893 मिलियन यूनिट की कटौती हुआ करती थी और 2010-2011 में कुल 74 मिलियन यूनिट की लोड शेडिंग हुई। इससे यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली वालों को एक बेहतर और एक अच्छी बिजली मुहैय्या सरकार ने कराई है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर लोगों को बेहतर बिजली मिल रही है और जिस तरह से दिल्ली में नए पॉवर प्लान्ट लगे हैं। 1500 मेगावट का जो बवाना पॉवर प्लान्ट जो लगाया गया वो ऐतिहासिक है। दिल्ली में प्रगति पॉवर गैस बेस्ड जो प्लान्ट लगाया वो हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की सोच का नतीजा था कि भविष्य में दिल्ली में बिजली की माँग कितनी होगी। अगले साल तकरीबन 6500 मेगावाट के आस पास जो है दिल्ली में बिजली की डिमान्ड होगी और जिस तरीके से तेजी से बिजली की माँग बढ़ रही है मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से दिल्ली की सरकार ने उसका पूरा इंतजाम करने की कोशिश की है। एक बात बार बार विपक्ष जो आरोप लगाता है कि सीएजी से ऑडिट होना चाहिए। यह होना चाहिए। मैं आज विपक्ष को बताना चाहता हूँ कि ये हमारी सरकार थी ये हमारी मुख्यमंत्री थी, जिन्होंने केबिनेट मे यह निर्णय लिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट को कहा कि यदि कोर्ट आदेश करता है तो दिल्ली सरकार सीएजी ऑडिट कराने के लिए तैयार है क्योंकि जब हम से पूछा गया था तो इस तरह का भ्रम दिल्ली के लोगों में पहुँचा। आप इस तरह का जो मैसेज देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से दिल्ली के गरीबों का ध्यान रखा है। वो चाहे लाडली योजना हो या नवम्बर में आने वाली अन्नश्री योजना हो चाहे करोसिन फ्री हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर जो 70 साल से ऊपर के हैं, उनको 1500 रूपए की हो। आप लोग उस चीजों से परेशान हैं आप लोग परेशान इस चीज से है कि अब चुनाव नजदीक आ रहा है।

.....अंतरबाधाएँ......

उद्योग एवं उर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा के लिए काम कर सकती है वो हम पूरे तरीके से करेंगे और इस तरह के झूठे आरोप दिल्ली की जनता आगे आने वाले अगले विधान सभा चुनाव में फिर देगी और मैं मुखी जी यह वायदा कर रहा हूँ कि अगले साल नवम्बर के अंदर इसी सदन में इसी जगह से आपको एक नया शेर सुनाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: श्री नन्द किशोर जी, श्री सोमश शोकीन और अरविन्दर सिंह लवली जी पहले बोल लिए हैं। अब मैं सदन की कार्यवाही दिनांक 5 सितम्बर, 2012 को अपराहन दो बजे तक स्थिगित करता हूँ।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही दिनांक 5 सितम्बर, 2012 को अपराहन दो बजे तक स्थिगित की गई।)

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

- 01. श्री कुलवन्त राणाः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के बाद उनको वैकल्पिक प्लॉट देने का प्रावधान है:
- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि पिछले 15-20 वर्षो से किसानों को प्लाट मंजूरी प्रमाण पत्र नहीं दिये गए हैं;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास किसानों के कोई भी आवेदन पत्र बकाया नहीं हैं;
- (घ) आज तक किसानों के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, किन-किन गांवों के किन-किन किसानों को प्लाट मंजूरी प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं, सूची सहित विवरण क्या है;
- (ड़) आज तक किन-किन गांवों के ओर किन-किन किसानों के आवेदन लम्बित हैं, सूची सहित विवरण क्या है; और
- (च) जिन किसानों के आवेदन पत्र लम्बित है उनको कब तक प्लाट मंजूरी प्रमाण पत्र दिए जाने की योजना है, इसका विवरण क्या है?

लोक निर्माण मंत्री :

(क) जी हाँ।

- (ख) जी नहीं।
- (ग) यह सत्य नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास इस समय '31, अनुशंसा पत्र' आबंटन के लिए लंबित हैं।
- (घ) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भूमि एवं भवन विभाग में वर्तमान में कुल 9,416 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं जिसकी सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। सन् 2012 में अभी तक 05 आवेदकों को प्लाट मंजूरी प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं।
- (इ) लंबित सूचियों का विवरण विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है जिसमें प्रथम सूची सन् 1979-2000 तक लंबित मामलों की संख्या 1391 तथा द्वितीय सूची सन् 2001 से अभी तक लंबित मामलों की संख्या 8025 दर्ज है।
- (च) अवेदनों की कुल संख्या को तिथि अनुसार क्रमबद्ध कर दिया गया है। प्रथम सूची में वर्ष 1979 से वर्ष 2000 के आवेदनों को रखा गया है। वर्तमान में विभाग द्वारा सन् 1986 तक के आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। क्योंकि यह एक निरंतर प्रक्रिया है अत: कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।
- 02. श्री सत प्रकाश राणाः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) दिल्ली के शहरी गांवो में विकास कार्यों के लिए क्या दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम को इस वर्ष बजट का आवंटन किया है, यदि हां, तो किन-किन कार्यों के लिए और कितना-कितना;

- (ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा जिन विकास कार्यों कि लिए टेंडर कर दिये गए थे और जिन कार्यों को अब एम.सी.डी. बजट न होने की दुहाई देकर नहीं कर रही है, इस सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग क्या नीति अपना रहा है; और
- (ग) शहरी गांवों के ऐसे कार्यें के लिए सरकार क्या नीति अपना रही है?

शहरी विकास मंत्री

- (क) जी नहीं।
- (ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।
- (ग) सरकार द्वारा शहरीकृत गांवों में विधायकों की अनुशंसा के आधार पर ही विकास कार्य कराये जाने की नीति है।
 - 03. श्री सुनील वैद्यः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
- (क) क्या यह सत्य है कि परिवहन विभाग जनता की सुगम यात्रा के लिए विभिन्न रूटों पर बसों का परिचालन करता है।
- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि त्रिलोकपुरी से चलने वाली रूट संख्या 390, 322, 327, 384 पिछले काफी समय से बंद की गयी है, जिसको चलवाने के लिए माननीय परिवहन मंत्री जी के साथ पिछली मीटिंग में निर्णय हुआ था; और
- (ग) उपरोक्त बसें नये प्रस्तावित बस टर्मिनल से कब तक चलना शुरू हो जायेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) रूट सं.-390 को मयूर विहार-1 से केन्द्रीय सिचवालय वाया त्रिलोकपुरी व 384 को त्रिलोकपुरी-27 ब्लॉक से आर्य समाज रोड़ के मध्य परिचालन शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक रूट सं.-322 का प्रश्न है, यह रूट पर्याप्त यात्री-भार न मिलने के कारण इसी वर्ष मार्च में बंद कर दिया गया। भिवष्य में अगर यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है तो आंकलन कर पुन: विचार किया जा सकता है। रूट सं.-327 मयूर विहार फेज-1 से चलकर पंजाबी बाग टर्मिनल तक जाती है किन्तु त्रिलोकपुरी से नहीं गुजरता है। मयूर विहार फेस 1 व 11 जोकि त्रिलोकपुरी के बहुत समीप है जहां से विभिन्न स्थानों के लिए पर्याप्त बसें उपलब्ध है। त्रिलोकपुरी से ब्लाक 27 से 3 रूटों पर 21 लो फ्लोर और 9 सामान्य बसें परिचालित हैं। त्रिलोकपुरी से होते हुए 14 रूटों पर 124 लो फ्लोर और 45 सामान्य बसें परिचालित हैं।
- (ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार

04. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि सड़कों को चौड़ा करने से पहले भूमि एवं भवन द्वारा अनापित प्रमाण पत्र लिया जाता है,
- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि भूमि एव भवन विभाग द्वारा क्या जमीन को अधिग्रहण करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण को संबंधित फाइलें भेजी जाती है:

- (ग) यदि हाँ, तो करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मेन रोड़ जिसको कि चौड़ा किया जाना था, वह फाइल आज तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है; और
- (घ) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि कई माह बीत जाने के बाद आज तक उसको स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं और कितने दिनों के बाद उसकी स्वीकृति दे दी जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी नहीं।
- (ग) जी हाँ।
- (घ) डी.डी.ए से अनापित्त प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव लंबित है। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात उपराज्यपाल महोदय की स्वीकृति हेतु फाइल भेज दी जाएगी।
- 05. श्री जय भगवान अग्रवालः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) सैक्टर 9 एवं 13 रोहिणी मे कितने बस स्टाप बने हुए हैं और कितने बस स्टापों पर यात्री शैल्टर बने हैं, पूरा विवरण दें,
- (ख) सैक्टर 9 एवं 13 रोहिणी में कौन-कौन से ऐसे बस स्टॉप हैं जहां बस मार्ग संख्या
 से संबन्धित बोर्ड तो लगे हैं मगर यात्रियों हेतु यात्री शैल्टर नहीं बने है, और

(ग) सैक्टर 9 एवं 13 रोहिणी मे जिन बस स्टापों पर यात्री शैल्टर नहीं बने उन बस स्टापों पर कब तक यात्री शैल्टर बनाने की योजना है?

परिवहन मंत्री

- (क) सैक्टर-9 रोहिणी में कुल 9 बस स्टाप हैं जिनमे से 3 स्थानों पर शैल्टर बने हुए हैं। सेक्टर 13 रोहिणी के अंदर और परिधि मे कुल 16 बस स्टॉप हैं जिनमे से 15 में यात्री शैल्टर बने हुए हैं।
- (ख) इन दो सैक्टरो मे रोहिणी सैक्टर-9, न्यू मॉडल अपार्टमेंट-1 न्यू मॉडल अपार्टमेंट-2, सर्वोदय विद्यालय-1, सर्वोदय विद्यालय-2, आदर्श अपार्टमेंट-1 व डी.सी.चौक नाम के बस स्टॉप पर रूट प्लेट लगी है।
- (ग) दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 1600 नए आधुनिक बस क्यू शैल्टर्स चरणबद्ध तरीके से बनाने का आदेश दिल्ली ट्रांसपोर्ट इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (डी.टी.आई.डी.सी. एल.) को दिया है जिसमें रोहिणी सेक्टर-9 और रोहिणी सेक्टर-13 भी शामिल है। इनमें से 100 नए बस क्यू शैल्टर्स पी.पी.पी. (सार्वजनिक निजी भागीदारी) आधार पर बनाने का कार्य प्रगति पर है। अन्य100 नए बस क्यू शैल्टर्स पी.पी.पी. के आधार पर बनाने की निविदा डी.टी.आई.डी.सी.एल. द्वारा आमंत्रित की गयी है और शीघ्र ही इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिसमें सैक्टर-9, रोहिणी के 2 बस स्टॉप सम्मिलित हैं।
- 06. श्री साहब सिंह चौहानः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) दिल्ली में कुल कितनी अनिधकृत कालोनियां है उनके नाम पते रिजस्ट्रेशन नं. क्या है,

- (ख) क्या विभाग कुछ अनिधकृत कालोनियों को नियमन करने पर सूची बना रहा है तो वो कालोनियां कौन-कौन सी है;
- (ग) क्या यह सत्य है कि अनिधकृत कालोनियों के नियमन पर उच्च व सर्वोच्च न्यायलय का स्थगत है; और
- (घ) यदि हाँ, तो उक्त केसो का ब्यौरा क्या हैं?

शहरी विकास मंत्री

- (क) दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग में 1639 अनिधकृत कालोनियां पंजीकृत हैं। उनके नाम, पते व रजिस्ट्रेशन संख्या की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख) इस विषय में कार्यवाही जारी है। ऐसी 900 कालोनियों की सूची भी उपरोक्ता 'क'
 वाली सूची में पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ग) जी नहीं।
- (घ) उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

07. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि लगातार निवेदन के बावजूद भी गांव वजीराबाद से दिल्ली विश्वविद्यालय और तीस हजारी कोर्ट तक मेट्रो फीडर बस सेवा नहीं चलाई जा रही है,
- (ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है, और
- (ग) इस रूट पर कब तक फीडर बस सेवा चलाई जाएगी?

परिवहन मंत्री

- (क व ख) वर्तमान में मैट्रो फीडर बसों की संख्या सीमित होने के कारण डी.एम.आर.सी. इस स्थिति में नहीं हैं कि स्वीकृत रूट (एम.एल.-07) वजीराबाद से विश्वविद्यालय मैट्रों स्टेशन पर बस चला सके।
- (ख) डी.एम.आर.सी. ने 15/5/2012 को 300 नान एसी मिनी बसे खरीदने के लिए टेन्डर को फाइनल किया है। मैसर्स राजधानी बस क्लस्टर्स सर्विस को इस संबंध मे स्वीकृत पत्र जारी कर दिया गया है। इस कंपनी द्वारा 72 फीडर रूटों पर इन 300 मिनी बसों का परिचालन किया जाएगा। रूट संख्या एम.एल.-07 (विश्वविद्यालय से वजीराबाद) भी इन फीडर रूटों मे शमिल है। इन बसों को उपरोक्त रूटों पर जुलाई 2013 से के उपरांत परिचालित करने का प्रस्ताव है।
- 08. श्री वीर सिंह धिंगान: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सत्य है कि खेल परिसर के सामने गांव ताहिरपुर,जीटीबी इन्कलेव पाकेट-एफ तक दिल्ली विकास प्राधिकरण की कुछ खाली जमीन है, यदि हाँ, तो डी. डी.ए. की यहां कुल कितनी जमीन है;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि डीडीए ने उक्त एरिये में कुछ प्लाट एलाट भी किये है.
- (ग) यदि हाँ, तो कुल कितने प्लाट किस-किस संस्था को एलाट किये गए है;
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि उक्त एरिये में समुदाय भवन, कई धार्मिक स्थान व अन्य संस्थान अपना-अपना कार्य कर रही है तथा यहां, बिजली, पानी, सीवर, पथ प्रकाश आदि का विकास डी.डी.ए द्वारा अभी तक नहीं किया गया;

- (ड़) यदि हाँ, तो सीवर, सड़कें, बिजली, पानी आदि विकास सम्बन्धी समस्याओं का कब तक समाधान करा दिया जाएगा;?
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्री

- (क) जी हाँ, मौजा झिलमिल ताहिरपुर गांव के साथ पश्चिम मे लगभग 130 बीघा भूमि डी.डी.ए. की है
- (ख) जी हाँ।
- (ग) संस्थानिक भूमि शाखा द्वारा आंवटित किये गए भू-खण्डो की सूची विवरण 'घ' पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (घ) जी हाँ। सड़कों व नालियां बना दी गई हैं तथा सीवर लाईन व पानी की लाईन बिछाने हेतु दिल्ली जल बोर्ड को आवेदन किया गया है।
- (ड़) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद चार महीने के अन्दर सीवर व पानी की लाईन बिछाने का कार्य कर दिया जाएगा।
- (च) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इनफ्रास्ट्रक्चर फण्ड की मांग की गई है, उसकी जांच पड़ताल करने के पश्चात पाया गया कि धनराशि अधिक है, उसको ठीक करने के लिए दिल्ली जलबोर्ड को प्रार्थना की गई है।

09. श्री नसीब सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र मे डी.डी.ए. ने कितनी मार्किट बनाई है, उनका पूर्ण विवरण क्या है;

- (ख) कौन-कौन सी मार्किट डी.डी.ए. ने एम.सी.डी. को हैण्डओवर कर दी है और कौन-कौन सी नहीं की है, उनका पूर्ण विवरण क्या है; और
- (ग) पिछले पांच सालों में डी.डी.ए. ने जो मार्किट एम.सी.डी. को हैण्ड ओवर नहीं की है उन पर कितना पैसा डी.डी.ए. ने विकास पर खर्च किया है और किस मद में उसका पूर्ण विवरण क्या है?

शहरी विकास मंत्री

- (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना का विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख) उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 'क' उत्तर के अनुसार।
- (ग) डी.डी.ए. द्वारा जो मार्किट एम.सी.डी. को हैण्डओवर नहीं की है उन पर पिछले पांच सालों में कुल रूपये 27.18 लाख खर्च किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र विश्वास नगर (एसी-59) के अन्तर्गत आने वाली एम.सी.डी. को स्थानान्तरित और डी.डी.ए. मार्किटों की सूची

क्र.स.	वार्ड नं.	मार्किट की लोकेशन	एम.सी.डी.को स्थानान्तरित डी.डी.ए. के पास
1.	225	सैनी इन्कलेव	हाँ
2.	225	नं. 3 सूरजमल विहार	हाँ
3.	225	डी-ब्लाक विवेक विहार	हाँ
4.	225	ऋषभ विहार	हाँ

<u>क्र.स.</u>	वार्ड नं.	मार्किट की लोकेशन	एम.सी.डी.को स्थानान्तरित
			डी.डी.ए. के पास
5.	225	सरिता विहार	हाँ
6.	225	डी ब्लाक विवेक विहार	हाँ
7.	225	सी ब्लाक आनन्द विहार	हाँ
8.	225	श्रेष्ठा विहार	हाँ
9.	225	ए-ब्लाक सूरजमल विहार	हाँ
10.	225	सैनी इन्कलेव	हाँ
11.	225	जागृति इन्कलेव	हो
12.	225	ए ब्लाक आनन्द विहार	हाँ
13.	225	डी ब्लाक आनन्द विहार	हाँ
14.	225	शोपिंग काम्पलेक्स राम विहार	हाँ
15.	225	पुष्पाजंलि	हाँ
16.	225	डी.डी.ए. मार्केट काम्पलैक्स	
		कड़कड़डूमा गांव में	हाँ
17.	225	नं. 1 सूरजमल विहार	हाँ
18.	225	नं. 2 सूरजमल विहार	हाँ
19.	225	शोपिंग काम्पलेक्स विज्ञान विहार	हाँ
20.	225	नं. 1 योजना विहार	हाँ
21.	225	नं. 2 योजना विहार	हाँ
22.	227	अजन्ता अपार्टमेंट के सामने	हाँ

क्र.स.	वार्ड नं.	मार्किट की लोकेशन	एम.सी.डी.को स्थानान्तरित
			डी.डी.ए. के पास
23.	227	प्रिंस अपार्टमेंट पंकज प्लाजा	हाँ
		मार्केट के पास	
24.	227	बाल्को अपार्टमेंट के पास	हाँ
25.	227	आई.पी.एक्स.भवन के पास	हाँ
26.	228	मधुबन कालोनी	हाँ
27.	228	ए-ब्लाक प्रीत विहार	हाँ
28.	228	बी-ब्लाक प्रीत विहार	हाँ
29.	228	समुदाय केन्द्र सी-ब्लाक प्रीत विव	हार हाँ
30.	228	जी-ब्लाक प्रीत विहार मकान न.	
		जी-255 के पास	हाँ
31.	228	जी-ब्लाक प्रीत विहार मकान न.	
		जी-98 के पास	हाँ
32.	228	स्वास्थ्य विहार	हाँ
33.	228	डिफोंस इन्कलेव	हाँ
34.	228	चित्रा विहार	हाँ
35.	228	न्यू राजधानी इन्कलेव	हाँ
36.	228	न्यू राजधानी इन्कलेव विकास मा	र्ग हाँ
37.	228	आई.पी.एक्स.सेंट एन्ड्रयू स्कोट के	पास हाँ
38.	228	दयानन्द विहार	हाँ

<u>क्र.स.</u>	वार्ड नं.	मार्किट की लोकेशन	एम.सी.डी.को स्थानान्तरित डी.डी.ए. के पास
39.	228	हर गोविन्द इन्कलेव	हाँ
40.	228	ए.जी.सी.आर.इन्कलेव	हाँ
41.	228	निर्माण विहार	हाँ
42.	228	निर्माण विहार, विकास मार्ग	हाँ
43.	227	गाजीपुर	हाँ

10. श्री मालाराम गंगवाल: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार डीलज, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें देखकर डीटीसी बसों का किराया बढ़ाने जा रही है,
- (ख) डीटीसी की किराये की नई दरें क्या-क्या होगी,
- (ग) क्या डीटीसी बसों को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या मे ड्राईवर व कंडक्टर है,
- (घ) यदि नहीं, तो नई भर्ती विभाग कब तक कर लेगा, और
- (ड़) वर्तमान मे डीटीसी में ड्राईवर, कंडक्टर की संख्या क्या है, कितने पक्के हैं व कितने ठेकेदारी पर है?

परिवहन मंत्री

- (क) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।
- (ख) उपरोक्त अनुसार प्रश्न नहीं उठता है।

- (ग) जी हाँ।
- (घ) उपरोक्तानुसार प्रश्न ही नही उठता।

(ভ্)	स्टाफ	नियमित	अनुबंधित	योग
	चालक	10110	4891	15001
	संवाहक	7669	7688	15357

11. श्री श्रीकृष्ण त्यागी: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अतंर्गत सभी बस स्टापों पर बस क्यू शैल्टर कब तक बना दिए जाएंगे,
- (ख) 10वें सत्र में विधान सभा में दिए गए प्रश्न के उत्तर के अनुसार अभी तक बस क्यू शैल्टर बनाने के प्रयास शुरू क्यों नहीं किए गए,
- (ग) दिल्ली परिवहन निगम के चेयरमैन को दिनांक 05.08.2012 के पत्र संख्या 79 एवं 10.08.2012 के पत्र 87 पर क्या कार्रवाई की गई, इसका पूरा ब्यौरा क्या है, और
- (घ) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने नत्थुपुरा से ओखला तेहखंड तक नया रूट बना दिया है, यदि हाँ, तो इस रूट पर डीटीसी की बसें कब तक चलने लगेंगी?

परिवहन मंत्री

(क) दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली नगरपिलका परिषद् के क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 1600 नए आधुनिक बस क्यू शैल्टर्स चरणबद्ध तरीके से बनाने का आदेश दिल्ली ट्रांसपोर्ट इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (डी.टी.आई.डी.सी. एल.) को दिया है जिसमें बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र भी शामिल है।

- (ख) उपरोक्त 1600 बस क्यू शेल्टर्स में से 100 नए बस क्यू शैल्टर्स पी.पी.पी. (सार्वजिनक निजी भागीदारी) आधार पर बनाने का कार्य प्रगित पर है अन्य 100 नए बस क्यू शैल्टर्स पी.पी.पी. के आधार पर बनाने की निविदा डी.टी.आई.डी.सी. एल. द्वारा आमंत्रित की गयी है और शीघ्र ही बनाने का आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
- (ग) पत्र प्राप्त होने के उपरांत मामले की जांच-पड़ताल के पश्चात् विधायक महोदय को दिनांक 28.08.2012 के पत्रों के द्वारा अवगत कराया गया था कि:-
 - नत्थुपुरा रूट संख्या 105,143,162,185, 192, और 192 शटल की सेवाओं
 से बस सुविधा दी जा रही है।
 - जो निवासी ओखला तेहखंड़ जाना चाहते है वे रूट संख्या 185 जो कि मिटों रोड/ सुपर बाजार तक परिचालन में है, का लाभ उठाकर वहां से रूट संख्या 433 का उपयोग करके ओखला तेहखंड जा सकते हैं।
 - नत्थुपुरा से ओखला तेहखंड के लिए परिवहन निगम के सीमित संशाधनों के कारण वर्तमान मे परिचालन संभव नहीं है।
 - रूट संख्या 143 केशवनगर और आनंद विहार बस अड्डा के बीच परिचालन में है। केशवनगर को रूट संख्या 105,192 और192 शटल द्वारा भी बस सेवाएं प्रदान की गयी है।
- (घ) जी नहीं।

12. श्री विपिन शर्मा: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विधान-सभा क्षेत्र संख्या: 64 रोहतास नगर में स्थित मुख्य कुछ सड़कों जैसे लोनी रोड़, मंडोली रोड़, दुर्गापुरी, बाबरपुर आदि की मौजूदा चौड़ाई कितनी है?
- (ख) मास्टर-प्लान 2001 तथा 2012 के अंतर्गत इन सड़कों की चौड़ाई कितनी रखी गई है?
- (ग) क्या ये सड़कें मास्टर-प्लान 2001 व 2012 के अनुसार जनहित में चौड़ी की जानी हैं?
- (घ) यदि हाँ, तो इन सड़कों को कितना-कितना चौड़ा करना संभव होगा? और यह कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा; और
- (ड़) जो व्यक्ति, मकानों के मालिक, दुकानदार, किराएदार इन सड़कों को चौड़ा करते समय प्रभावित होंगे, उन्हें क्या सरकार बदले में स्थान उपलब्ध कराएगी या मुआवजा देगी? विस्तार में सूचित किया जाए।

लोक निर्माण मंत्री:

- (क) लोनी रोड की मौजूदा चौड़ाई 50-फुट से 150-फुट है। दुर्गापुरी रोड़ की चौड़ाई 100-फुट एवं बाबरपुर रोड़ की चौड़ाई 15-फुट से 60 फुट तक है तथा मंडोली रोड़ की औसत चौड़ाई 11-मीटर (36 फुट) है।
- (ख) ये सड़कें अप्रैल, 2012 में दिल्ली नगर निगम से लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित हुई हैं। मास्टर-प्लान के अनुसार इन सड़कों की चौड़ाई निम्नानुसार है:
 - 1. लोनी रोड्, 150-फुट
 - 2. बाबरपुर रोड़, 60-फुट

- 3. दुर्गापुरी रोड़, 100-फुट
- 4. मंडोली रोड़, 80-फुट
- (ग) जी हाँ।
- (घ) इन सड़कों को मास्टर-प्लान में दर्शायी गई चौड़ाई तक चौड़ा किया जाएगा। इस सिलिसिले में जिला टास्क फोर्स कों अतिक्रमण हटाने हेतु भेज दिया गया है। अतिक्रमण हटाने के पश्चात् सड़कों को चौड़ा करने का कार्य किया जाएगा।
- (इ) इन संदर्भ में भूमि एवं भवन विभाग दिल्ली सरकार द्वारा 'परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के स्थानांतरण व पुर्नवास संम्बंधि नीति' विषय पर जारी परिपत्र संख्या- 7174-7202 दिनाँक- 25.07.2012. में दिये गये दिशानिर्देशानुसार ही प्रभावित व्यक्तियों को वैकल्पिक भू-स्थान या मुआवजा दिया जायेगा।
 - 13. श्री एस.पी. रातावालः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
- (क) करोल बाग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत गुरु रिवदास मार्ग, गंगा मंदिर मार्ग, आर्य समाज रोड़, देशबंधु गुप्ता रोड पर आधुनिक बस शैल्टर बनाने की कोई योजना है,
- (ख) यदि हाँ तो इस योजना को कब तक लागू किया जाएगा; और
- (ग) इस योजना में बजट प्रावधान कितना किया गया है?

परिवहन मंत्री जीः

(क व ख) जी हाँ। दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 1600 नए आधुनिक बस क्यू शैल्टर्स चरणबद्ध तरीके से बनाने का आदेश दिल्ली ट्रांसपोर्ट इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (डी.टी.आई. डी.सी.एल.) को दिया है जिसमें करोलबाग विधान सभा क्षेत्र भी शामिल है। इनमें से 100 नए बस क्यू शैल्टर्स पी.पी.पी. (सार्वजानिक निजी भागीदारी) आधार पर बनाने का कार्य प्रगति पर है। अन्य 100 नए बस क्यू शैल्टर्स पी.पी.पी. के आधार पर बनाने की निविदा डी.टी.आई.डी.सी.एल. द्वारा आमंत्रित की गयी है और शीघ्र ही इसको अंतिम रुप दे दिया जाएगा। इनमें से 3 बस क्यू शैल्टर देश बन्धु गुप्ता रोड़ पर बनाये जायेंगे।

(ग) नए बस क्यू शैल्टर्स बनाने का अलग से कोई बजट प्रावधान नहीं है, क्योंिक नए बस क्यू शैल्टर्स पी.पी.पी. (सार्वजिनक निजी भागीदारी) के तहत बनाने की योजना है।

14. डॉ. जगदीश मुखी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र में सीता पुरी में डी.डी.ए. द्वारा बनाए जाने वाले
 कम्यूनिटी हाल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा;
- (ख) इसके निर्माण कार्य पर कुल कितनी लागत आएगी; और
- (ग) इस कम्यूनिटी हाल में क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध होगी तथा कब तक क्षेत्र की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री:

(क) इस कम्यूनिटी हाल का कार्य सितम्बर 2012 के अन्तिम सप्ताह तक शुरु हो जाएगा।

- (ख) इस कम्यूनिटी हाल के निर्माण में लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
- (ग) इस कम्यूनिटी हाल में भूतल के अलावा दो मंजिल बनाई जाएगी जिसमें भूतल कार पार्किग के प्रयोग में लाई जाएगी। इस कम्यूनिटी सेंटर में एक हाल, एक कमरा और प्रत्येक मंजिल पर रसोईघर के साथ-साथ पुरुष, स्त्री एवं विकलांग के शौचालय बनाए जाएगें और इसमें लिफ्ट का भी प्रावधान है। यह कार्य 30 सितम्बर, 2013 तक पूरा हो जाएगा।

15. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली सरकार के भूमि एवं भवन विभाग द्वारा जो जमीन अधिग्रहण की गई, उसमें कितने आवेदकों से प्लाट आवंटन के आवेदन प्राप्त किए हैं:
- (ख) उन आवेदनों में से किन लोगों को प्लाट दिए गए; और
- (ग) जिन्हें प्लाट नहीं दिए गए हैं ऐसे कितने आवेदनों के बारे में सरकार की क्या नीति है और उन्हें कब तक प्लाट मुहैया करा दिए जाएँगे?

लोक निर्माण मंत्री:

- (क) उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार भूमि एवं भवन विभाग में वर्तमान में कुल 36315 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं।
- (ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इस समय डी.डी.ए. द्वारा कुल 10665 प्लॉट दिये गये हैं।

(ग) दिल्ली सरकार वैकल्पिक प्लाटों के आवेदनों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित नीति जिसकी घोषणा वर्ष 1961 में की गई थी उसके प्रावधानों के अन्तर्गत करती है। प्रथम सूची में वर्ष 1979 से वर्ष 2000 के आवेदनों को रखा गया है। वर्तमान में विभाग द्वारा सन् 1987 तक के आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। क्योंकि यह एक निरंतर प्रक्रिया है अत: कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

16. चौ. सुरेन्द्र कुमार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि गोकुल पुर विधान सभा क्षेत्र में कुछ अनाधिकृत कालोनियाँ क्लीयर की गई है; और
- (ख) यदि हाँ, तो बाकी कालोनियाँ क्लीयर क्यों नहीं की गई व कब तक क्लीयर कर दी जाएगी, सूची सहित विवरण क्या है?

शहरी विकास मंत्री:

(क से ख) गोकुल पुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 53 कालोनियाँ विभाग के पास पंजीकृत है। (सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है) इनमें से 45 कालोनियों के बाबत सभी क्लीयरिंस प्राप्त होने पर उनकी सीमा निर्धारित हो गई है और शीघ्र ही इसका आदेश जारी किया जा रहा है। (सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है) अन्य कालोनियों में सूचि में वर्णित विभिन्न विभागों से क्लीयरेंस लेने की प्रक्रिया जारी है। (सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI REVENUE DEPARTMENT : PARLIAMENT CELL 5, SHAM NATH MARG, DELHI.

NO.F.11/116/DC/PC/VS/298

Dated: 03/09/2012

Dy. Secretary (Question Cell).

Delhi Legislative Sectt., Old Sectt., Delhi-54.

Sub.: Vidhan Sabha Starred Question No. 17 due for 04.09.2012 regarding Registration of Un-Authorised Colonies.

Sir,

Please find enclosed herewith para-wise reply of Vidhan Sabha Starred Question No. 17 due for 04/09/2012 on the above-cited subject for necessary action at your end.

Yours faithfully,

Encl.: As above.

(D.K. SAINI) SDM-IV (HQ)

Copy for information & necessary action to:-

- 1. Dy. Director (PC), Urban Development Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt. New Delhi.
- 2. Dy. Director (PC), Land & Building Department, GNCTD

(D.K. SAINI) SDM-IV (HQ)

17. श्री ओ.पी बब्बर: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि सन् 1978-1990 के दौरान डी.डी.ए./एम.सी.डी. द्वारा 567 अनांधिकृत कालोनियों को नियमित किया गया और राजस्व विभाग के संबंधित उप-रजिस्ट्रार द्वारा बिक्री नाम, सी.पी.ए. आदि का पंजीकरण किया गया;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि आयुक्त, विकास के आदेश सं. एफ.1(67)Regn. Br/
 Div.com/06/01 दिनांक 03.01.2007 के अनुसार संबंधित उप-रजिस्ट्रार द्वारा
 इस आधार पर पंजीकरण रोक दिए थे कि ये कालोनियाँ भूमि अधिग्रहण
 एक्ट,1894 के सेक्शन 4 एवं 6 के अंतर्गत अधिग्रहीत की गई थी;
- (ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन कालोनियों का नियमितीकरण करने के कारण क्या इन्हें डी. नोटिफाई करने का कोई प्रस्ताव है; और
- (घ) दिल्ली सरकार के भूमि एवं भवन विभाग द्वारा इन कालोनियों के डी-नोटिफिकेशन की संस्तुति कब तक माननीय उपराज्यपाल महोदय को भेज दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्री :

(क व ख) जिन अनिधकृत कालोनियों को वर्ष 1978-90 के दौरान नियमित किया गया था उन कालोनियों की परि-सम्पितयों की विक्री पत्र/GPA इत्यादि का पंजीकरण राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न नियमों की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद किया गया। विभाग के आदेश संख्या F.1 (16)/Regn.Br./Div.Com/06/01 दिनांक 03/01/2007 के द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गये के भविष्य में नियमित होने वाली अनिधकृत कालोनियों के विक्री सन्लेख (Instrument of Transfer) इत्यादि का पंजीकरण Delhi Land (Restrictions on Transfer)

Act 1972 के अनुपालन के उपरान्त ही करें ताकि उन परि-सम्पितयों का पंजीकरण न हो जो भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 के Section 4 व 6 के अन्तर्गत अधिकृत की गई है। (Note of Suppliment) सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है)

- (ग) जी नहीं।
- (घ) विभाग के समक्ष वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

18. श्री प्रहलाद सिंह साहनी: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आगामी गुरुद्वारा चुनावों के बंटवारे की क्या स्थिति है;
- (ख) अगर डिलिमिटेशन का बंटवारा होगा, तो किस प्रकार होगा, विस्तृत जानकारी दें? शिक्षा मंत्री:
- (क व ख) गुरुद्वारा चुनाव संबंधित दो याचिकाये (एस.एल.पी.) संख्या 8464/2012 एवं 9763/2012 माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, अत: अभी गुरुद्वारा वार्डों की सीमा का पुन: निर्धारण का विषय विचाराधीन नहीं है।
- 19. श्री एस.सी.एल. गुप्ताः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि डी.डी.ए. के द्वारा हाल ही में संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में 27 बीधा भूमि में चार दीवारी की गई है;
- (ख) यदि हाँ, तो इसमें क्या-क्या सार्वजनिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की योजना है; और

(ग) क्या इन योजनाओं में विधायक कोष से भी धनराशि लगाने की सरकार योजना बना रही है?

शहरी विकास मंत्री:

(क) जी हाँ। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस भूमि की चारदीवारी की गई है। सार्वजनिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की योजना सम्बन्धित विभाग बना रहा है। (ख व ग) अभी नहीं।

20. श्री अनिल झाः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की कुल कितनी कालोनियों को अप्रूवल देने की योजना है, कितनी कालोनियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, कितनी कालोनियाँ है जिन पर अभी बिल्कुल ही नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं हुई है, यदि नहीं, को इसके क्या कारण है;
- (ख) विधान सभा अनुसार प्रत्येक विधान सभा से कितनी कालोनियाँ नियमितीकरण हेतु ली गई है उनका मानदण्ड क्या है;
- (ग) जिन कालोनियों में बड़े-बड़े प्लाट खाली पड़े है और वह नक्शें में भी खाली दर्शाए गए है और पिछले दो वर्षों में वहाँ पर मकान बन कर तैयार हो गए है क्या ऐसे खाली स्थानों पर बने मकानों की भी स्वीकृत प्रदान की जाएगी; और
- (घ) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं विभाग के अनुसार दिल्ली की अनिधकृत कालोनियों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री:

- (क) किराड़ी विधानसभा की 106 कालोनियाँ अनिधकृत हैं, जिन्हें भारत सरकार की नोटिफिकेशन दिनांक 24.03.2008, 16 जून 2008 तथा 06.06.2012 के अन्तर्गत जांचा जा रहा है। जो अनिधकृत कालोनियाँ उपरोक्त अधिसूचना में विणित मापदण्डों को पूरा करती हैं, उन्हें नियमितिकरण हेतु विचार किया जा रहा है। सम्बिधंत विनियम में कोई प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है।
- (ख) सूची सी.डी. के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है।
- (ग) सम्बन्धित विनियमों के अंतर्गत इस विषय पर कोई कार्यवाही निर्धारित नहीं है।
- (घ) अनिधकृत कालोनियों को नियमिन करने की प्रक्रिया सरकारी अधिसूचना दिनाँक 24.03.2008, 16.06.2008 एवं 06.06.2012 के अनुसार जारी है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

- 01. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
 - (क) क्या यह सत्य है िक करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली अधिकांश कालोनियां जो िक 1071 तथा 1639 व 733 तथा 285 और 260 की सूची में सूचीबद्ध थी, उनके नाम, एनओसी संख्या तथा जमीन सम्बन्धी जानकारी क्या है;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत उपरोक्त वर्णित संख्या मे आने कालोनियां पास होने वाली कालोनियों की सूची मे सूचीबद्ध न किये जाने के क्या कारण है;

- (ग) क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली कालोनी चन्द्रपुरी चांदबाग बजीराबाद रोड वाली कालोनी को 933 की सूची मे सिम्मिलित नहीं किया गया है:
- (घ) यदि हाँ, तो इस कालोनी की संख्या 1512 जिसमें की आबादी 99.38 प्रतिशत है और यह जमीन प्राईवेट वी.जी.एस. पर बसी हुई है, और
- (ड़) यदि हाँ, तो इसको सूचीबद्ध न किये जाने के क्या कारण है और इसको कब तक सूचीबद्ध कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री

- (क) शहरी विकास विभाग में कुल 1639 कालोनियां पंजीकृत है जिनमें करावल नगर क्षेत्र में कुल 30 अनिधकृत कालोनियां पंजीकृत हैं। जिन्हें नियमित करने पर सरकार विचार कर रही है (सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है)
- (ख) कुछ कालोनियां जो नियमानुसार मापदण्डों को पूरा नहीं करती हैं उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है।
- (ग) जी नहीं। परन्तु इस कालानी को नियमित करने पर विचार किया जा रहा है।
- (घ) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।
- (ड) वही।

02. श्री मोहन सिंह बिष्ट क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की अनाधिकृत बस्तियों को तीन चरणों में सूचीबद्ध किया गया था;

- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि 733 और 285 तथा मल्टीपल आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा जमा किये गए नक्शों को विकास कार्य करने के लिए सम्बन्धित विभाग का नक्शे तथा विकास कार्य करने के आदेश दे दिये गए है;
- (ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि आज तक 733,285 व मल्टीपल आर.डब्ल्यू. ए. द्वारा जमा किये गए नक्शों को कार्य करने वाले सम्बन्धित विभागों को न दिये जाने के क्या कारण है
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत अधिकाशं कोलोनियों के नक्शे सम्बन्धित विभागों के एनओसी प्राप्त होने के बाबजूद भी आज तक न दिये जाने के क्या कारण है, और
- (इ) इन नक्शों को कब तक सम्बन्धित विभाग के पास भेज दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री

- (क) शहरी विकास विभाग में पंजीकृत 1639 कालोनियों का नियमन विचारधीन है। इसमें से जैसे-जैसे विभिन्न विभागों से क्लीसरेंस मिलती है वैसे ही उनकी सूची बनाई जाती है, परन्तु यह कोई चरणबद्ध कार्यवाही का द्योतक नहीं है।
- (ख) जी हाँ।
- (ग) उपरोक्त के आधार पर प्रश्न ही नहीं उठता।
- (घ) ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।
- (ड) प्रश्न ही नहीं उठता।

03. श्री मोहन सिंह बिष्ट क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि शहरी विकास विभाग द्वारा अनाधिकृत बस्तियों में होने वाले विकास कार्य के लिए कार्य करने वाले विभागों को प्रत्येक कालोनी वाईज एक ही टेण्डर बनाने के निर्देश दिये गए है;
- (ख) यिद हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि कई कालोनियों में कई ब्लाक होने के बावजूद भी ब्लाक वाईज टेण्डर आमंत्रित नहीं करने के क्या कारण है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि कई कालोनियां 10 से लेकर 15 किलोमीटर में बसी हुई है उन पर विकास की प्रक्रिया में हो रही देरी के लिए कौन जिम्मेदार है; और
- (घ) क्या सरकार ऐसी कोलोनियां जो कई ब्लाकों में विभाजित है उनके ब्लाक वाईज कार्य करने के लिए सम्बन्धित विभाग को आदेश दे रही है यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

शहरी विकास मंत्री

(क,ख) जी नहीं।

- (ग) ऐसा कोई मामला प्रकाश में नही आया है।
- (घ) ऐसी कोई नीति नहीं है।
- 04. श्री साहब सिंह चौहान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम की डिविजन एम-2 का अधिशासी

अभियन्ता रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडा गया था;

- (ख) यदि हाँ, तो क्या वह कई महीने तिहाड़ जेल में बन्द रहा है, यदि हाँ, तो कितने दिन जेल में रहा है और केस का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि पहले भी अन्य दों केसों में उक्त अधिशासी अभियन्ता को सी0बी0आई0 ने गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बन्द रहा था यदि हाँ, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि कुछ निगम सक्षम अधिकारी ऐसे शातिर आरोपित अपराधी को बहाल करने की जुगत में हैं, यदि हां तो क्यों इस सम्बन्ध मे Reinstate की Policy क्या है?

शहरी विकास मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) सतर्कता विभाग के रिकार्ड के अनुसार उक्त अधिशासी अभियन्ता हर एक केस के अन्दर 15-15 दिन के लिए तिहाड़ जेल में बंद रहा उक्त अभ्यन्ता को सी.बी.आई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
- (ग) यह भी सत्य है कि उक्त अधिशासी अभियन्ता को सी.बी.आई ने दो अन्य केसों में वर्ष 1996 व 2005 में भी गिरफ्तार किया है। श्री ए.के. दीक्षित को दे आर. सी0 संख्या 70(ए)/96 डी.एल.आई तथा 17ए/2005 डी.एल.आई श्री ए.के. दीक्षित के विरूद्ध लिम्बत है। जिनमें से आर.सी. संख्या 70(ए)/96 डी.एल.आई. में श्री ए0 के. दीक्षित अधिशासी अभियन्ता को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया।

(घ) जी नहीं, सक्षम अधिकारियों व निलम्बन पुनरावलोकन सिमिति के द्वारा प्रत्येक लिम्बित अधिकारी के केस/ मामले को अलग अलग उसके तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर बहाल करने सम्बन्धी निर्णय लिया जाता है।

05. श्री साहब सिंह चौहान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो सड़के 60 फुट या 60 फुट से चौड़ी है व एम.सी.डी. के पास है, उन्हें दिल्ली सरकार को हस्तानान्तरित कर दिया जाएगा,
- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में मार्जिनल बांध गामडी रोड पांचवा पुश्ता घोण्डा चौक होते हुए रोड नं0 66 मौजपुर तक रोड की चौड़ाई 100 फुट है तथा घोण्डा चौक से दिल्ली परिवहन निगम डिपो यमुना विहार तक रोड की चौड़ाई 80 फुट है व मार्जिनल बांध चौथा पुश्ता करतार नगर से मेन रोड ब्रह्मपुरी तक रोड की चौड़ाई 60 फुट है और घोण्डा चौक से सीलमपुर तक ब्रह्मपुरी मेन रोड की चौड़ाई 80 फुट है।
- (ग) यदि हाँ तो उक्त चारों सडकों को अब तक पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र से लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित क्यो नहीं किया गया है. और
- (घ) इन सडकों को कब तक लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित कर दिया जाएगा। शहरी विकास मंत्री
- (क) जी हाँ। यह सत्य है।

- (ख) जोनल डेवलपमेंट प्लान के अनुसार यह सत्य है, परन्तु इन सडकों की मौजूदा चौडाई निम्न प्रकार है:- (1) मार्जिनल बांध गामडी रोड पांचवा पुस्ता से घोण्डा चौक होते हुए रोड नं0 66 मौजपुर तक रोड की मौजूदा चौडाई 30 से 40 फुट है। (2) घोण्डा बांध से दिल्ली परिवहन निगम डिपो यमुना विहार तक रोड की मौजूदा चौड़ाई 40 से 50 फुट है। (3) मार्जिनल बांध चौथा पुस्ता करतार नगर से मेन रोड ब्रहमपुरी तक रोड की मौजूदा चौडाई 30 से 40 फुट है। (4) घोण्डा चौक से सीलमपुर तक ब्रहमपुरी मेन रोड की मौजूदा चौडाई 60 फुट है।
- (ग) लोक निर्माण विभाग की जानकारी के अनुसार मानसून के उपरान्त हस्तान्तरित की जाएगी।
- (घ) उपरोक्तानुसार

06. श्री साहब सिंह चौहान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत वार्ड नं. 253, 254, 255 एवं 256 में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2010-2011 मे विधायक की संस्तुति से दिये गए फंड के कौन-कौन से कार्य अभी तक भी पूरे नहीं हुए है;
- (ख) उक्त नहीं किये गए कार्यों का नाम टैण्डर व एवार्ड और Completion की तिथि क्या थी:
- (ग) काम न होने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है, और
- (घ) ठेकेदारों व सम्बन्धित Supervisory स्टाफ की जिम्मेदारी fixed क्यों नहीं हुई व ये कार्य कब तक पूरे होगें?

(क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अर्न्तगत वार्ड नं0 253, 254, 255 एवं 256 में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2010-2011 में विधायक की संस्तुति से दिये गए फंड के सभी कार्य पूरे हो चुके है। कार्यें की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख,ग, व घ) उपरोक्तानुसार लागू नही है।

- 07. चौ0 सुरेन्द्र कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
- (क) क्या यह सत्य है कि गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में डबल आर.डब्ल्यूए वाली कुछ कालोनियां क्लीयर की गई है,
- (ख) यदि हाँ, तो बाकी क्यों नही की गई.
- (ग) कब तक क्लीयर कर दी जाएगी, और
- (घ) क्लीयर की गई कोलोनियों में काम कब तक शुरू किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री

(क) कुल 07 कालोनियां एम.आर.डब्ल्य. ए हैं, जिसमें 02 कालोनियां क्लीयर हो चुकी है। प्रतिलिपि पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख व ग) मामला विचाराधीन है।

(घ) उक्त 02 कालोनियों में, जिनमें एम.आर.डब्ल्यू.ए. क्लीयर हो गया है, विकास कार्य की अनुमित दे दी गई है।

08. श्री सुभाष सचदेवाः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) स्लम विभाग की स्लम क्षेत्रों के प्रति क्या नीति है;
- (ख) क्या सरकार ने इनको शिफ्ट करने का फैसला किया है;
- (ग) सरकार ने किन शर्तों व किस स्थान पर वैकिल्पक स्थान देने का निर्णय किया है व किस श्रेणी में वैकिल्पक स्थान नहीं दिया जाएगा.
- (घ) क्या रेलवे के किनारे बसे लोगों को कोई वैकल्पिक स्थान देने की कोई योजना है; यदि नहीं तो यहां विकास कार्य क्यों रोक दिये गए हैं, और
- (ड़) क्या सरकार इनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का आदेश स्लम विभाग को देगी?

शहरी विकास मंत्री

(क) स्लम विभाग/दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली सरकार की नीति अनुसार प्रथम चरण मे उन स्लम क्षेत्रों/जे0जे0कलस्टरों को पुर्नस्थापित करेगा जिनकी encroached land की भूस्वामियों को किसी जनिहत कल्याण हेतु प्रोजक्ट के लिए आवश्यकता है। सरकार की ''modified policy of implementation of the scheme for relaction/rehabilitiation'' के अनुसार दि0श0आ0सु0बो0, दिल्ली सरकार व उसके विभागों, दि.न.नि. व अपनी भूमि पर बसी झुग्गी झोपडी बस्तियों को ही पुर्नस्थापित करेगा। जबिक केन्द्रीय सरकार व उसकी agencies स्वयं ही नीतिनुसार पुर्नस्थापना का कार्य कर सकती है या दि0श0आ0सु0बो0 को यह कार्य

सौंप सकती है। जिन भूखण्डों की आवश्यकता भूस्वामियों को किसी जनकल्याण सम्बन्धित Project के लिए नहीं है वहां झुग्गी बस्तियों को वहीं पर योजनानुसार बसाने का प्रस्ताव है। (Redevlopment/institute-upgradation) जो भूमि खण्ड पर बसे कलस्टर्स न तो relocate होंगे और न ही redevelop होंगे, उनमें आधारभूत जन सुविधाएं सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत तब तक देते रहेंगें, जब तक वो योजनानुसार relocate/redevelop नहीं हो जाते।

- (ख) दिल्ली सरकार द्वारा प्राथिमकता सूची में दर्ज जे0जे0 कलस्टर्स को प्रथम चरण में पुर्नवास किये जाने की योजना है।
- (ग) दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत निम्निलिखित शर्तों पर स्थान देने की योजना है:-(1) संयुक्त सर्वे में नाम दर्ज होना चाहिए। (2) वोटर लिस्ट 2002, 2007 में तथा सर्वे के समय उक्त झुग्गी वासी का नाम होना चाहिए। (3) सर्वे के समय राशन कार्ड होना तथा (4) तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ जिसमें उनकी पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिए।

सरकार द्वारा फिलहाल बवाना में वैकल्पिक स्थान देने की योजना है।

(घ व ड़) जी हाँ, प्रथम चरण में पुनर्स्थापित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची में जो जे0जे0 कलस्टर्स रेलवे के किनारे बसे हुए है एवं प्राथमिकता सूची मे दर्ज है वहां के योग्य लोगों को वैकल्पिक स्थान देने की योजना है। सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने पर रोक सम्बन्धी कोई भी आदेश इस विभाग की जानकारी में नहीं है।

09. श्री सुभाष सचदेवा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली में कितने इण्डस्ट्रियल क्षेत्र हैं जो दिल्ली नगर निगम से दिल्ली सरकार के अधीन लिए गए है,
- (ख) इन क्षेत्रों में विकास की क्या योजना है व विकास कार्य कब शुरू किये जाएगें.
- (ग) क्या किसी क्षेत्र में अभी तक विकास कार्य प्रारम्भ किये गए है:
- (घ) इण्डस्ट्रीयल रोड व डी0एस0आई0डी0सी0 की सडकों को कौन सी एजेन्सी देखेगी;
- (ड़) मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के इण्डस्ट्रियल क्षेत्रों के विकास की क्या योजना है; पूरा विवरण लागत सहित उपलब्ध करवाये; और
- (च) एम0सी0डी0के पार्क जो कि अब डी0एस0आई0डी0सी0 के अर्न्तगत आते हैं उनके विकास की क्या नीति है व इन पार्कों मे होने वाले काय्रक्रमों को आरक्षित करने की क्या नीति है?

- (क) निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली नगर निगम से दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास एवं अवसंरचना निगम को हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
 - 1. मायापुरी फेस-1 और 2
 - 2. मंगोलपुरी फेस -1 और 2

- 3. कीर्ति नगर
- 4. नारायणा फेस-2
- 5. डी0एल0एफ0 मोती नगर
- 6. नजफगढ़ (मोतीनगर)
- 7. लारेंस रोड
- 8. जी0टी0करनाल रोड
- 9. राजस्थान उद्योग नगर
- 10. उद्योग नगर
- 11. झिलमिल ब्लॉक 'ए' एवं 'ब'
- (ख) उपरोक्त क्षेत्रों में विकास हेतु सर्वे कराया जा रहा है, तत्पश्चात विकास कार्य जनवरी-फरवरी 2013 तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।
- (ग) दिल्ली नगर निमग से लिए गए उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक विकास कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए हैं।
- (घ) उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र के अर्न्तगत सड़कों का रखरखाव डी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा की जाएगी।
- (ड़) मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास (औद्योगिक) का कार्य जनवरी-फरवरी 2013 तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा। तथा इस पर रूपये 47.77 करोड़ लागत आने की सम्भावना है।

(च) एम0सी0डी0 से कोई भी पार्क डी0एस0आई0डी0सी0 को हस्तांतरित नहीं किया गया है, अत: इन पार्कों में होने वाले कार्यक्रम को आरिक्षत करने की नीति डी0एस0आई0डी0सी द्वारा तय नहीं की गई है।

10. श्री जय भगवान अग्रवालः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सैक्टर-7 रोहिणी ब्लाक ए-3 के रखरखाव एवं बिल्डिंग एक्टीविटिज की जिम्मेदारी का दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को कब-कब स्थानान्तरण हुआ था; और
- (ख) फ्लेट नं0 89 ब्लाक ए-3 सैक्टर-7 रोहिणी एवं वात्सल्य मन्दिर के बीच की सड़क की उस वक्त हालत थी जब दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को स्थानान्तरित हुई थी?

शहरी विकास मंत्री

- (क) इन सर्विसेज की रख-रखाव की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम को दिनांक 20.08. 1997 को स्थानान्तरित की गई है।
- (ख) यह सडक लगभग पन्द्रह वर्ष पहले दिल्ली नगर निगम को हैंड ओवर कर दी गई थी, डी.डी.ए. द्वारा इस प्रकार का ब्यौरा काफी प्रयास के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।

11. श्री जय भगवान अग्रवाल क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पॉकेट ए-3 सैक्टर-7 रोहिणी में दिल्ली विकास प्राधिकरण की कितने एल0आई0जी0 फ्लेट बनाने की योजना थी और उनमें से कितने फ्लेट बने है और जो न बन पाए, उसका क्या कारण है.

- (ख) पाकेट ए-3 सैक्टर-7 रोहिणी में कौन-कौन से फ्लेट वन साईड ओपन, कौन-कौन से टू साईड ओपन और कौन-कौन से थ्री साईड ओपन फ्लेट है, फ्लेट नम्बर अनुसार जानकारी दें,
- (ग) सैक्टर-7 ब्लाक ए-3 में कौन-कौन से फ्लेट ऐसे है जिनमें अवैध रूप से बैक साईड में दरवाजे लगे हुए है और जिनमें दरवाजे लगे हुए है उनमें से कितने फ्लेट ऐसे हैं जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विंडो लगाई है और उस विंडो का साईज क्या है.
- (घ) रोहिणी कालोनी में जितने भी जनता, एल.आई.जी. एम.आई.जी. और एच.आई.जी. फ्लेटस दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए है उनमें से कौन-कौन से फ्लेटस ऐसे है जिनके भवनों एवं चार दीवारी की मरम्मत की आवश्यकता है, और
- (ड़) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्षतिग्रस्त फ्लेटों की चार दीवारी की मरम्मत हेतु क्या योजना बनाई है?

शहरी विकास मंत्री

(क,ख व ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गए सूचनानुसार इस पॉकेट में 480 एल. आईजी. फ्लैटस बनाने की योजना थी जबिक केवल 438 फ्लैट्स का ही निर्माण हो पाया। 42 फ्लैटस का निर्माण भूमि डी.डी.ए. को हस्तांतरित न होने के कारण नहीं हो पाया। उनमें भूतल पर 24- तीन तरफ खुले, 76- दो तरफ खुले व 119 एक तरफ खुले फ्लैट्स हैं। यह स्कीम बहुत पुरानी है व व्यकितगत फ्लैटस संख्या एवं अवैध रूप से बैक साईड में लगे दरवाजों व खिड़िकयों का साईज आदि का

विवरण दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है क्योंकि काफी समय पहले इसकी सर्विसेज व निर्माण गतिविधियां नगर निगम को हस्तांतरित हो गई है।

- (घ) दि.वि.प्रा. द्वारा बनाए गए फ्लैट्स की मरम्मत का कार्य इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार करवाया जाता है। अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले 270 एम.आई.जी. पाकेट -23, सैक्टर -24 वा पाकेट-4, सैक्टर-24 में मरम्मत का कार्य प्रगाति पर है। कम मरम्मत की आवश्यकता वाले फ्लैट्स जो सैक्टर -24 व सै.-25 में कुछ पाकेट में आवंटित फ्लैटों की मरम्मत हेतु एस्टीमेट बनाया है तथा विभाग की मंजूरी हेतु प्रक्रिया में है।
- (ड़) अभी उपरोक्त 'घ' के अनुसार।

12. श्री जय भगवान अग्रवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सैक्टर 7,8,9,13,14,15,18,19 रोहिणी और प्रशांत विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई कितनी Convenience Shopping Centre (सी0एस0सी0) है;
- (ख) उनमें से कौन कौन से Convenience Shopping Centre की सर्विसिज आज भी डीडीए के पास ही है,
- (ग) कितनी Convenience Shopping Centre ऐसी हैं जिनके भवनों के मरम्मत की आवश्यकता है, और
- (घ) डीडीए ने उनकी मरम्मत हेतु क्या योजना बनाई है?

(क) रोहिणी क्षेत्र में विकसित की गई सी0एस0सी0 इस प्रकार है:-

礼 中央 1.

7 नं0

2. सैक्टर -8

6 ਜਂ0

3. सैक्टर-9

3 ਜਂ0

4. सैक्टर-13

1 ਜਂ0

5. सैक्टर-14

1 नं0

6. सैक्टर-15

2 नं0

7. सैक्टर-18

2 ਜਂ0

(ख) सैक्टर 7,8,9,13,18 के सी0एस0सी की सर्विसेज दि0न0नि0 को स्थानान्तरित की जा चुकी है। सैक्टर 9,15 की सर्विसेज दि0वि0प्रा0 के पास है।

- (ग) सैक्टर-7 व सैक्टर-9 के 8 नम्बर सी0एस0सी0 में मरम्मत की आवश्यकता है।
- (घ) सैक्टर-7 व सैक्टर-9 के सभी सी0एस0सी0 में मरम्मत की निविदायें आमंत्रित की जा रही है।

13. श्री नसीब सिंहः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में डीडीए की कितनी और कौन कौन सी सडकें है उनका विवरण दिया जाए:
- (ख) इनमें से कौन-कौन सी सड़क लोकल बाडी पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को हैण्डओवर कर दी जाएगी, और

(ग) पिछले 5 सालों में डीडीए द्वारा इन सड़कों पर किस-किस मद पर कितना-कितना पैसा खर्च किया गया है?

शहरी विकास मंत्री

(क) मंगलम मार्ग (कड़कड़डूमा इन्स्टीट्यूशनल एरिया) - 24 मी. R/W - 1500 मी. विश्वास नगरी इनस्टीट्यूशनल एरिया - 18 मी. R/W - 65 मी. फेसिलिटी सेंटर - 13 - 30 मी. R/W ए, 18 मी. - 830 मी. सी.बी.डी. शाहदरा - 18 मी. R/W, 125.00 मी. - 24 मी. R/W - 655.00 मी. - 26 मी. R/W - 2414.00 मी. - 36 मी. R/W - 255.00 मी. आई.पी.एक्स्टेंशन - 6 रोड - 240 मी. चौड़ी 3 रोड - 18 मी. चौड़ी गाजीपुर और ए.टी.सी0 गाजीपुर 18 मी R/W - कला निकेतन स्कूल से एस.एफ. एफ. फ्लैट्स, 18 मी. R/W - एम.सी.डी. स्कूल से गौशाला और डी.टी.सी. के चारों और

कड़कड़डूमा - 18 मी. R/W- दीपक मैमोरियल अस्पताल के पीछे

- (ख) सभी सड़कें एम.सी.डी./पीडब्ल्यू डी को हैण्डओवर कर दी जाएगी।
- (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन सड़कों पर पिछले पाँच वर्षों में कुल 9.84 करोड रूपये खर्च किये गए।

14. श्री नसीब सिंहः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में डीडीए द्वारा बनाए हुए LIG, MIG, HIG फलेटों

का विवरण क्या है, कहाँ-कहाँ कितने कितने फ्लेट है;

- (ख) क्या उनकी Services और Area एमसीडी को हैण्डओवर कर दी गई है;
- (ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और कब तक एम0सी0डी0 को हेण्डओवर कर दिया जाएगा, और
- (घ) पिछले पाँच सालों में इन Areas मे कितना पैसा किस किस मद पर डीडीए द्वारा खर्च किया गया है पूर्ण विवरण दिया जाए?

शहरी विकास मंत्री

(क) डी0डी0ए0 द्वारा बनाए गए फ्लैटों का विवरण इस प्रकार है:-

I.

- 1. गाजीपुर में 193 फ्लेट एस0एफ0एस0
- 2. झिलमिल फेस-11-376 एम0आई0जी0 फ्लैट
- 3. आनन्द विहार -138 सी0एस0पी0 फ्लैट
- 4. भट नगर सोसाईटी 40 सी0एस0पी0 फ्लैट

II.

- 1. झिलमिल फेस-11 -376 एस0एफ0एस0 फ्लैट
- 2. झिलमिल फेस-11-40 सी0एस0पी0 फ्लैट

- (ख) उपरोक्त की सेवाएं एवं क्षेत्र एम0सी0डी0 को सुपुर्द कर दी गई है।
- (ग) गाजीपुर के 193 फ्लैट को इस वर्ष के अन्त तक एम0सी0डी0 को सुपुर्द कर दिया जाएगा।
- (घ) सिर्फ गाजीपुर के एस0एफ0एस0 फ्लैटों के रखरखाव पर 37.36 लाख रूपये खर्च किये गए हैं।

15. श्री नसीब सिंह: क्या स्वाथ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि भूमि अधिग्रहण के बाद अल्टरनेटिव प्लॉट किसानों को दिये जाते है
- (ख) यदि हाँ, तो उसकी क्या नीति है।
- (ग) अब तक ऐसे कितने लोगों की ऐप्लिकेशन आई है और कितने लोगों की ऐप्लिकेशन रिजेक्ट की गई है। उनका विवरण क्या है।
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि काफी समय से डी0डी0ए को भूमि एव भवन ने अल्टरनेटिव प्लॉटस के लिए रिकमेंडेशन नहीं दी है, उसके क्या कारण है और कब तक उनको डी0डी0ए तक पहुंचा दिया जायेगा।
- (ड़) क्या सरकार द्वारा इस योजना मे सरलीकरण करने की कोई योजना है।
- (ण) यदि हां तो कब तक इस योजना को बना दिया जाएगा।
- (च) क्या इस योजना को पड़ोसी राज्यों हरियाणा और यू0पी0 की योजना के अनुरूप बनाए जाने की योजना है: और

(छ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हाँ तो कब तक?

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) भारत सरकार ने 1961 में वैकल्पिक प्लाट देने की नीति बनाई है।
- (ग) दिनांक 31/12/2011 तक कुल 36315 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है और इनमें से कुल 16014 आवेदन रद्द किये गए। विवरण विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है
- (घ) जी हाँ। अब यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चूंकि यह निरतंर प्रक्रिया है समय सीमा दे पाना सम्भंव नहीं है।
- (इ) जी नहीं।
- (ण) उपराक्त के अनुसार लागू नहीं।
- (च) जी नहीं।
- (छ) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं।

16. श्री नसीब सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्रों में डीडीए द्वारा पिछले 5 सालों में कितने बारातघर बनाए गए हैं और आने वाले सालों में कितने नए बारातघर बनाए जाने की योजना है और कब तक; और
- (ख) किस-किस विधानसभा क्षेत्र में कहां-कहां पर बारातघर बनाने की योजना बनाई गई है और कब तक ये बारातघर बनकर पूर्ण होंगे?

- (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्वी दिल्ली में 17 बारातघर प्रस्तावित किये गए है, जो कि निम्नलिखित स्थानों पर है। (1) कोटाला गांव (2) विश्वास नगर नजदीक हंस अपार्टमेंट (3) हसनपुर गांव (4) सुखविहार (5)डिस्ट्रीक सेंटर, शास्त्री पार्क (6) गाजीपुर (7) दिलशाद गार्डन डी ब्लाक (8) प्रीत विहार कम्यूनिटी सेंटर (9)चिल्ला गांव (10) वसुन्धरा इन्कलेव, नजदीक चिल्ला स्पोर्ट काम्पलैक्स (11) वसुन्धरा (12) कोण्डली-करौली, पाकेट-डी (13) विश्वास नगर (14)अल्लाह कालोनी, मण्डौली फाजिपुर (15) गीता कालोनी (16) आनन्द विहार (17) मदनपुर खादर-2 क्र.सं. 4, 16 एवं 17 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- (ख) सूची संलग्नक 'ख' पर संलग्न है। ये बारात घर दिसम्बर 2013 तक तैयार कर दिये जाएगें।

पूर्वी दिल्ली में विधानसभा क्षेत्रानुसार बारातघर की सूची

क्र0स0	विधायक	बारातघर		
1.	श्री नसीब सिंह	(1)विश्वास नगर (नजंदीक हंस अपार्टमेंट) (2) हसनपुर गांव		
		(3) सुख विहार (4) गाजीपुर (5)प्रीत विहार (6) विश्वास		
		नगर (७)आनन्द विहार		
2.	श्री अमरीश कुमार गौतम	(1) बसुन्धरा एन्कलेव (नजंदीक चिल स्पोर्टस कैम्प) (2)बसुन्धरा		
	,	एन्कलेव (3) कोन्डली घामली पाकट डी		
3.	श्री सुनील कुमार वैद	(1) कोटला गांव (2) चिल्ला गांव		

- 4. श्री अनिल चौधरी
- (1) आल्लाह कालोनी (2) मंडोली कालोनी (3) फैजलपुर
- 5. श्री वीर सिंह धिंगान
- (1) दिलशाद गार्डन पाकट 'डी'
- 6. डॉ. हर्षवर्धन
- (1) गीता कालोनी
- 7. श्री आसिफ मोहम्मद खान
- (1) मदनपुर खादर

17. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि सीमापुरी क्षेत्र की पुर्नवास कालोनी सुन्दर नगरी के एफ-1, एफ-2 ब्लाक मे पड़ी खाली जमीन पर अवैध कब्जा है,
- (ख) यदि हाँ, तो उक्त जमीन कुल कितनी है तथा किस विभाग की है तथा उसका खसरा नं0 क्या है,
- (ग) क्या यह सत्य है कि उक्त जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को स्थानान्तरण की गई थी, यदि हाँ, तो क्या कारण है कि उक्त जमीन पर शिक्षा विभाग ने अपना कब्जा नहीं लिया.
- (घ) क्या यह भी सत्य नहीं है कि सरकार ने उक्त जमीन का संयुक्त सर्वेक्षण भी कराया था, जिसमे भूमाफिया के दावे की जमीन, उक्त जमीन करीब डेढ किलोमीटर दूर बताई गई थी,
- (च) यदि हाँ, तो संयुक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर आज तक उक्त जमीन को खाली क्यों नहीं कराया गया.
- (छ) क्या यह भी सत्य है कि बाद में उक्त जमीन पर लगे स्टेटस कोर्ट के ओदश का भी भूमाफिया द्वारा खुला उल्लंघन किया जा रहा है, और उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, और

(ज) यदि हाँ, तो उक्त मामले में लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

शहरी विकास मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) यह भूमि लगभग ढ़ाई एकड़ है जो गांव मण्डौली के खसरा न0 976 मिन, 977 मिन, 978 मिन व 979 मिन में पड़ता है।
- (ग) जी हाँ।
- (घ,च,छ,ज) जी हाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचनानुसार इस भूमि का संयुक्त निरीक्षण एस0डी0एम0 (सीमापुरी) व दि0वि0प्रा0 एवं उसके अधिकारियों द्वारा कब्जा हटाने के इरादे से किया गया था परन्तु यह अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सके क्योंकि दो कोर्ट केस (1) मोहम्मद शेर नवी चमन बनाम एम0एस0शर्मा, उपनिदेशक व अन्य सूट नं0 356/2007 व सीवीपी 336/2011 (एम0 9/-2011) कोर्ट में विचाराधीन है। (2) मोहम्मद शेर नबी चमन बनाम डीडीए व अन्य सूट नया नं0 207/07 भी न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमें अगली सुनवाई 04.09. 2012 निश्चित है। इन दोनों केसों में स्थगत ओदश जारी किये गये है। वादी ने दीवार कि मरम्मत का काम करवाया था जिसकी रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई और यह रिपोर्ट कोर्ट की जानकारी हेतु भी दी गई है।

18. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की पुर्नवास कालोनिया का रख-रखाव दिल्ली नगर निगम के पास है यदि हाँ, तो कब से और उसका लिखित आदेश कब और किसने किन-किन शर्तों पर दिया था,

- (ख) क्या यह भी सत्य है किपुनर्वास कालोनियों का रेवेन्यू रिकार्ड भी दिल्ली नगर निगम के पास है,
- (ग) यदि हाँ, तो यह रिकार्ड निगम के किस कार्यालय में उपलब्ध है,
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि उस समय स्लम विभाग व दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुनर्वास कोलोनियों को बनाया था,
- (ड़) यदि हाँ, तो क्या कारण है कि जमीन स्लम व डीडीए की होने के बावजूद दिल्ली नगर निगम अन्य किसी विभाग को निर्माण कार्य की अनुमित नहीं देता, और
- (छ) क्या सरकार पुर्नवास कालोनियों में जन हित में होने वाले निर्माण कार्यों की अनुमित देने की प्रक्रिया सरल व शीघ्र कराएगी, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

- (क) जी हाँ, पुर्नवास कालोनियों का रखरखाव दिल्ली नगर निगम के पास आयुक्त व सिचव (एल0एंडी0बी0) दिल्ली प्रशासन के नोटिफिकेशन संख्या एफ 12/22/87-पी/एल0 एंड बी0 दिनांक 27.05.1988 के द्वारा किया गया था जिसकी प्रतिलिपि पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख) जी नहीं।
- (ग) उपरोक्तानुसार।
- (घ) जी हाँ।

- (ड़) दक्षिणी, उत्तरी एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा पुनर्वास कालोनियों के रखरखाव के लिए विकास कार्य आवश्यकतानुसार कराया जाता है।
- (च) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है।
- 19. श्री वीर सिंह धिगांन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की तीनों निगमों- नगर निगम पूर्वी, दिल्ली नगर निगम उत्तरी व दिल्ली नगर निगम दक्षिणी में सफाई मजदूर कार्यरत है,
- (ख) यहि हाँ, तो इन तीनों नगर निगमों में कुल कितने सफाई मजदूर कार्यरत हैं, स्थाई अस्थाई व अंशकालिन सफाई मजदूरों की जोन वाईज संख्या बताई जाए,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि इन मजदूरों की सेवा शर्ते सरकार के तहत ही मानी गई है,
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि सरकारी तौर पर कार्यरत मजदूरों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे स्थाई नियुक्ति, अवकाश मैडिकल सुविधा वर्दी, अवास आदि की सुविधाएं आदि,
- (च) यिद हाँ, तो क्या कारण है िक दिल्ली की तीनो निगमों मे कानून को ताक पर रखकर सफाई मजदूरों के साथ अन्याय िकया जा रहा है तथा उन्हें स्थाई नहीं िकया जा रहा है तथा अन्य सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है; और
- (छ) क्या सत्य है कि सरकार दिल्ली की तीनों निगमों को निर्देश देकर बाल्मिकी समाज सफाई मजदूरों को स्थाई करने आदि सुविधाओं को लाभ दिलायेगी, यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

- (क) जी हाँ। यह सत्य है कि तीनों निगमों में सफाई मजदूर कार्यरत है।
- (ख) उत्तरी, दक्षिणी एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत स्थाई, अस्थाई व पीसमील सफाई कर्मचारियों की क्षेत्रानुसार संख्या निम्न प्रकार है:-

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

क्षेत्र		कुल		
	नियमित	दैनिक वेतन	पीसमील/एवजीदार	
सदर पहाडगंज	1267	169	1178	2614
रोहिणी क्षेत्र	3194	763	1996	5953
नरेला क्षेत्र	1480	1747	424	3651
सिविल लाईन	4906	758	1777	7441
करोल बाग	2894	340	2845	6079
शहरी क्षेत्र	1220	104	1466	2790
कुल	14961	3881	9686	28528

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

क्षेत्र		कुल		
	नियमित	दैनिक वेतन	पीसमील/एवजीदार	
दक्षिणी क्षेत्र	2738	2105	1120	5963
मध्य क्षेत्र	3483	2846	1733	8062
नजफगढ क्षेत्र	780	5561	_	6341
पश्चिमी क्षेत्र	3025	135	1602	4761
कुल	10025	10647	4435	25127

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

क्षेत्र	कार्यास्त				कुल
	नियमित	दैनिक वेतन	पीसमील/	काटमैन⁄	
			एवजीदार	नान पीसमील	
शाहदरा दक्षिणी	4281	471	1782	206	6740
				502	502
]	DWSK 110 DW	
				काटमैन	110
शाहदरा उत्तरी	3308	347	3675	401	7731
कुल	7589	818	5457	1219	15083

- (ग) मजदूरों (सफाई कर्मचारियों) की सेवा शर्ते नगर निगम की पॉलिसी के अनुसार होती है।
- (घ) तीनों दिल्ली नगर निगमों में सभी स्थाई सफाई कर्मचारियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं दी जाती है। जैसे कि मैडीकल, अवकाश, वर्दी एव आवास सुविधाएं है।
- (ड़) सभी सफाई कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण सुविधाए मुहैया करवाई जा रही है
- (च) तीनों नगर निगमों द्वारा फेस मैनर में स्थायीकरण किया जा रहा है। अब तक वर्ष 1994-96 के मध्म लगभग सभी कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है। वर्ष 1996-98 में लगे सफाई कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

20. श्री वीर सिंह धिगांन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि गांव तािहपुर को दिल्ली के पांच गांवों नंगली, रजापुर,ढोढापुर आदि के साथ अंग्रेजी शासन के दौरान बेदखल किया गया था,
- (ख) यदि हाँ, तो इन गांवों को बेदखल करने के क्या कारण थे,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि गांव ताहिरपुर के साथ बेदखल हुए अन्य गांवों को सरकार ने मालिकाना अधिकार दिया है तथा उनकी बढ़ी हुई आबादियों को भी नियमित कर दिया गया है.
- (घ) यदि हाँ, तो क्या कारण हैं कि गांव ताहिरपुर को अभी तक मालिकाना अधिकार नहीं दिया है, तथा न ही गांव की बढ़ी हुई आबादी को नियमित किया गया है,
- (ड़) क्या यह भी सत्य है कि सरकार अंग्रेजी शासन से लोहा लेने वाले उक्त गांव ताहिरपुर को भी शीघ्र मालिकाना अधिकार देगी; और
- (च) यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

- (क) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है।
- (ख) उपरोक्तानुसार।
- (ग) उपरोक्तानुसार।
- (घ) उपरोक्तानुसार।

- (ड्) उपरोक्तानुसार।
- (च) उपरोक्तानुसार।

21. श्री विपिन शर्मा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि विधानसभा क्षेत्र संख्या 64 रोहतास नगर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे दुर्गापुरी एक्सटेंशन, रोहतास नगर, लोनी रोड, मान सरोवर पार्क, मण्डोली रोड आदि में मोबाईल टावरों को मकानों पर लगाने की अनुमित दिल्ली सरकार अथवा दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई है,
- (ख) क्या ऐसी इजाजत देने से पूर्व सम्बन्धित विभाग ने स्वास्थ्य की दृष्टि से समस्त प्रक्रियाएं ऐसे टावरों को लगाने की अनुमाति लेने वालों से पूरी कराकर उन्हें स्वीकृति प्रदान की थी अथवा नहीं,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से इन मोबाइल टावरों द्वारा क्षेत्रवासियों में ब्रेन टयूमर, कैंसर आदि गम्भीर बीमारियां पैदा हो रही है और मेरी जानकारी के अनुसार दुर्गापुरी एक्सटेंशन क्षेत्र में कुछ बच्चे/व्यक्ति गम्भीर बीमारी से ग्रस्त होकर मर चुके हैं; और
- (घ) यदि हाँ, तो इन्हें कब तक हटाया जाएगा?

- (क) जी हाँ, अनुमित नगर निगम द्वारा प्रदान की जाती है।
- (ख) पॉलिसी के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करवाकर अनुमाति दी जाती है।

- (ग) मोबाईल टॉवरों द्वारा होने वाली बीमारियों की कोई सत्यापित रिपोर्ट संज्ञान में नहीं है।
- (घ) लागू नहीं।

22. श्री विपिन शर्मा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि जी0टी0 रोड शाहदरा हनुमान मंदिर तथा वाटर टंकी के पास बने हुए फलाई ओवर ब्रिज के नीचे का स्थल रेलवे फाटक से शाहदरा थाने तक बनी हुई दीवार एवं लोहे के ग्रिल की टूटी फूटी अवस्था में है,
- (ख) क्या यह सत्य है कि इस फलाई ओवर के नीचे के स्थल पिछले अनेक वर्षों से दिल्ली नगर निगम के अर्न्तगत उनकी देख-रेख में आता है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली नगर निगम का लाईसेंसिंग विभाग सड़कों से उठाकर लाई गई रेहड़ियों, रिक्शों, टैम्पों, ट्रकों, फटफट सेवा, ग्रामीण सेवा की गाडियों को पार्क करके उनके रख रखाव की इजाजत देता है; और
- (घ) क्या सड़क के दोनों और बनी दीवारों एवं लोहे की ग्रिलों की मरम्मत के लिए विभाग द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है, यदि हाँ, तो कब तक देख रेख एवं मरम्मत का कार्य सम्भव हो पाएगा?

- (क) दिल्ली नगर निगम की सूचना के अनुसार जी.टी.रोड़ शाहदरा पी0डब्ल्यू0डी0 को स्थानान्तिरत की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में पी0डब्ल्यू0 डी0 को सूचित कर दिया गया है और सूचना एकत्रित की जा रही है।
- (ख) उपरोक्तानुसार।

- (ग) लाईसेंसिंग विभाग, यहां पर उठाकर लाई गई टैम्पों, ट्रकों फटफट सेवा एवं ग्रामीण सेवा की गाड़ियों को इस स्थल पर बनाए गए स्टोर में रखता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा आर0पी0सेल की यहां वैद्य पिकंग है। इस पार्किंग में लाइसेंसिंग विभाग अपना कोई सामान नहीं रखता।
- (घ) उपरोक्त 'क' के अनुसार।

23. श्री धर्मदेव सोंलकी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली की 917 अनाधिकृत कालोनियों को जो दिल्ली सरकार के मापदण्ड में पूरा उतर रही है, कब तक नियमित कर दिया जाएगा;
- (ख) क्या इन्हें नियमित करने से पूर्व न्यायालय के समक्ष जानकारी देना आवश्यक है; यदि हाँ, तो न्यायालय के समक्ष सरकार अपना पक्ष कब तक रखने जा रही है।

शहरी विकास मंत्री

- (क) जो कालोनियां सरकार द्वारा जारी विनियम दिनांक 24.03.2008 के मापदण्ड को पूरा कर रही है उनके बारे में शीघ्रातिशीघ्र आदेश किया जाना विचारारधीन है।
- (ख) जी नहीं।

24. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि शहरीकृत गांव वजीरबाद और संगम विहार से अवैध टायर गोदामों को हटाने का मामला पिछले लम्बे समय से लम्बित पड़ा है;
- (ख) यदिं हाँ, तो क्या कारण है कि अभी तक इन अवैध टायर गोदामों को स्थानान्तरित नहीं किया है और

(ग) यह भी स्पष्ट करें कि यह गोदाम कब तक स्थानान्तरित हो जाएगें?

शहरी विकास मंत्री

(क) जी नहीं।

(ख व ग) उपरोक्तानुसार।

25. श्री ओ. पी. बब्बर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि शंकर गार्डन, नई दिल्ली में कम्प्यूनिटी हाल की बुनियाद चार महीने पहले रखी गई थी, यदि हाँ, तो दिल्ली नगर निगम ने निर्माण कार्य अभी अपने हाथों मे क्यों नहीं लिया;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि 135.57 लाख रूपये की एक बहुत पुरानी योजना के तहत केजी-11 विकास पुरी और न्यु कृष्णा पार्क, नई दिल्ली में सडकों एवं नालों के सुदृढीकरण, टाइलों की व्यवस्था और अन्य सोन्दर्यीकरण के कार्यो को 31.03. 2012 तक पूरा किया जाना था;
- (ग) दिल्ली सरकार के माननीय शहरी विकास मंत्री के आश्वासन के बावजूद भी निश्चित समयाविध का पालन क्यों नहीं किया गया; और
- (घ) मुखर्जी पार्क/ओद्योगिक क्षेत्र, तिलक नगर से नजफगढ़ तक बहने वाली सुभाष नगर ड्रेन की Remodeling वर्तमान स्थिति एवं इसकी लागत और कार्य पूर्ण होने की अविध का पूर्ण विवरण क्या है?

- (क) जी हाँ। कार्य प्रारम्भ किया गया था परन्तु उच्च न्यायालय के स्टे आर्डर के उपरान्त यह कार्य रोक दिया गया है।
- (ख) इस योजना के तहत नाले तथा साईड बर्म्स का कार्य पूरा हो चुका है। योजना के अन्तर्गत सडकों की डेंस कारपेंटिंग का कार्य एम.एल.ए कोष द्वारा किया जा चुका है। शेष सड़कों को डेंस कारपेंटिंग के द्वारा सुदृढिकरण कार्य की निविदांए प्राप्त हो चुकी है तथा फाईल कार्य आदेश देने की प्रक्रिया में है।
- (ग) उपरोक्तानुसार।
- (घ) वर्तमान में इस कार्य के लिए कास्टिंग यार्ड की जमीन तिलक विहार क्षेत्र में आंवटित कर दी गई है तथा शीघ्र ही कार्य कर दिया जाएगा। इस कार्य की कुल लागत 69.85 करोड़ रूपये है तथा इसके पूर्ण होने की अवधि 36 महीने है।
- 26. श्री ओ0पी0 बब्बर: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि 21 जे0जे0 कालोनियों के पूर्ण विकास के लिए वरीयता सूची बनाई गई थी जिसमें कृष्णा पार्क, इंदिरा कैप, जे-ब्लॉक, केशव गांव, विकास पुरी, शंकर गार्डन, दिल्ली आदि शामिल है।;
- (ख) यदि हाँ, तो इन Cluster के पूर्ण विकास की वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ग) इस योजना को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा?

- (क) जी हाँ, दिल्ली विकास प्राधिकरण के 21 जे0जे0 कलस्टर्स के विकास के लिए वरीयता सूची बनाई गई थी, जिसमें कृष्णा पार्क, इन्द्रा कैम्प, जे0 ब्लॉक केशवपुरम, शंकर गार्डन, विकास पुरी आदि शामिल हैं। वरीयता सूची संलग्न है।
- (ख) सर्वेक्षण कार्य अभी प्रगति पर है। योजना विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
- (ग) इस योजना को पूर्ण करने की कोई समय सीमा तय नहीं है।

21 झुग्गी क्लस्टर्स की वरीयता सूची

क्रम सं॰ झुग्गी-झोपड़ी समूह का नाम

रोहिणी क्षेत्र

- 1. सैक्टर 26 फेस 4
- सैक्टर 18 ब्लाक 'एफ' व 'ई'
- 3. सैक्टर 19 ब्लांक 'बी' व 'सी'

पूर्वी क्षेत्र

- 4. डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिलशाद गार्डन
- 5. पटपड्गंज मे संजय झील के सामने
- 6. खिचड़ीपुर व कल्याणपुरी में संजय झील के सामने

दक्षिणी क्षेत्र

- 7. कसूमपुर पहाड़ी वसंत विहार
- 8. भेवरसिंह कैंप वसंत विहार
- 9. शिवा और सेवा कैंप वसंत विहार
- 10. झुग्गी-झोंपड़ी समूह कालकाजी एक्सटेंशन

डायरेक्टर एम.एम.

- 11. कृष्णा पार्क समीप विकास पुरी
- 12. 'जे' ब्लांक केशवपुरम, विकासपुरी में इन्दिरा कैंप
- 13. श्यामनगर 'के' ब्लाक
- 14. शंकर गार्डन विकासपुरी 15
- 15. जे. जे. क्लस्टर सुभाष नगर
- 16. रणबीर नगर बूस्टर पम्प के पीछे

उत्तरी क्षेत्र

- 17. जेलर वाला बाग अशोक विहार
- 18. कठपुतली कालोनी शादीपुर डिपो
- 19. एच.एस.एस. जी.पी. ब्लाक पीतमपुरा

- 20. मेट्रो अपार्टमेंट जहाँगीर पुरी
- 21. एन. 86 लॉरेंस रोड

27. श्री ओ0पी0 बब्बर: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि सामान्य रूप से रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली व विशेष रूप से शंकर गार्डन, केशवपुरम गांव और डबल स्टोरी, हरिजन बस्ती, तिलक विहार, नई दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के शाचाालयों की हालत बहुत जर्जर स्थिति है.
- (ख) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र के इन शौचालय के रखरखाव/ मरम्मत के लिए कौन जिम्मेदार है; और
- (ग) क्या मरम्मत न होने योग्य शौचालयों के स्थान पर नए शौचालयों का निर्माण सम्भंव है?

- (क) शंकर गार्डन जे.जे. कलस्टर में 20 सीटर जनसुविधा परिसर का निर्माण कार्य इस विभाग द्वारा दिनांक 10.07.2012 से किया जा रहा है। मगर दिल्ली उच्च न्यायलय के निर्देश द्वारा दिनांक 06.08.2012 से यह कार्य रूका हुआ है। ड ब ल स्टोरी स्वीपर टेनामैंट में एक जनसुविधा परिसर का निर्माण कार्य किया जा रह है जिसके पूरा होने की सम्भांवना दिनांक 28.02.2013 तक है।
- (ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड तिलक नगर के मौजूदा जन सुविधा परिसर सभा क्षेत्र व मौजूदा जन-सुविधा परिसर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

(ग) पुराने व जर्जर-सुविधा परिसरों के बदले नये जन सुविधा परिसरों का निर्माण कार्य उपरोक्त बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

28. श्री ओ0पी0 बब्बर: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि शंकर गार्डन नई दिल्ली में 85 लाख रूपये की लागत से दिल्ली सरकार द्वारा संगीतमय फ्वारे लगवाए गए थे, तथा इन संगीतमय फ्वारों का रखरखाव दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा था;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि यह संगीतमय फ्वारा पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ा है;
- (ग) यदि हाँ, तो इसकी मरम्मत/चालू करने में कितना समय लगेगा; और
- (घ) दिल्ली सरकार के इस प्रकार के संगीतमय प्रवारों के रखरखाव की क्या नीति और कार्य के लिए कौन उत्तरदायी है?

- (क) जी हाँ, इसका रखरखाव अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/पश्चिमी क्षेत्रों, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है।
- (ख) यह सत्य है।
- (ग) संगीतमयी फव्वारा एक आवश्यक सेवा नहीं होने व बजट Constraints की वजह से यह कार्य प्राथमिकता में नहीं है।
- (घ) उपरोक्तानुसार।

29. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी कालोनियों कि सूची उपलब्ध कराई जाए;
- (ख) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिन अनिधकृत कालोनियों को माननीय उपराज्यपाल महोदय के पास भेजा गया उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए;
- (ग) इन अनिधकृत कालोनियों को कब तक नियमित किया जाएगा, तथा नियमित करने पर क्या सरकार द्वारा कोई सरचार्ज भी तय किया है और इन कालोनियों को नियमित करने पर सरकार की क्या-क्या शर्तें हैं: और
- (घ) जो अनिधकृत कालोनियों आस्तित्व में नहीं हैं उनका पी.आर.सी. रद्द नहीं किया गया जबिक जो कालोनियां पुरानी है उनका पी.आर.सी. रद्द करने के क्या कारण है?

- (क) बुराड़ी विधानसभा में आने वाली सभी 59 अनिधकृत कालोनियों की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख व ग) माननीय उपराज्यपाल महोदय के पास भेजी गई सूची पर आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। नियमों मे 'सरचार्ज' का कोई प्रावधान नहीं है।
- (घ) प्रश्न में विशिष्ट तथ्यों के अभाव में उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

30. श्री श्रीकृष्ण त्यागीः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत उन अनिधकृत कालोनियों की सूची उपलब्ध कराई जाए, जिसमे विकास कार्य नहीं किया जा सकता है;
- (ख) उन अनिधकृत कालोनियों की सूची भी उपलब्ध कराई जाए जिनमें किसी विभाग द्वारा आपित जताई हो:
- (ग) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत दो अनिधकृत कालोनियों, एक्सटेन्डेड आबादी कादीपुर गांव (रिज नं. 141 ईएलडी) व ऐक्सटेन्डेड आबादी कुशक नं.1 कादीपुर गांव (रिज न.17 ईएलडी) है इसकी आबादी कितने प्रतिशत है तथा उपरोक्त अनिधकृत कालोनियों को पी.आर.सी. किस आधार पर दिया गया;
- (घ) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त दोनों कालोनियों का सर्वे करवाया गया था यदि हाँ, तो किस अधिकारी द्वारा यह सर्वे किया गया तथा उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी; और
- (ड़) शून्य प्रतिशत आबादी होने के बाद भी उपरोक्त कालोनियों के पी.आर.सी. को रद्द क्यों नहीं किया गया?

- (क) वर्तमान में जिन कालोनियों मे विकास कार्य नहीं जा रहा है उनकी सूची क पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख) सूची ख पुस्तकालय में उपलब्ध है।

- (ग) पत्रांक संख्या टी0पी0/जी/6616/10 दिनांक 22.03.2010 के अनुसार 17 ईएलडी व 141 ईएलडी की Built up प्रतिशत (2008-09) को 0 प्रतिशत दर्शाई गई है।* (पुस्तकालय में उपलब्ध है।) (अनलग्नक 'ग'-1 व ग-'2')। आबादी से सम्बन्धित आंकड़े अनाधिकृत शाखा के पास उपलब्ध नहीं होते । इन कालोनियों को अन्य सभी कालोनियों की ही तरह आर0डब्ल्यू0ए0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों एव दस्तावेजों के आधार पर पी0आर0सी0 दिये गये थे।
- (घ) जी हाँ, तो उपरोक्त चीफ टाऊन प्लानर, एमसीडी के आफिस द्वारा किया गया है जो कि उपरोक्त पत्रांक द्वारा सूचित किया गया है। *(अनुलग्नक 'घ'−1 व घ−2)
- (इ) पी0आर0सी0 रद्द करने का मुद्दा विचाराधीन है।

31. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत 5 अनिधकृत कालोनियां कादीपुर एक्स. 'सी' ब्लॉक रिज नं. 54 (LOP-567) कुशक नं.-1 'बी' ब्लॉक कादीपुर गांव (रिज. नं. 863), फूल बाग (शास्त्री पार्क एक्स.) नत्थूपुरा मोड़ इब्राहिमपुर (रिज. नं. 951) प्रदीप विहार, नत्थूपुरा मोड़ (रिज. नं. 773) तथा मिलन विहार नज्दीक सन्त नगर (रिज. नं. 771), के पी0आर0सी0 को रद्द करने के क्या कारण थे;
- (ख) उपरोक्त अनिधकृत कालोनियों में आबादी 50 प्रतिशत से भी अधिक होने पर इनका पी.आर.सी. किस आधार पर रद्द किया गया;
- (ग) उपरोक्त अनिधकृत कालोनियों के पुन: कब तक पी0आर0सी0 जारी की जाएगी;
- (घ) बुराड़ी बाईपास में ट्रेफिक जाम की स्थिति को देखते हुए क्या यहां पर सरकार द्वारा

कोई फ्लाईओवर बनाने की योजना है, यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ड़) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कादीपुर गांव में खसरा नं. 1304 व 1305 में ग्राम सभा की जमीन है, जिसमे अनिधकृत कब्जा है, इस जमीन को सरकार स्कूल के निर्माण हेतु कब तक आवंटित करेगी?

शहरी विकास मंत्री

- (क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत 4 अनिधकृत कालोनियों के पी.आर.सी. रद्द किये गये थे, जिनका बिल्ट-अप प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम था। मकादीपुर गांव (रिज नं 863) का पी0आर0सी0 रद्द नहीं किया गया है (स्टेटस रिपोर्ट पुस्तकालय में उपलब्ध है)।
- (ख) उपरोक्त के आधार पर प्रश्न नहीं उठता।
- (ग) जो विभाग के पास पंजीकृत कालोनियां नियमानुसार नियमित किये जाने के योग्य पाई जाएगी उन्हें नियमित प्रक्रिया में बिना पी.आर.सी. भी सम्मिलित किया जा सकता है। अत: पुन: पी.आर.सी. के दिये जाने का प्रश्न नहीं है।
- (घवड़) इस विभाग में इस प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

32. श्री श्रीकृष्ण त्यागी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) MLA LAD फंड अनिधकृत कालोनियों में किस-किस विकास कार्यो हेतु लगाया जा सकता है;
- (ख) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत कौन-कौन सी अनिधकृत कालोनियां सरकारी/ग्राम

सभा की जमीन में बसी है; और

(ग) क्या सरकार इन सरकारी/ ग्राम सभा जमीन में बसी अनिधकृत कालोनियों की सूची उपलब्ध करवा सकती है?

शहरी विकास मंत्री

- (क) अनिधकृत कालोनी में विकास कार्य हेतु MLA LAD फंड नहीं लगाया जा सकता।
- (ख) सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ग) सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

33. श्री अनिल झा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में स्थित अनिधकृत कालोनिया और सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा स्वीकृत की जा चुकी कालोनियों की संख्या क्या है, इन सभी कालोनियों के नक्शे सी0डी0 और हार्ड कॉपी आदि उपलब्ध कराई जाए;
- (ख) जिन कालोनियों में डी0डी0ए0 की थोड़ी-थोड़ी जमीन आई हुई है, सरकार की ऐसी भूमि के सम्बन्ध में क्या योजना है;
- (ग) भविष्य में किराड़ी विधानसभा में डी0डी0ए0 द्वारा कितने मास्टर प्लान रोड़ निकालने की योजना है व किन-किन कालोनियों में ये कितनी मीटर चौड़ी होंगी; और
- (घ) इन मास्टर प्लान रोडों की योजना किस वर्ष में बनाई गई थी और जो कालोनियों के स्थान योजना में जाएंगे उन परिवारों के लिए शहरी विकास विभाग की क्या योजना है, उनको कहां बसाया जाएगा या उनको सरकार द्वारा कोई मुआवजा दिया जाएगा; और

(ङ) मास्टर प्लान की योजना का नक्शा उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

शहरी विकास मंत्री

- (क) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत 106 अनिधकृत कालोनियां हैं, जिनकी सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है। सर्वे आफ इन्डिया द्वारा किसी भी प्रकार की कालोनी स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं की जाती है। नक्शें की सी0डी0 व हार्ड कॉपी अधिसुचना जारी होने के उपरान्त की उपलब्ध कराई जा सकती है।
- (ख) कालोनी में डी.डी.ए. की जमीन आने का मामला विचाराधीन है।
- (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार किराड़ी विधानसभा में डी.डी.ए. द्वारा मास्टर प्लान रोड़ निकालने वाली कालोनियों की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (घ) यह नीतिगत मामला है।
- (ड़) मास्टर प्लान की योजना की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

34. श्री प्रहलाद सिंह साहनीः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र मे मजनू का टीला, पुरानी चन्द्रावल, बुलवर्ड रोड, प्रियदर्शनी कालोनी, जमा मस्जिद, चांदनी चौक आदि जगह पर रहने वाले सफाई कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मकानों की हालत बहुत की दयनीय है और इन सभी क्वार्टरों में सुधार की अति आवश्यकता है।
- (ख) क्या दिल्ली नगर निगम इन सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा सफाई कर्मचारियों के मकानों की मरम्मत के लिए पक्षपात का रवैया रखती है तथा उच्च

श्रेणी के क्वार्टरों के अन्दर सभी सुविधाएं हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा सफाई कर्मचारियों को सुविधाओं से विचंत रखती है; और

(ग) दिल्ली सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और दिल्ली नगर निगम को आदेश दें कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा सफाई कर्मचारियों के क्वार्टरों की भी मरम्मत आदि के कार्य अति शीघ्र कराए जाएं तथा सरकारी प्रावधान के मुताबिक इन लोगों को जो भी सुविधा मिल सकती हो अति शीघ्र दिलाई जाए?

शहरी विकास मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी नहीं।
- (ग) उपरोक्त के सम्बन्ध में दिल्ली सरकार विचार करेगी।

35. श्री प्रह्लाद सिंह साहनीः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि बुलवर्ड रोड पर स्लम विभाग के 9 फ्लैटों को इकट्ठा करके एक सुन्दर कोठी बनाई गई है;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि कोर्ट द्वारा उसके लिए नोटिस दिया है और उसको गिराने के लिए कहा है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि यह सब लॉ विभाग के लोगों की मिलीभगत से हो रहा है;
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि सी0वी0सी0 ने लॉ विभाग के कर्मचारियों या लॉ आफिसर के खिलाफ कुछ लिखा है, यदि हाँ, तो क्या है और विभाग ने उस पर क्या कार्रवाई की है:

- (ङ) क्या यह भी सत्य है कि इस तरह से स्लम के फ्लैटों को लोग इकट्ठा कर लेंगे तो दिल्ली स्लम रहित कभी भी नहीं बन सकती; और
- (च) क्या यह भी ठीक है कि हाउसिंग विभाग ने जो नोटिस जारी करना था, नहीं किया, और वहां पर जाकर देखने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे है, ऐसा क्यों; और
- (छ) क्या विभाग हाउसिंग विभाग के प्रमुख के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगा या जांच कर उनके खिलाफ सीबीसी को लिखे तथा उचित कार्रवाई करे ताकि और जगह पर भी फ्लैटों को लेकर कोठी न बनाई जाए तथा दिल्ली स्लम रहित बन सके, विस्तार से जानकारी देने का कष्ट करें।

शहरी विकास मंत्री

- (क) जी हाँ, बुलवर्ड रोड पर फ्लैट संख्या 18ए, 18बी, 18सी, 19ए, 19बी, 19सी एवं 20ए, 20बी, 20सी इकट्ठा किया गया है।
- (ख) जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने केस सी0डब्ल्यू0पी0 नं0 5072/11 श्री प्रदीप कुमार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में 17 फ्लैटों को नेाटिस जारी करने के आदेश जारी किए थे, ऐसे फ्लैटों को गिराने के लिए कुछ नहीं कहा है।
- (ग) जी नहीं।
- (घ) जी यह मुमकीन है।
- (इ) माननीय केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने विधि अधिकारी एवं किनष्ठ विधि अधिकारी के विरूद्ध दो अलग-अलग केसों मे भ्रष्टाचार व राजस्व हानि की गतिविधियों में संलग्न होने के कारण कड़ी विभागीय कार्यवाही की सलाह दी है। इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ एक-एक केस मे कड़ी कार्यवाही के लिए आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं।

- (च) जी नहीं।
- (छ) जी हाँ।

36. श्री प्रहलाद सिंह साहनीः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह भी सत्य है कि सफाई कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिनकी बेसिक सेलरी 3000 या 3500 से अधिक है, सरकारी प्रावधान में उनका दो कमरों का सैट दिया जाएगा।
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि अरूणा नगर-मजनू का टीला, पुरानी चन्द्रावल, बुलवर्ड रोड, चांदनी चौक, जमा मस्जिद, कश्मीरी गेट आदि तमाम चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है कि इस तरह की फैसलिटी नहीं हैं और सभी चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सफाई कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इस तरह की सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है, और
- (ग) यदि हाँ, तो क्या इस पर सरकार विचार करेगी कि उक्त वंचित कर्मचारियों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सके?

शहरी विकास मंत्री

- (क) सरकारी कर्मचारियों को आवास का आबंटन ग्रेड- पे के हिसाब से दिया जाता है तथा जिन कर्मचारियों की ग्रेड-पे रूपये 1900 है तो उनको दो कमरो का मकान आंबटित किया जाता है।
- (ख) यह सत्य नहीं है। अरूणानगर-मजनू का टीला, पुरानी चन्द्रावल, बुलवर्ड रोड,

कश्मीरी गेट, चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत जामा मस्जिद क्षेत्र मे जो सफाई कर्मचारियों के आवास है, वह पूर्व से वरिष्ठता के अनुसार क्षेत्रीय आधार पर विभाग द्वारा आंबटित किये गये है।

(ग) जी हाँ।

37. श्री प्रहलाद सिंह साहनीः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा प्राइवेट कटरों के सुधार कार्य शुरू किये जायेंगे;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का जो एक्ट बना था, उसमें ये प्रावधान है और शहरी विकास विभाग द्वारा दो करोड़ रुपया प्रति वर्ष स्लम कटरों के सुधार के लिए दिया जाता है,
- (ग) यदि हाँ, तो प्रति वर्ष शहरी विकास विभाग द्वारा स्लम कटरों के सुधार हेतु कितना पैसा दिया गया है:
- (घ) क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है; और
- (ड़) यिद हाँ, तो इन कटरों में सुधार कार्य कब तक हो जायेंगे, और यिद नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्री

(क) जी हाँ, यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के निर्देशानुसार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा प्राईवेट कटरों के सुधार कार्य शुरू किए जांएगे।

- (ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के एक्ट मे यह प्रावधान है (Under para 3(2) "The Board constitued under sub section (1) Shall be the competent authority to implement the provisions of the slum area (Improvement & clearance) Act, 1956 (96 of 1956) कटरा स्लम में आते हैं और शहरी विकास विभाग द्वारा स्लम कटरों के सुधार के लिए पिछले पांच सालों में लगभग रूपये 150.00 लाख से 200.00 लाख प्रतिवर्ष दिया गया। अत: 2 करोड़ की कोई निश्चित राशि नहीं है। इस साल रूपये 500.00 लाख का प्रावधान है।
- (ग) शहरी विकास विभाग द्वारा स्लम कटरों के सुधार के लिए प्रतिवर्ष दी गई राशि इस प्रकार है:-

वर्ष	दी गई राशि
2007-2008	रूपये 200.00 लाख
2008-2009	रूपये 150.00 लाख
2009-2010	रूपये 175.00 लाख
2010-2011	रूपये 150.00 लाख
2011-2012	रूपये 150.00 लाख

- (घ) स्लम कटरों, में सुधार के लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है।
- (ड़) कुछ कटरों में सुधार कार्य शुरू हो गये है एवं कुछ कटरों में सुधार कार्य प्रस्तावित हैं।

38. डॉ जगदीश मुखी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि डी0डी0ए0 द्वारा जनकपुरी में एक स्वीमिंग पूल बनाने की

योजना विचाराधीन है;

- (ख) यदि हाँ, तो डी0डी0ए0 ने इसके लिए कौन से स्थान का चयन किया है; और
- (ग) जनकपुरी में स्वीमिंग पुल बनाने की योजना पर डी0डी0ए0 की स्वीकृति कब तक अपेक्षित है?

शहरी विकास मंत्री

(क) जी नहीं।

(ख व ग) उपरोक्तानुसार

39. डॉ जगदीश मुखी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नई द्वारका रोड तक डीडीए द्वारा प्रस्तावित फुट ओवर ब्रिज पर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा; और
- (ख) अब तक डी.डी.ए. ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए है?

शहरी विकास मंत्री

(क व ख) नई द्वारका रोड पर फुट ओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव को दिनांक 07.08.2012 को FOB/Sabway Committe के समक्ष रखा गया है फुट ओवर ब्रिज/सब वे कमेटी ने विचारोपरान्त निर्देश दिया है कि डी0डी0ए0 सम्बन्धित विभाग ट्रांस्को लिमिटेड से एन0ओ0सी0 प्राप्त करें क्योंकि प्रस्तावित एफ0ओ0वी0 के पास से 220 के0वी0एच0टी0 लाइन जा रही है। इस बारे में एन0ओ0सी0 के लिए डी0डी0ए0 ने दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को दिनांक 16.08.2012 को पत्र भेज दिया

गया है। ट्रांस्को से अनापित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

40. डॉ जगदीश मुखी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि विद्या मार्ग जनकपुरी में डीडीए द्वारा एक मिनी स्पोर्ट काम्पलैक्स (Sports ground) विकसित करने की योजना है,
- (ख) इस योजना की आज क्या स्थिति है; और
- (ग) यदि हाँ, तो इस कार्य को कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्री

- (क) इस हरित क्षेत्र में खेल मैदान को विकसित करने की योजना है।
- (ख) इस योजना का भू-दृश्य प्रारूप बन गया है, जो अगली होने वाली स्क्रीनिंग सिमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ग) कार्य प्रारम्भ होने की तिथि स्क्रीनिंग सिमिति द्वारा दिये गये निर्णय / आदेश पर निर्भर है।

41. श्री जय किशन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि अनिधकृत कालोनियों में विकास कार्य के लिए शहरी विभाग द्वारा 200 करोड़ रूपये आबंटित किये हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो राशि किस विभाग को दी गई है;
- (ग) एक अनिधकृत कालोनी में कितने रूपये तक राशि खर्च की जा सकती है; और

- (घ) किस-किस ऐजेन्सी से ये कार्य करवाये जा सकते है;
- (ङ) क्या इन ऐजेन्सियों को इन कालोनियों के नक्शे उपलब्ध करवा दिये गये हैं? शहरी विकास मंत्री
- (क) अनाधिकृत कालोनियों के विकास के लिए माह जुलाई तक रूपये 107.82 करोड; आवंटित किये गए हैं।
- (ख) विभाग के अनुसार आंवटित राशि का विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ग) धनराशि की कोई सीमा इस विषय में निर्धारित नहीं की गई है।
- (घ) विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ड्) हाँ, यह सत्य है।

42. श्री जय किशन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि शहरी विकास विभाग मल्टी आर.डब्ल्यू.ए. वाली कालोनियों को रैगुलर कर रहा है;
- (ख) यदि हाँ, तो दिल्ली मे ऐसी कितनी कालोनियों को रैगुलर किया जाना है;
- (ग) इनमें सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र की कितनी कालोनियां है; और
- (घ) इन कालोनियों में विकास कार्य शुरू करने के लिए क्या योजना बनाई जा रही है? शहरी विकास मंत्री
- (क) मल्टी आर.डब्ल्यू.ए. वाली कालोनियों को रेगुलर करने का मामला विचाराधीन है तथा कार्य जारी है।

- (ख) शहरी विकास मंत्रालय में 162 कालोनियां मल्टी आर.डब्ल्यू.ए. के अर्न्तगत पंजीकृत है, जिनको रेगुलर करने का ममाला विचारधीन है, जिनमें से 103 कालोनियों के मामलों को सुलझा दिया गया है (सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है)।
- (ग) इनमें सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र की एक कालोनी है, जिसका विवरण संलग्न है (पुस्तकालय में उपलब्ध है) तथा मल्टी आर0डब्ल्यू0ए0 का मामला सुलझा दिया गया है।
- (घ) विकास कार्य शुरू करने का मामला विचाराधीन है।

43. श्री श्याम लाल गर्ग : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 01/04/2008 से 31/03/2012/ तक शक्रूरबस्ती विधानसभा ए.सी. 15 के वार्ड नम्बर -57 58, 59, 60 में प्रत्येक वर्ष में किस-किस विभाग से रोड़ कटिंग के लिए कितना-कितना पैसा आया, इसका तिथिवार विवरण क्या है;
- (ख) यह पैसा किस-किस काम पर किस-किस तारीख को एवं कितना-कितना खर्च हुआ, और
- (ग) किस-किस काम के लिए और कितना-कितना आया हुआ पैसा अभी तक निगम में बाकी पड़ा है?

शहरी विकास मंत्री

(क) विभिन्न विभागों से रोड कटिंग के तहत प्राप्त राशि की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

- (ख) उपोक्तानुसार
- (ग) कार्य का ब्यौरा यह है:-

"Restoration of R/R cut made by IGL in A-1, A-3, A-4, A-5 blocks and Multan Nagar in C-58 [--] by pdg. RMC frominPaschim Vihar North."

Amount - Rs. 12,42,300/-

तथा यह कार्य शुरू करने जा रहे है।

- 44. श्री श्याम लाल गर्ग : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या दिल्ली सरकार ने पश्चिम विहार में ओल्ड एज होम बनाने के लिए डी0डी0ए0 से जमीन आवंटन के लिए आवेदन किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो डीडीए में इस आवदेन पर क्या कार्यवाही हुई है;
- (ग) डी0डी0ए0 से यह जमीन कब तक मिल जाएगी; और
- (घ) विभाग इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रहा है?

शहरी विकास मंत्री

(क व ख) जी हाँ, आवेदन पर योजना व भूमि प्रबंधन विभागों से मंतव्य ले लिए गए हैं।
(ग व घ) सम्बन्धित प्रक्रिया पूरी करने के बाद आंवटन की स्वीकृति के लिए आवेदन शीघ्र
ही सक्षम आधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जायेगा व निर्णय से दिल्ली सरकार

को सूचित कर दिया जायेगा।

45. श्री एस.सी.एल. गुप्ताः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) डी0डी0ए0 द्वारा संगम विहार विधानसभा क्षेत्र गली न.13, तुगलकाबाद विस्तार में कमाण्ड अंडर टैंक बनाने की योजना को कब तक अमली जामा पहनाया जाएगा;
- (ख) इस योजना में फायर सेफ्टी, लिफ्ट की एन0ओ0सी0 के बारे डीडीए ने क्या कदम उठाए है; और
- (ग) क्या इसके अतिरिक्त किसी और विभाग द्वारा किसी अनुमित की जरूरत है, इस निमित सरकार इसमें क्या समय सीमा तय कर रही है?

शहरी विकास मंत्री

- (क) गली नं0 13, तुगलकाबाद विस्तार, संगम विहार विधानसभा क्षेत्र डी-नोटिफाईड एरिया है, इसमे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जो भी कार्य किया जाना है वह दिल्ली नगर निगम एवं दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
- (ख) उपरोक्त 'क' के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं।
- (ग) --यथा---
- 46. श्री एस. सी. एल. गुप्ताः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में 26 कालोनी फारेस्ट और ए0एस0आई की भूमि

में बसी हुई है, जिन्हे पिछले दिनों प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया है, इनमें मूलभूत सुविधाएं देने का कार्य क्यों रोका गया है;

- (ख) क्या सरकार के पास खसरा नम्बर्स उपलब्ध है, उन कालोनियों का विवरण दे:
- (ग) क्या यह सत्य है कि समय-समय पर सरकार ने नियमों मे बदलाव कर ए0एस0आई0 के प्रति कालोनी को मार्केट रेट कुछ धनराशि तय कर नियमित करने का आश्वासन दिया था. और
- (घ) यदि हाँ, तो सरकार इन्हें नियमित करने के लिए क्या धनराशि तय कर रही है? शहरी विकास मंत्री
- (क) संबंधित विनियम के अनुसार मूलभूत सुविधाएं देने का कार्य जब तक नहीं किया जा सकता, तब तक कि वन विभाग/ ए0एस0आई0 पुरातत्व विभाग से इस बारे में एन0ओ0सी0/इजाजत प्राप्त नहीं हो जाती।
- (ख) प्रश्न स्पष्ट न होने के कारण उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।
- (ग) जी नहीं।
- (घ) उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।
- 47. श्री प्रद्युम्न राजपूतः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले डी.डी.ए. के पॉकेट 6 से पॉकेट 10 तक के क्षेत्र का नामकरण द्वारका सैक्टर 1-ए करने हेतु दिल्ली विकास प्रधिकरण ने एन.ओ.सी. प्रदान कर दी है,

- (ख) क्या यह विषय राज्य की नामकरण सिमिति की दिनांक 17.07.2012 को हुई मीटिंग मे गलत एवं तथ्यहीन आधार पर एक प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया है,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि नामकरण सिमिति की मीटिंग में इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करने का आधार यह बताया गया है कि द्वारका में सैक्टर 1 पहले से है, इसिलए इससे कन्फ्यूजन पैदा होगा,
- (घ) क्या दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में ऐसी गिलयां और प्लाट नहीं है, जिनको नम्बर विशेष के साथ ए लगाकर चिन्हित किया गया है, यदि हाँ, तो फिर इस प्रस्ताव को क्यों निरस्त किया गया है, और
- (ड़) क्या यह भी सत्य है कि द्वारका सैक्टर 1 ए का प्रस्ताव द्वारका के उस हिस्से का है जो द्वारका विधानसभा के अन्तर्गत है और मेन द्वारका का उसमें कोई हिस्सा नहीं है, इससे कन्फयूजन होने का क्या आधार है?

शहरी विकास मंत्री

- (क) फैडरेशन को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाईटीस, नसीरपुर, द्वारका के प्रतिवदेन पर दिल्ली विकास प्रधिकरण ने नसीपुर गांव के पॉकेट 6-9 को सैक्टर 1 ए द्वारका के नाम से पुन: नामकरण हेतु कोई आपत्ति नहीं की है।
- (ख से ङ) दिल्ली राज्य नामकरण प्राधिकरण ने दिनांक 17.07.2012 की बैठक में इस विषय के तथ्यों पर विचार-विमर्श करके निम्निलिखित निर्णय लिया गया है। ''सैक्टर 1 द्वारका पहले से ही विद्यमान है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के नसीरपुर पॉकेट 6-9 को सैक्टर 1 ए द्वारका किए जाने पर कन्फयूजन होगा अत: इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया।"

48. श्री प्रद्युम्न राजपूत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विशष्ठ पार्क कालोनी में खसरा नं0 22/6/2/1(1-10) डाबड़ी गांव में लगभग 1210 गज का खाली भूखण्ड है,
- (ख) क्या यह सत्य है कि इस भूखण्ड को 23 मार्च 1968 को डी.डी.ए. को दे दिया गया था;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि इस भूखण्ड का स्वामित्व सी.पी.डब्ल्यू.डी0 को दिया गया था,
- (घ) क्या यह सत्य है कि पिछले 42 वर्षों से इस भूखण्ड पर किसी भी विभाग द्वारा कोई प्लान अथवा इस भूखण्ड को लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं कि गई है,
- (इ) क्या वर्तमान में इस भूखण्ड पर कोई अवैध अतिक्रमण है,
- (च) यदि इतने वर्षो तक सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा इस भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है तो क्या इस भूमि को दिल्ली सरकार वापस अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है, और
- (छ) क्या इस भूमि पर क्षेत्रीय निवासियों की मांग पर कोई जन-उपयोगी कार्य जैसे समुदाय भवन/डिस्पेंसरी/पोस्ट आफिस इत्यादि बनाए जा सकते है?

शहरी विकास मंत्री

(क से छ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

49. श्री सुनील वैद्य: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि आपके विभाग में चिल्ला गांव मे चौपाल के पुर्निनर्माण के लिए एक एस्टीमेंट पचास लाख रूपये का दिया है;
- (ख) यदि हाँ, तो इस चौपाल के निर्माण के लिए राशि बाढ़ एवं सिंचाई विभाग को कब तक आंबटित कर दी जाएगी; और
- (ग) आपके विभाग द्वारा शहरीकृत गांवो के और किस-किस विकास कार्य के लिए वित्तीय सहायता या राशि प्रदान की जाती है, कृप्या बताएं?

शहरी विकास मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) चिल्ला शहरीकृत गांव नहीं है। अत: चौपाल के पुनर्निर्माण के लिए राशि इस विभाग द्वारा आवंटित नहीं की जा सकती।
- (ग) शहरीकृत गांवो में सड़कों, नालियों एवं स्ट्रीट लाइटों के निर्माण/सुधार हेतु योजना राशि आवंटित की जाती है।

50. श्री सुनील वैद्य: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि आपका विभाग विधायक की अनुशंसा पर विधायक निधि का आंबटन करता है;
- (ख) यदि हाँ, तो वर्तमान विधानसभा कार्यकाल में अभी तक मेरी विधायक निधि से होने वाले कार्यो का विवरण देने की कृपा करें; और

(ग) मेरी विधायक निधि द्वारा कौन-कौन से कार्य सन् 2008 दिसम्बर से अभी तक करवायें गये, कृप्या उसका विवरण विभाग व कार्य अनुसार दें?

शहरी विकास मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार द्वारा विधायक निधि से वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल में प्राप्त राशि का विवरण निम्न है:-

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	वर्ष	AC 55 हेतु जारी विधायक निधि
1.	2008-09(दिसम्बर 2008 से)	NIL
2.	2009-10	225.57
3.	2010-11	226.50
4.	2011-12	156.71
5.	2012-13	11.95

(ग) कार्यों का विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।

51. श्री मनोज कुमारः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि मुण्डका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 12 अनिधकृत कालोनियों पर मल्टीपल आर.डब्ल्यू.ए. से सम्बन्धित विवाद थे;
- (ख) यदि हाँ, तो क्या इन मल्टीपल आर.डब्ल्यू.ए. से सम्बन्धित विवाद को पूरी तरह

सुलझा लिया गया है, इन कालोनियों की सूची उपलब्ध कराने की कृपा करें, और

(ग) क्या उपरोक्त कालोनियों मे जल्दी ही विकास कार्य करवाये जा सकेंगे?

शहरी विकास मंत्री

- (क) मुण्डका विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कालोनियों पर मल्टीपल आर. डब्ल्यू.ए. से सम्बन्धित सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है, जिनमें केवल 10 मामले/विवाद थे।
- (ख) मल्टीपल आर.डब्ल्यू.ए. से सम्बन्धित विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया जारी है और08 विवाद सुलझा लिये गये हैं।
- (ग) इनमें से तीन कालोनियों में ही विकास कार्य करवाए जा सकते है क्योंकि वे अन्य मापदण्डों को पूरा करती है।

52. श्री मनोज कुमार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार की कुछ अनिधकृत कालोनियों को नियमित करने की योजना है.
- (ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी अनिधकृत कालोनियों को नियमित करने की योजना है, इनकी सूची उपलब्ध कराने की कृपा करें और
- (ग) मुण्डका विधानसभा क्षेत्र की कुल कितनी अनिधकृत कालोनियों को नियमित करने वाली सूची में रखा गया है?

शहरी विकास मंत्री

- (क) शहरी विकास विभाग में पंजीकृत 1639 अनिधकृत कालोनियां हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा निधारित मापदण्डों के अनुसार नियमित किया जाएगा।
- (ख) नियमित करने की प्रक्रिया जारी है।
- (ग) मुण्डका विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 78 अनिधकृत कालोनियां विचाराधीन है, जिनमें से 30 कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है (सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है)।

53. श्री कुलवंत राणाः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि शहरी विकास विभाग द्वारा द्वारका ककरौला से वजीराबाद तक नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए कोई अध्ययन किया जा रहा है?
- (ख) यदि हाँ, तो यह अध्ययन किसी कंपनी द्वारा कराया जा रहा है इसको कब तक
 पूरा कर दिया जाएगा? इसके निर्माण में कितनी लागत आएगी और इसके निर्माण
 में कितना समय लगेगा?
- (ग) क्या रोहतक रोड से आउटर रिंग रोड बादली तक सप्लीमेंटरी ड्रेन पर भी इस प्रकार रोड बनाने के लिए भी सरकार विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हाँ, तो इसकी योजना क्या है, पूर्ण जानकारी मुहैया करवाई जाए, यदि नहीं तो अगर नजफगढ़ ड्रेन पर एलिवेटिड रोड बनाई जा सकती है तो इस पर क्यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) मीरा बाग से वजीराबाद तक नजफगढ़ नाले के ऊपर ऐलिवेटेड रोड के बनाने की फिजिबिलिटी स्टडी करवाई गई थी जो कि जून, 2010 में यूटीपेक द्वारा ड्रोप कर दी गई थी अब फिर इस योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसे ककरोला मोड़ से वजीराबाद तक बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए परामर्श दाता द्वारा फेश फिजिबिलिटी स्टडी यूटीपेक से कंसल्ट करके शुरू की जाएगी। ककरोला मोड़ से मीरा बाग के भाग के लिए नए परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य के निर्माण में कितना समय लगेगा व कितनी लागत आएगी यह फिजिबिलिटी स्टडी में अनुमोदन के बाद ही बताना संभव होगा?
- (ग) लोक निर्माण विभाग के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
- (घ) क्रसं-'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।
- 54. श्री सत प्रकाश राणाः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) सरकार द्वारा दिल्ली में झुग्गी-बस्तियों में 800 रूपये प्रति व्यक्ति तक की राशि विकास कार्यो पर खर्च करने की सीमा कब तय की गई थी;
- (ख) सरकार द्वारा पिछले काफी वर्षों से इस राशि को क्यों नहीं बढ़ाया गया;
- (ग) क्या सरकार को नहीं लगता कि यह राशि वर्तमान में विकास कार्यों पर खर्च करने
 के लिए बहुत कम है और क्या ये फैसला झुग्गी-बस्तियों मे रहने वाले लोगों के

साथ अन्याय नहीं है। यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया।

(घ) इस संबंध में सरकार की आगे क्या योजना है और इस राशि को बढ़ाने का निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्री

(क) भारत सरकार द्वारा दिल्ली में झुग्गी-बस्तियों में 800 रूपये प्रति व्यक्ति तक की राशि विकास कार्यो पर खर्च करने की सीमा दिनांक 01.04.1995 से लागू की गई थी।

(ख से घ) राशि बढ़ाने हेतु कोई भी प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नही हुआ है लेकिन दिल्ली में झुग्गी झोपडी बस्तियों के पर्यावरण सुधार की राशि में पिछले पाँच वर्षों में निम्न राशि निर्गत (Release) की गई है;

(Rs. in lakhs)

400.00	2007-2008
500.00	2008-2009
560.00	2009-2010
546.58	2010-2011
4000.00	2011-2012

55. श्री संत प्रकाश राणाः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गांव महिपालपुर में 30 मीटर चौड़े बाई पास का जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसको बीच में क्यों रोक दिया गया, यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा,

- (ख) इस उपरोक्त बाई पास के साथ में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जो सामुदायिक
 भवन के निर्माण की योजना है, उस पर कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा;
- (ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गांव महिपालपुर, रंगपुरी व नांगल देवत के लिए कुछ विकास योजनाएं भी बनाई गई है; और
- (घ) यदि हाँ, तो इन योजनाओं का पूरा ब्यौरा क्या है और इन पर कब तक कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्री

- (क) जी हाँ, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गावं महिपालपुर में 30 मीटर चौड़े बाईपास का कार्य किया जा रहा है। इस सड़क के लगभग दो सौ मीटर टुकड़े का कार्य अनिधकृत कब्जे के कारण रुका हुआ है। जिसको हटाने के लिए आयुक्त भूमि प्रबंधन कार्यवाही कर रहे है, जैसे ही यह कार्यवाही पूरी होती है, रोड का काम पूरा कर लिया जाएगा।
- (ख) उपरोक्त बाईपास के साथ में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक सामुदायिक भवन के निर्माण की योजना है, जिसकी दिल्ली विकास प्राधिकरण के वित्त विभाग द्वारा मान लिया है, इसका विस्तृत एस्टिमेट बनाया जा रहा है। इस कार्य को शुरू करने में छ: महीने का समय लग सकता है।
- (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन क्षेत्रों मे कोई नयी विकास योजना नहीं बनाई है। क्योंिक यह कार्य इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी को डिपोजिट कार्य है, परन्तु इन क्षेत्रों में पानी की लाईनों को अन्डर ग्राउंड वाटर टैंक से जोड़ने एवं सीवर लाईनों की सफाई का कार्य किया जा रहा है, जोिक मार्च 2013 तक पूरा कर लिया जायेगा।

(घ) उपरोक्त 'ग' के सन्दर्भ में कोई टिप्पणी नहीं।

56. श्री सत प्रकाश राणाः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र की कालोनी संख्या 341,515,605,321, 1140, 1130,1131 व ई0एल0डी0 52 पर वन विभाग द्वारा मार्फोलोजिकल रिज की श्रेणी के तहत आपत्ति क्यों लगाई गई है।
- (ख) क्या यह आपित्त उपरोक्त कालोनियों के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, गलियां व नालियों के निर्माण आदि उपलब्ध कराने से भी रोकती है।
- (ग) दिल्ली में अभी तक 1639 अनिधकृत कालोनियों में से कोई भी कालोनी नियमित नहीं हुई है फिर भी बहुत सी कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, तो इस क्षेत्र की कालोनियों में ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही ।
- (घ) क्या इन उपरोक्त कालानियों के अन्दर वन विभाग या रिज की भूमि पर कब्जा किया गया है यदि हाँ, तो उसका खसरा नं. क्या है, और
- (ड़) सरकार वन विभाग या रिज की आपित को हटाने के लिए क्या कर रही है और इन आपित्तयों को कब तक हटा दिया जाएगा।

शहरी विकास मंत्री

- (क) वन विभाग द्वारा इन कालोनियों में वन भूमि सम्मिलित होने के कारण आपत्ति लगाई गई है।
- (ख) जी हाँ

- (ग) केवल उन्हीं कालोनियों में विकास कार्य कराये जा रहे हैं, जिनमें किसी संबंधित विभाग की आपत्ति नहीं है।
- (घवड़) वन विभाग और राजस्व विभाग का सर्वे का कार्य चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही पर निर्णय लिया जायेगा।

57. श्री सत प्रकाश राणा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) एम0सी0डी0 द्वारा जो पैन्शन/वजीफा दिये जाने की योजना है, वह किस हैड से कितने लोगो को दी जा रही है, और एम0सी0डी0 द्वारा किस हैड में प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जा रही है;
- (ख) इस योजना को नियमित करने के लिए निगम अनुसार कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं;
- (ग) पैन्शन के लिए जो फार्म भरे जाते हैं, उनका आधार क्या है और उनकी जांच कैसे होती है, क्या कोई व्यक्ति निगम पार्षद की मर्जी के बिना भी यह पैन्शन प्राप्त कर सकता है, यदि हाँ, तो कैसे;
- (घ) क्या इस पैन्शन के चैकों का वितरण निगम पार्षद द्वारा किया जाता है, यदि हाँ, तो पूरी पैन्शन वितरण की व्यवस्था किस प्रकार बनाई गई है और क्या दिल्ली सरकार द्वारा भी यह वितरण व्यवस्था अपनाई जा सकती है।

शहरी विकास मंत्री

(क) वर्तमान मे तीनों नगर निगमो मे प्रति वार्ड 700 पेंशनरों, 1000/- प्रतिमाह की दर से प्रति पेंशनर को देने की योजना है। यह पेंशन लेखाशीर्ष 12-1029 के अन्तर्गत दी जाती है। जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

नगर निगम	बजट हैड	पेंशन खर्चा	लोगों ⁄पेंशनरों की संख्या
दक्षिणी	12/1029	77,47,73,400/-	75,753
उत्तरी	12/1029	89,95,31,000/-	1,00,370
पूर्वी	12/1029	35,08,58,000/-	58477
	कु ल	2 ,02 ,54 ,62 ,400/-	2 ,34 ,4600

- (ख) इस योजना को नियमित करने के लिए निगम के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष रूप से अलग से कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालयों में सामान्य शाखा से लाईसेंसिंग निरीक्षकों व डीईएमएस विभाग के सफाई निरीक्षकों द्वारा किया जाता है।
- (ग) पेंशन के लिए फार्म भरने का आधार निम्न प्रकार है: (1) आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। (2)विधवा/विक्लांग को भी पेंशन दी जाती है। (3) वार्षिक आय 24000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - पूर्ण रूप से भरे फार्म जिनको निगम पार्षद द्वारा सत्यापित करके निगम कार्यालय में भेजा जाता है, उनकी जांच निगम कर्मचारी (आर0सी) द्वारा की जाती है। कोई भी पेंशन निगम पार्षद के अनुमोदन के बिना स्वीकृत नहीं की जाती।
- (घ) जी नहीं, पेंशन वितरण का कार्य निगम के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

58. श्री माला राम गंगवाल: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पंजाबी बाग क्लब के सामने एक डीटीसी का सीएनजी फिलिंग स्टेशन बनाया गया है।

- (ख) क्या यह भी सत्य है कि यह रिंग रोड से पंजाबी बाग में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। डीटीसी की बसों की वजह से निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और
- (ग) क्या इस सीएनजी की फिलिंग स्टेशन को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

परिवहन मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी नहीं।
- (ग) जी नहीं। परिचालन की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं है 59. श्री मालाराम गंगवाल: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) परिवहन विभाग के पास इस समय कितनी ग्रीन लाईन, रेड लाईन, औरेंज लाईन बसें हैं:
- (ख) दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए क्या यह संख्या पर्याप्त है,
- (ग) क्या सरकार डीटीसी के बेड़े में और बसें भी शामिल करना चाहती है, और
- (घ) यदि हाँ, तो बसों की कमी कब तक पूरी कर दी जाएगी?

परिवहन मंत्री

(क) दिनांक 28.08.2012 को दिल्ली परिवहन निगम एवं क्लस्टर्स स्कीम की बसों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

कुल	5889
क्लस्टर स्कीम की बसें (औरेंज)	300
दिल्ली परिवहन निगम की लो-फ्लोर वातानुकूलित बसें (लाल बसें)	1275
दिल्ली परिवहन निगम की लो-फ्लोर सामान्य बसें (हरी बसें)	2506
दिल्ली परिवहन निगम की स्टैंडर्ड फ्लोर सामान्य बसें	1808

બુલ ૩૦૦૦

(ख) माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दिल्ली में 11000 बसों की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम व कलस्टर की बसों के लिए 50:50 का अनुपात रखा है।

(ग व घ) जी हाँ। बसों की कमी पूरा करने के प्रयत्न जारी है।

60. श्री मालाराम गंगवाल: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने फैंसी नंबर बेचने की योजना बनाई है, यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं?
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि वी आई पी नंबर बेचने पर इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और असामाजिक तत्व भी इसका फायदा उठा सकते है, और
- (ग) क्या सरकार वी आई पी नंबर बेचने की नीति पर पुन: विचार करेगी।परिवहन मंत्री
- (क) जी हाँ, कारों के फैंसी नंबर नीलामी द्वारा आंबटन की योजना है। इसका मुख्य कारण यह है कि सी.ए.जी. (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) ने कई बार

संज्ञान में लाया गया है कि दिल्ली सरकार को भी अन्य राज्यों की तरह फैंसी नंबरों की नीलामी करनी चाहिए। जिससे कि अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके।

- (ख) जी नहीं।
- (ग) अभी इस योजना पर पुर्नविचार संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है।
 - 61. श्री मालाराम गंगवाल: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) मादीपुर विधान सभा में कॉमनवैल्थ खेलों 2010 के पहले डीटीसी के पुराने बस शेड हटा दिये गये थे, यदि हाँ, तो कब तक लगा दिये जाएंगे,
- (ख) क्या यह सत्य है कि पश्चिम विहार चौक से रिंग रोड तक कई बस शेड लगे थे वह फिर से क्यों नहीं लगाये जा रहे है.
- (ग) क्या यह सत्य है कि बस शेड न होने के कारण लोगों को, मिहलाओं को, व खासतौर से बुजुर्गों को परेशानी होती है,
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि डीटीसी के ड्राईवर बस शेड न होने के कारण बसें नहीं रोकते हैं. और
- (ड़) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस संबंध मे कार्यवाही करेगी?

परिवहन मंत्री

- (क) मादीपुर जे जे कालोनी, व मादीपुर गांव के नाम से दो-दो आधुनिक बस क्यू शैल्टर्स बनाए गए हैं इनमें से पुराने तीन बस क्यू शैल्टर्स को हटाया गया है।
- (ख) दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों
 में 1600 नए आधुनिक बस क्यू शैल्टर्स चरणबद्ध रूप से बनाने का आदेश दिल्ली

ट्रांसपोर्ट इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (डी.टी.आई.डी.सी.एल.) को दिया है। इनमें से 100 नए बस क्यू शैल्टर्स पी.पी.पी. (सार्वजिनक निजी भागीदारी) आधार पर बनाने का कार्य प्रगति पर है। अन्य 100 नए बस क्यू शैल्टर्स पी.पी.पी. के आधार पर बनाने की निविदा डी.टी.आई.डी.सी.एल. द्वारा आमांत्रित कर ली गयी है और शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

- (ग) जी हाँ। शैल्टर्स निर्माण के प्रयास किये जा रहे हैं।
- (घव ङ) जी नहीं। ऐसे स्थान जहां पर बस क्यू शैल्टर्स नहीं हैं, रूट प्लेट लगायी जाती हैं जिन पर उस सड़क से गुजरने वाले रूटों का विवरण अंकित होता है। चालकों को निर्देश है कि वे बसों को प्रत्येक निर्धारित बस स्टाप पर अवश्य रोकें। बस न रोकने की स्थिति में दिल्ली परिवहन निगम उचित कारवाई करते हैं।

62. श्री अनिल झाः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में पिरवहन विभाग द्वारा कुल कितने बस शेल्टर लगाए गए है, सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों मे कितने शैल्टर लगाने की योजना थी, कितने लगा दिए गए हैं, जो नहीं बनाए गए हैं उनको कब तक लगा दिया जाएगा,
- (ख) परिवहन विभाग द्वारा बस शेल्टर बनाने का कार्य किस एजेन्सी को दिया है उस एजेन्सी के अधिकारी का नाम फोन न0 पता आदि क्या है,
- (ग) क्या किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बस पास काउंटर खोलने की सरकार की कोई योजना है, यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और
- (घ) दिल्ली में कुल कितने बस पास काउंटर खुले हैं तथा पास काउंटर खोलने के मानदंड क्या है?

परिवहन मंत्री

- (क) पिछले चार वर्षों में सरकार की 1500 आधुनिक बस क्यू शैल्टर्स बनाने की योजना थी जिनमें से 1498 का निर्माण कराया गया। जहां आधुनिक बस क्यू शैल्टर्स नहीं बने हैं वहां शीघ्र बना दिए जाएंगे।
- (ख) दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 1600 नए आधुनिक बस क्यू शैल्टर्स चरणबद्ध रूप से बनाने का आदेश दिल्ली ट्रांसपोर्ट इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (डी.टी.आई.डी.सी.एल.), महाराणा प्रताप अंतर्राज्जीय बस अड्डा, द्वितीय तल, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006. दूरभाष संख्या 011-23861507 को दिया है। इनमें से 100 नए बस क्यू शैल्टर्स पी.पी.पी. (सार्वजनिक निजी भागीदारी) आधार पर बनाने का कार्य प्रगति पर है। अन्य 100 नए बस क्यू शैल्टर्स पी.पी.पी. के आधार पर बनाने की निविदा डी.टी. आई.डी.सी.एल. द्वारा आमांत्रित कर ली गयी है और शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
- (ग) जी नहीं। इस क्षेत्र में मंगोलपुरी तथा पीरागढ़ी में पास अनुभाग चल रहे हैं। यात्री पास सम्बंधी आवश्यकताओं के लिए इन पास अनुभागों की सेवा का लाभ ले सकते हैं।
- (घ) दिल्ली में वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर 34 पास काउंटर खुले हैं। डीटीसी द्वारा पास अनुभाग डीटीसी डिपों या बड़े टर्मिनल पर खोले जाते हैं।

63. श्री अनिल झाः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली परिवहन निगम मे पिछले तीन वर्षों में कितनी बसें खरीदी गई, किस एजेन्सी से खरीदी गई, इन पर कुल कितनी लागत आई है तथा इन बसों के रख-रखाव की जिम्मेदारी किस एजेंसी को दी गयी है,

- (ख) क्या यह सत्य है कि नई डीटीसी एवं पुरानी डीटीसी बसों के मूल्यों में काफी अंतर है, पुरानी एवं नई बसों में यात्रियों के लिए क्या सुविधा है,
- (ग) क्या इस बसों को खरीदने के लिए कोई ओपन टेंडर किए गए थे, यदि हाँ, तो उसके मानदंड क्या थे, टेन्डर की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाए,
- (घ) पिछले 10 वर्षो में डीटीसी की बसों से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ, पुरानी डीटीसी बसों एवं नई लो फ्लोर बसो पर मेन्टेनेस (रख-रखाव) पर प्रतिमाह कुल कितनी लागत आती है,
- (ड़) दिल्ली में कितने रूटों पर डीटीसी की बसें चलती है, कितनी बसें दिल्ली से बाहर चलाई जा रही है, इन बसों पर सीएनसी की कुल कितनी खपत होती है; और
- (च) डीटीसी बसों के लिए सीएनजी कहाँ से प्राप्त की जाती है, उसका भुगतान किस प्रकार से किया जाता है, तथा पिछले तीन वर्षों में सीएनजी बसों पर कुल कितना खर्च हुआ, पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए?

परिवहन मंत्री

(क) दिल्ली परिवहन निगम ने सितम्बर 2008 में 3125 लो-फ्लोर बसों के आर्डर (सी.डी. पुस्तकालय में उपलब्ध है) दो कंपनियों को निम्न कीमत पर जारी किये:

क्रसं0	विवरण	टाटा मोटर्स	अशोक लेलैंड
क.	बस संख्या		
1.	नॉन एसी बसें	1219	656
2.	एसी बसें	813	437

ख. प्रति बस कीमत (रूपये)

3. नॉन एसी बसें

51,88,544

4. एसी बसें

61,62,977

इन 3125 लो-फ्लोर सीएनजी बसों की कुल कीमत लगभग 1709 करोड़ रूपये है। इन लो-फ्लोर बसों को उक्त बस निर्माता कंपनियों से 7,50,000 किलोमीटर या 12 साल आपरेश्न (जो भी बाद में) पूरा होने तक रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ खरीदा गया है।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2002-03 में 970 स्टैंडर्स फ्लोर बसें (पुरानी हो चुकी बसें) खरीदी गई थी जिनका मूल्य निम्न है:-

क्र.स.	बस निर्माता	चेसिस मूल्य (रू)	बॉडी सम्बधित मूल्य	कुल मूल्य
1.	मैसर्स लीलैंड	1162926/-	319552/-	1482478/-
2.	मैसर्स टाटा	1162926/-	310938/-	1473064

नई लो-फ्लोर सीएनजी बस व पुरानी स्टैंडर्ड फ्लोर अलग-अलग टेक्नोलॉजी व सुविधाओं से युक्त होने के कारण दोनो की कीमतों मे काफी अन्तर है। लो-फ्लोर सीएनजी बस शहरी परिवहन के लिए डिजाइन की गई है इन बसों में यात्री स्टेपलेस व चौड़े दरवाजों से आराम से अन्दर-बाहर हो सकते हैं। यह बसें सभी यात्रियों के लिए व्हील चेयर डिसेबल्ड, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों सिहत सभी के लिए सुविधाजनक है व यह बसें डिसेबिलेटी एक्ट, 1995 के नियमों का अनुपालन करती है। इसके अतिरिक्त इन बसों मे एयर सस्पेशन आटोमोटिक ट्रांसामिशन, एलइडी बोडर्स, न्यूमेटिकली आपरेटिड दरवाजों, सुविधाजनक बेहतर क्वालिटी की

सीटों व उच्च क्षमता वाले भारत स्टेज तीन व चार पर्यावरण के अनुकूल रियर इंजन इत्यादि से युक्त है। लो -फ्लोर बसों का डिजाइन इंटीग्रल मोनोकोक स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड फ्लोर बस के ट्रक चेसिस पर बोडी माउन्टिंग से बेहतर है।

- (ग) उपरोक्त बसों को खरीदने के लिए ग्लोबल ओपन टैंडर किये गये थे व टैंडर मापदंड इन बसों के खरीदने के लिए संपूर्ण थे। टैंडर की प्रतिलिपि माानीय सदस्य को अलग से उपलब्ध कराई जा रही है।
- (घ) पिछले 10 वर्षों में डीटीसी की बसों द्वारा राजस्व विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	यातायात आय (रू. करोड़ों में)	_
2002-03	282.52	
2003-04	329.78	
2004-05	369.99	
2005-06	407.48	
2006-07	357.89	
2007-08	351.78	
2008-09	365.68	
2009-10	468.89	
2010-11	863.60	
2011-12	1191.44	

डीटीसी की पुरानी बसों और नई लो-फ्लोर बसों की मेनटेनैंस पर प्रतिमाह लगभग रू. 58.41 करोड़ खर्च होता है (लो-फ्लोर बसों की ए.एम.सी. सिम्मिलित है)।

(ड़) दिल्ली में कुल 548 रूटों पर बसें चलती हैं एवं दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 235 बसें चलाई जा रही हैं।

इन बसों पर सीएनजी की खपत का पिछले 3 वर्षों का विवरण निम्नप्रकार है:-

वर्ष	सीएनजी खपत (कि.ग्रा. में)
2009-2010	750.16 लाख
2010-2011	1121.05 লাख
2011-2012	1431.05 লাख

(च) दिल्ली परिवहन निगम मै. आई.जी.एल. द्वारा सीएनजी प्राप्त करता है। मै. आइ.जी. एल. द्वारा दि.प.नि के बहुत से डिपों में सीएनजी पम्प लगाकर सप्लाई की जाती है। जिसका भुगतान 14 दिन +7 दिन रियायत कुल 21 दिनों में वित्त विभाग, मुख्यालय द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों का सीएनजी पर खर्च का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम स.	अवधि	सीएनजी पर खर्च (रू. करोड़ो में)
1.	2009-2010	146.36
2.	2010-2011	301.65
3.	2011-2012	455.84

64. श्री अनिल झा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली में कुल कितने रिजस्टर्ड ऑटो चल रहे हैं, उनका रिजस्ट्रेशन नंबर तथा उनके मालिकों के नाम क्या है,
- (ख) क्या यह सत्य है कि एक ही व्यक्ति के पास कई-कई ऑटो के परिमट हैं,

- (ग) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि एक चालक के पास एक ही परिमट हो,
- (घ) नई परिवहन नीति के अनुसार क्या नए ऑटो चालकों को परिमट देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो उसके क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं,
- (ड़) क्या यह भी सत्य है कि परिवहन विभाग ने तिपिहया और टैक्सी चालकों के लिए सुनिश्चित स्टैंड बनाने की योजना बनाई है, यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाए और यदि नहीं तो क्यों नहीं, और
- (च) क्या यह सत्य है कि ग्रामीण सेवा एवं ऑटो चालकों को परिमट जारी करने में अनियमितताएं सामने आई हैं, यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

परिवहन मंत्री

- (क) दिल्ली में कुल पंजीकृत ऑटों की संख्या 54,954 है। इन ऑटों क पंजीकरण संख्या व उनके मालिको के नाम संलग्न सीडी में है। (सी.डी. पुस्तकालय में उपलब्ध है।)
- (ख) जी हाँ।

(ग व घ) जी हाँ। नई नीति की प्रतिलिपि पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ड़) परिवहन विभाग द्वारा तिपहिया व टैक्सी चालको के लिए सुनिश्चित स्टैंड बनाने की कोई योजना नहीं बनाई गयी है। इस विषय पर विभाग विचार करेगा।

(च) जी नहीं।

65. श्री मनोज कुमार : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत कुल कितनी लो-फ्लोर सामान्य, वातानुकूलित व कलस्टर सेवा की बसें वर्तमान में चल रही हैं,
- (ख) क्या सरकार की मुण्डका विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कंझावला डिपो में लो-फ्लोर बसें चलाने की कोई योजना है,
- (ग) यदि हाँ, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

परिवहन मंत्री

(क) दिनांक 20-08-2012 को दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 5589 बसें हैं जिनका विवरण निम्नप्रकार है:-

कुल	5889	
क्लस्टर सेवा की बसें	300	
लो-फ्लोर वातानुकूलित बसें (लाल बसें)	1275	
लो-फ्लोर सामान्य बसें (हरी बसें)	2506	
स्टैंण्डर्ड फ्लोर सामान्य बसें	1808	

(ख व ग) वर्तमान मे ऐसी कोई योजना नहीं है।

- (घ) वर्तमान बेड़ें की सभी लो-फ्लोर बसें विभिन्न डिपो में अवांटित कर दी गई हैं 66. श्री मनोज कुमार : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली में अब तक कुल कितने नए बस शेल्टर बनवाए गए हैं, उक्त शेल्टर किस एजेंन्सी द्वारा लगवाए गए हैं,
- (ख) परिवहन विभाग द्वारा शहरीकृत गांवो, ग्रमीण क्षेत्र में बस शेल्टरों पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी है. और
- (ग) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने बस शेल्टर बनाए गए हैं?

परिवहन मंत्री

- (क) परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली में अब तक कुल 1498 आधुनिक बस क्यू शेल्टर्स का निर्माण करवाया गया है। ये बस क्यू शैल्टर्स डिम्ट्स एवं दिल्ली परिवहन निगम द्वारा लगवाए गए हैं।
- (ख) बस क्यू सेल्टर्स का निर्माण पी.पी.पी. (सार्वजिनक निजी भागीदारी) के आधार पर और सरकारी बजट दोनों से कराया गया है इसिलए पिरवहन विभाग द्वारा शहरीकृत गांवो, ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए बस क्यू शेल्टरों पर किए गए खर्च के आकड़े अलग से सूचीबद्ध नहीं किए जाते हैं।
- (ग) मुंडका विधान सभा क्षेत्र मे कोई भी अधुनिक बस क्यू शेल्टर नहीं बनाया गया है।

67. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दिल्ली के सभी गांवो मे डीटीसी की बस सुविधा मुहैया करायी जा चुकी है,
- (ख) क्या सरकार सभी देहातों में डीटीसी की बसों को रूट निश्चित करने वाली है,
- (ग) यदि हाँ, तो कब तक दिल्ली के सभी गांवो को उससे जोड़ा जाएगा,
- (घ) क्या इन गांवो मे बस शेल्टर बनाए गए है, बाकी बचे गांवो मे शेल्टर बनाने की भिवष्य में सरकार की क्या योजना है और कब तक इसका निर्माण करवाया जाएगा?

परिवहन मंत्री

- (क) डीटीसी द्वारा लगभग गांवों को बस सेवा से जोड़ा हुआ है।
- (ख) जी नहीं। अभी नया रूट निश्चित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- (ग) उपरोक्त 'ख' के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।
- (घ) जिन गांवों के निर्धारित बस स्टैंड पर बस क्यू शैल्टर नहीं है, वहाँ बनाने की योजना पर कार्य चल रहा है।

68. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) करोल बाग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आर्य समाज रोड से सर गंगा राम अस्पताल के लिए क्या सरकार ग्रामीण सेवा योजना का रूट बना रही है और,
- (ख) क्या आर्य समाज रोड से झंडेवालान मंदिर में ग्रामीण सेवा योजना प्रारंभ करने की कोई योजना है।

- (क) जी नहीं।
- (ख) जी नहीं।

69. डॉ. जगदीश मुखी: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) द्वारका मोड़ से नजफगढ़ तक स्वीकृति मेट्रो लाईन पर कितना खर्च आएगा,
- (ख) स्टेशन कौन-कौन- से और कहाँ पर होगें, और
- (ग) इस लाईन का कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा।

परिवहन मंत्री

- (क) विस्तृत प्रोजक्ट रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत 1070 करोड़ रूपया खर्च होगा।
- (ख) डी.पी.आर. के मुताबिक द्वारका मोड़ से नजफगढ़ लाईन पर 4 स्टेशन बनेंगे जिनके नाम है- द्वारका, नजफगढ़ डिपो, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एवं नजफगढ़।
- (ग) वर्ष 2013 के प्रारंभ में कार्य चालू करने की योजना है।

70. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के संक्षिप्त नाम की जगह पूरे नाम गुरू तेग बहादुर नगर लिखवाए जाने का प्रस्ताव पिछले लगभग एक वर्ष से लंबित पड़ा है,
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि परिवहन विभाग की योजना शाखा द्वारा नाम परिवर्तित

मामले में आगे कार्रवाई केवल फंड उपलब्ध न होने के कारण अधर मे छोड़ दी गयी है,

(ग) संक्षिप्त नाम की जगह पूरा नाम लिखवाए जाने संबंधी आदेश कब तक जारी कर दिए जाएंगे।

परिवहन मंत्री

- (क) तकनीकी एवं आर्थिक कारणों से नाम परिवर्तन संभव नहीं है।
- (ख) प्रस्ताव पर विचार करने पर पाया कि जी.टी.बी. नगर और गुरू तेग बहादुर नगर का एक ही मतलब है इसलिए विचार नहीं किया गया।
- (ग) उपरोक्त 'क' एवं 'ख' के जवाब के मुताबिक अभी कोई विचार नहीं है।

71. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कितनी बसें चलाई जा रही है, रूट वाईज व नंबर सहित बसों की संख्या बताएं,
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि संबंधित विभाग को बार बार पत्र लिखने के बावजूद भी खजूरी से लेकर सभापुर गांव तक बस नहीं चलायी जा रही है, और
- (ग) यदि हाँ, तो उसके न चलाए जाने के क्या कारण है और कब तक बस चला दी जाएगी।

परिवहन मंत्री

(क) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चलने वाले व गुजरने वाले रूटो/बसों

का विविरण परिशिष्ठ ''क'' पर उपलब्ध है।

- (ख) यह सत्य नहीं है। दिपनि द्वारा सभापुर गांव से खजूरी खास होते हुए मोरीगेट टर्मिनल तक रूट सं.-255 की बस सेवा चलाई जा रही है।
- (ग) उपरोक्त के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

करावल नगर विधान सभा क्षेत्र से चलने वाले रूट:

रूट	कहां से व	हां तक	बसों की सं.
227ए	कराबल नगर पुस्ता (शहीद भगतिसंह कालोनी गली न4) पु.दि.रे.स्टेशन	3
248	करावल नगर पुस्ता(शहीद भगतसिंह कालोनी गली न4)	मोरीगेट टर्मिनल	1
255	सभापुर गांव	केन्द्रीय टर्मिनल	2
258	चौहान पटटी/सोनिया विहार	मोरीगेट टर्मिनल	6
270	करावल नगर पुस्ता(शहीद भगतिसंह कालोनी गली न.4)	केन्द्रीय टर्मिनल	2
		कुल बसो की संर	ड्या = 14

सीमित सेवा फेरा:

0810 सभापुर गांव

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम

करावल नगर विधानसभा क्षेत्र मेन वजीराबाद रोड गुजरने वाले रूट:

कट	कहां से	कहां तक बसो	ंकी सं.
33	भजनपुरा	नौएडा सैक्ट. 37(अरूण विहार)	50
33ए	बदरपुर खादर सें नं27	नोएडा सैक्ट-37/36 (शशी चौक)	4
163	आनन्द विहार बस अडडा	नरेला टर्निमल	2

रूट	कहां से	कहां तक	बसों की सं.
165	आनन्द विहार बस अडडा	शाहबाद डेरी	55
210	हर्ष विहार	केन्द्रीय टर्मिनल	5
212	आनन्द विहार बस अडडा	आनन्द पर्वत	39
234	हर्ष विहार	कर्मपुरा टर्मिनल	14
234ए	हर्ष विहार	तिलकनगर	16
235	नन्द नगरी टर्मिनल	वजीरपुर जेजे कालोनी	4
253	यमुना विहार सी-4	मोरीगेट टर्मिनल	15
254	बाबरपुर विस्तार	नांगलोई जेजे कालोनी नं2	48
259	हर्ष विहार	जहांगीरपुरी ई-ब्लाक	12
260	यमुना विहार सी-4	केन्द्रीय टर्मिनल	2
261	नन्द नगरी टर्मिनल	सराए कालेखां बस अडडा	11
262	हर्ष विहार	कल्याण विहार	3
263	इन्द्रापुरी (लोनी)	मोरीगेट टर्मिनल	2
333	आनन्द विहार बस अडडा	जहांगीरपुरी ई-ब्लाक	12
784	यमुना विहार सी-1	कमला मार्केट	3
971	आनन्द विहार बस अडडा	अवन्तिका रोहिणी सेक्ट-1	50
971ए	आनन्द विहार बस अडडा	शालीमार बाग	2
बा.मु.से	(1)(-), य.मु.सं (+) (-)		
	आनन्द विहार बस अडडा	आनन्द विहार बस अडडा	113
	कश्मीरी गेट बस अडडा	कश्मीरी गेट बस अड्डा	20
	(नित्यानंद मार्ग)	(नित्यानंद मार्ग)	
एनसीआ	र नानकसर गुरूद्वारा	गाजियाबाद	20
		कुल बसो की संख्या =	502

72. श्री सुरेन्द्र कुमार: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि गोकुलपर विधान सभा क्षेत्र मे जौहरी पुर मेन रोड पर अब तक बसें नहीं चलायी गयी है,
- (ख) यदि हाँ, तो इस रोड पर कब तक बसें चालू कर दी जाएगी, तिथि सिहत बताने का कष्ट करें,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि रूट नंबर 2 लोनी रोड इन्द्रापुरी में चलायी जानी हैं, और
- (घ) यदि हाँ, तो कब तक चलायी जाएगी?

परिवहन मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) यह सड़क बस परिचालन के लिए योग्य नहीं है सड़क बस परिचालक योग्य होने पर बस सेवा परिचालित कर दी जाएगी।
- (ग) रूट से.-2 इन्द्रा पुरी लोनी रोड होकर शाहदरा के मध्य चल रही थी। इस रूट का परिचालन बन्द करके इसके स्थान पर रूट सं.-273 जो कि इनद्रापुरी लोनी रोड से शिवाजी स्टेडियम वाया शाहदरा टर्मिनल चल रही है। इस रूट पर 9 लो-फ्लोर बसें परिचालित की जा रही हैं।
- (घ) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

73. श्री जय भगवान अग्रवाल: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फ्लैट नंबर 84, ब्लाक ए-3 सेक्टर-7, रोहिणी के सामने प्रदीप भाटिया मार्ग पर

डीटीसी द्वारा यात्री शेल्टर कब बनाया गया था और कब उसको हटाया गया था,

- (ख) क्या इसको हटाने हेतू विधिवत प्रक्रिया अपनायी गयी थी, अगर विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी तो उसके क्या कारण है.
- (ग) क्या अब हटाए गए यात्री शेल्टर के स्थान पर पुन: यात्री शेल्टर बनाए जाने की योजना है,
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि जिस साईड में यह यात्री शेल्टर बना हुआ था उस साईड उसके अतिरिक्त अन्य कोई यात्री शेल्टर नहीं है,
- (ड़) क्या यह भी सत्य है कि यात्री शेल्टर न होने के कारण गर्मी, सर्दी पर वर्षा के समय बहुत परेशानी रहती है, और
- (च) बिना यात्री शेल्टर के इस स्थान पर यात्रियों को बिठाने हेतु डीटीसी की कौन-कौन से रूट नंबरो की बसें रूकती हैं?

परिवहन मंत्री

- (क,ख,ग,घ व ङ) फ्लैट 84, ब्लाक ए-3, सेक्टर-7 रोहिणी के नाम से प्रदीप भाटिया मार्ग के नाम का शैल्टर दिल्ली परिवहन निगम की जानकारी में नहीं है।
- (च) इस मार्ग से यात्रियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बस रूट सं.-970 व 971 की बसें परिचालित हैं।

74. श्री एस.सी.एल.गुप्ताः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली परिवहन निगम ने थर्ड पार्टी मेंन्टेंनेन्स का कार्य टाटा और अशोक लीलैंड को दिया है,

- (ख) यदि हाँ, तो ए.एम.सी. में प्रत्येक बस के कितने रख-रखाव पर कितना खर्च होता है,
- (ग) दिल्ली परिवहन निगम की बसों के ब्रेक डाउन का प्रत्येक दिन के हिसाब से क्या अनुपात है, और
- (घ) दिल्ली परिवहन निगम ने इस बड़े ब्रेक डाउन से कितनी रिकवरी कर ली है? परिवहन मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) ए.एम.सी में प्रत्येक बस के रखरखाव पर 7,50,000 किलोमीटर या 12 साल परिचालन के दौरान किलोमीटर स्लैब वार व वर्ष वार ए.एम.सी. चार्जेज (रूपये प्रति किलोमीटर) निन्न प्रकार है:-

क्रम स.	परिचालन वर्ष	किमी० स्लैंब	दूसरे चरण की 1250 एसी बसों की एसमसी दरें	एसी
			(रू.प्रति किमी, नॉन-एसी)	
1.	पहला	0-75,000	3.20	4.15
2.	दूसरा	75,001-1,50,000	4.60	5.00
3.	तीसरा	1,50,001-2,10,000	6.50	7.10
4.	चौथा	2,10,001-2,70,000	7.90	8.40
5.	पांचवा	2,70,001-3,30,000	9.20	9.90
6.	छठा	3,30,001-3,90,000	10.60	11.30
7.	सातवां	3,90,001-4,50,000	11.50	12.20

क्रम स.	परिचालन वर्ष	किमी० स्लैंब	दूसरे चरण की 1250 एसी बसों की एसमसी दरें (रू.प्रति किमी. नॉन-एसी)	एसी
8.	आठवां	4,50,001-5,10,000	12.50	13.20
9.	नोवा	5,10,001-5,70,000	14.00	14.70
10.	दसवां	5,70,001-6,30,000	15.00	16.00
11.	ग्यारवां	6,30,001-6,90,000	17.00	17.90
12.	बारहवां	6,90,001-7,50,000	18.75	19.30
	कुल	Total AMC Charges	79,62,000/-	8,48,650/-
		for 7,50,000 Kms.	10.62	11,32

- (ग) वर्ष 2011-2012 में दिल्ली परिवहन निगम की बसों के ब्रेक डाउन का अनुपात प्रतिदिन के हिसाब से 5000 बसों मे लगभग 235 बस है।
- (घ) ब्रेक डाउन व अन्य कारणों के कारण अनुबधं के अनुसार धारा नं.-46.2 और 46.5 के अनुसार हानि की भरपाई की जाती है। इन बसों कें ब्रेक डाउन के कारण वर्ष 2011-2012 में कुल राशि रू0 51,23,601/- वसूली गई है।

75. श्री एस.सी.एल.गुप्ताः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या डी एम आर सी महरौली से बदरपुर तक मोनो रेल को इंटिग्रेट (संयुक्त) करने की योजना बना रही है; और
- (ख) क्या सरकार ने इस धनी आबादी वाली रास्ते पर मोनो रेल की योजना बनाने के लिए राईट्स की राय ली है?

- (क) ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
- (ख) जी नहीं।

76. श्री जय किशन: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र स्थित सुल्तानपुरी बस टर्मिनल एवं शेल्टरों की हालत बेहद खराब है.
- (ख) यदि हाँ, तो इस टर्मिनल का सुधार कार्य कब तक शुरू हो जाएगा और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

परिवहन मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) इस टर्मिनल के सुधार का कार्य दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रीयल एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेवमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (डी.एस.आई.आई.डी.सी.) के द्वारा दो महीने में कार्य प्रारंभ कराने का प्रयास किया जाएगा।
- (ग) उपरोक्त 'ख' अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

77. श्री सुनील वैद्यः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य नहीं है ब्लाक नंबर 16 के सामने डी.यू.एस.आई.बी की खाली जमीन पर आपके मंत्रालय द्वारा एक नए बस टर्मिनल का निर्माण होना है,

- (ख) यदि हाँ, तो इस बस टर्मिनल के निर्माण में हो रही देरी का कारण बताएं, और
- (ग) नए बस टर्मिनल का निर्माण कब तक होगा, कृपया बताए?

- (क व ख) ब्लाक नंबर 16, त्रिलोकपुरी के समीप टर्मिनल के लिए भूमि का आवंटन दिल्ली शहरी आश्रित सुधार बोर्ड (डी.यू.एस.आई.बी) से परिवहन विभाग के पक्ष में करने की प्रक्रिया जारी हैं।
- (ग) भूमि आंवटन के पश्चात छ: मास के अंतर्गत बस टर्मिनल का निर्माण कार्य पूर्ण करने की योजना है।

78. श्री कुलवंत राणाः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि रोहिणी सेक्टर 11 में बस डिपो के लिए डीडीए द्वारा 10-11 वर्ष पूर्व दिल्ली परिवहन निगम को भूमि आबंटित की गयी थी,
- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि इस भूमि की चारदीवारी भी नहीं की गयी है,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में बसों को खड़ा करने के लिए बस डिपो की भारी कमी है,
- (घ) यदि हाँ, तो आरक्षित भूमि पर बस डिपो का निर्माण न करवाने के क्या कारण है, और
- (ड़) इस भूमि पर बस डिपो का निर्माण कब तक करवाया जाएगा, पूर्ण जानकारी दी जाए?

- (क) जी नहीं।
- (ख) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।
- (ग) जी हां।

(घवङ) उपरोक्त 'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

79. श्री कुलवंत राणाः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सत्य है कि रोहिणी सेक्टर-4 एक्सटेंशन में दिल्ली परिवहन टर्मिनल के लिए डीडीए द्वारा भूमि आरक्षित है,
- (ख) यदि हाँ, तो इस भूमि को दि.वि.प्रा. से प्राप्त कर इस पर टर्मिनल बनाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गयी है, यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें, और यदि नहीं तो क्यों नहीं,
- (ग) क्या यह भी सत्य है िक रोहिणी सेक्टर 1 अवंतिका में मेन रोड पर बसें खड़ी की जाती है जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है,
- (घ) यदि हाँ, तो रोहिणी सेक्टर-4 एक्सटेंशन में दि.वि.प्रा. द्वारा बस टर्मिनल के लिए आरिक्षित भूमि को प्राप्त कर व टर्मिनल का निर्माण करके अवंतिका में रोड पर खड़ी होने वाली बसों को क्यों नहीं स्थानांतिरत कर रही है, और
- (ड़) उपरोक्त भूमि को दि.वि.प्रा. से कब तक प्राप्त कर इस भूमि पर बस टर्मिनल कब तक बना दिया जाएगा?

- (क) जी नहीं।
- (ख) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।
- (ग) जी हां। कभी-कभी ऐसा हो जाता है।
- (घ व ङ) भूमि आवंटन के उपरांत ही बस टर्मिनल का निर्माण कार्य संभव है।

80. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:

- (क) पालम एयरपोर्ट के लिए जो 4799 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई इसमें किन गांवों की कितनी-कितनी भूमि आती है;
- (ख) इन लोगों को कब-कब किस रेट पर कितना मुआवजा दिया गया;
- (ग) क्या पडोस के राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा के अतिरिक्त 30 सालों तक 15 हजार रूपये प्रति एकड़ देने का प्रावधान है;
- (घ) एन.सी.आर. मे भूमि आधिग्रहण के उपरांत भूमि के मालिकों को कुछ भाग (बिल देने का प्रावधान है क्या इसे दिल्ली में किया जा रहा है और क्या सरकार आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान कर रही है?

परिवहन मंत्री

(क) पालम एयरपोर्ट के लिए जिन गांव की भूमि अधिग्रहित की गयी थी उनकी भूमि (कैटगरी वाइस A,B.C,D आदि) तथा उनके रेटों की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

- (ख) सूची साथ पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ग) जानकारी उपलब्ध नहीं।
- (घ) जानकारी उपलब्ध नहीं।

81. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली हवाई अड्डा (पालम एयरपोर्ट) के लिए पालम गांव और आस-पास जो जमीन अधिग्रहण की गई थी उसको कितना मुआवजा दिया गया;
- (ख) क्या यह मुआवजा दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमों के आधार पर तय किया जाता है;
- (ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन अधिग्रहण के एवज में वैकल्पिक प्लाट और परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी का प्रावधान करता है; और
- (घ) यदि हाँ, तो क्या पालम व आप-पास के गांव वालों को ऐसी सुविधाएं दी गई हैं। परिवहन मंत्री
- (क) सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख) सरकारी दर पर।
- (ग) जी नहीं।
- (घ) उपरोक्तानुसार।

82. श्री सुनील वैद्यः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि आपके विभाग में त्रिलोपुरी विधानसभा में कोटला गांव स्थित कब्रिस्तान के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को जमीन दी है।
- (ख) यदि हाँ, तो कब्रिस्तान के लिए कितनी जमीन दी है,
- (ग) क्या इसे दी गई जमीन का मौके पर पैमाइश हुआ है?
- (घ) यदि हाँ, तो कब होगा?
- (इ) क्या किसी संस्था ने इस जमीन का कब्जा लिया है?
- (च) क्या कब्रिस्तान के नाम पर कोटला गांव में किसी जमीन पर किसी का अवैध कब्जा है?
- (छ) यदि हाँ, तो वह कब तक हटेगा, और नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री

- (क) अभिलेख प्रमाणों के अनुसार (जामा बन्दी) खसरा नं. 16 गांव कोटला के अधीन 09 बिसवा भूमि वक्फ बोर्ड के खाते में दर्ज है।
- (ख) 09 बिसवा।
- (ग) नहीं।
- (घ) विचाराधीन है।
- (ङ से छ) नहीं।

83. श्री साहब सिंह चौहानः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली उच्च न्यायलय के ओदश पर नगर निगम की सिफारिश पर भजनपुरा डी-ब्लाक में भजनपुरा डिस्पैंसरी से गांवड़ी रोड़ तक सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिगृहीत कर नगर-निगम को देना था;
- (ख) यदि हाँ, तो अब तक भी उक्त भूमि/स्थान अधिगृहित कर नगर निगम को क्यों नहीं दिया व अधिसूचित क्यों नहीं हुआ;
- (ग) क्या यह सत्य है कि विधानसभा में कई बार आश्वासन दिया पर कार्यवाही नहीं हुई;
- (घ) उक्त भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है वह कब तक अधिगृहीत होगी?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) डी.डी.ए. से अनापित प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण उपराज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति लंबित है।
- (ग) डी.डी.ए. को विभाग द्वारा अनुस्मारक जारी करने के पश्चात् अनापित्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अत: कार्य लंबित है।
- (घ) जैसे ही विभाग को डी.डी.ए. से अनापित प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, फाइल स्वीकृति हेतु उपराज्यपाल महोदय के पास भेज दी जाएगी।

84. श्री कुलवंत राणाः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के रोहिणी एम जोन में स्थित 80 मीटर रोड यू.ई.आर.-8 एन.एच-1 से एन.एच.-10 तक प्रस्तावित है;
- (ख) यदि हाँ, तो क्या यमुना कैनाल से एन.एच से एन.एच.-10 तक भूमि अधिग्रहण की कोई योजना बनाई गई है;
- (ग) यदि हाँ, तो भूमि अधिग्रहण के कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा;
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि मास्टर प्लान रोड़ पी-1 से गुजरती है और पहले इस रोड़ की दिशा कुछ और थी तथा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी दिशा को बदलकर खेड़ा खुर्द स्थित गुरूकुल के बीच से ले जाने की योजना बनाई है:
- (इ) क्या व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने के लिए एक धार्मिक एवं शैक्षिक संस्थान को उजाडा जाना न्यायसंगत है. और
- (च) ऑल हैवन नामक पार्टी प्लेस जोकि खेडा़ में स्थित है, यह भूमि किसकी है, इसका मालिक का नाम व विवरण क्या है?

शहरी विकास मंत्री

(क,ख व ग) जी हाँ। दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचनानुसार यमुना कैनाल से रोहतक रेलवे लाइन तक भूमि अधिग्रहण हो चुकी है। परन्तु रेलवे लाइन से एन.एच.-10 प्रस्तावित है। उपरोक्त तथा एन.एच-1 से यमुना कैनाल तक अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है।

- (घव ङ) हाँ मास्टर प्लान रोड़ यू.ई.आर. 3.80 मीटर रोड़ जोन पी.-1 से गुजरती है। इस रोड़ की दिशा एम.पी.डी.-2021 में जो कि दिनांक 07.02.2007 को अनुमोदित है, में दिखाई गई है तथा वही दिशा जोनल प्लान पी-1 में जो कि दिनांक 30.07.2010 को अनुमोदित हुआ है, में भी दिखाई गई है तथा इसकी दिशा बदलने के सम्बन्ध मे अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
- (च) सूचना एकत्रित की जा रही है।

सम्पादक वर्ग Editorial Board

पी.एन. मिश्रा सचिव

P.N. MISHRA
Secretary

लाल मणी

उप-सचिव (सम्पादन)

LAL MANI

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

ऋ.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी/विधान सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी/मंत्री परिषद/विधानसभा सदस्यों की विधान सभा क्षेत्रानुसार सूची	(i-xxi)
2.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1
3.	निधन सम्बन्धी उल्लेख (पूर्व महानगर पार्षद, चौ. मुख्तयार सिंह व पूर्व सांसद श्री राजेश खन्ना के निधन पर)	3
4.	विविध	9
5.	नियम-114 के अन्तर्गत बधाई प्रस्ताव (श्री सुशील कुमार व अन्य खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक पदक जीतने एवं श्री उन्मुक्त चन्द्र के नेतृत्व में अण्डर 19 विश्वकप जीतने पर)	22
6.	प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन	28
7.	सिमतियों के प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	32
	1. कार्य मंत्रणा समिति	
	2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी सिमिति	
8.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	32
9.	नियम-114 के अन्तर्गत बधाई प्रस्ताव	
	(917 अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के संबंध में)	35
10.	अल्पकालिक चर्चा (बिजली कंपनियों की मनमानी से उत्पन्न स्थिति पर)	41
11.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्र.सं. 1 से 20)	79
12.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र.सं. 1 से 84)	103

(टिप्पणी : प्रश्नकाल में बाधा उत्पन्न होने के कारण विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 41 के अंतर्गत तारांकित/अतारांकित प्रश्नों को कार्यवाही में सम्मिलित किया गया।) खण्ड-11 सत्र-11 अंक-81 मंगलवार <u>04 सितम्बर, 2012</u> भाद्रपद 13, 1934 (शक)

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही



चतुर्थ विधान सभा ग्यारहवाँ सत्र

अधिकृत विवरण (खण्ड-11 में अंक-81 से 84 तक सम्मिलित है)

> दिल्ली विधान सभा सचिवालय पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054